खण्ड-129, अंक-8
शुक्रवार, 30 माघ, शक संवत् 1875
(19 फरवरी, 1954 ई0)

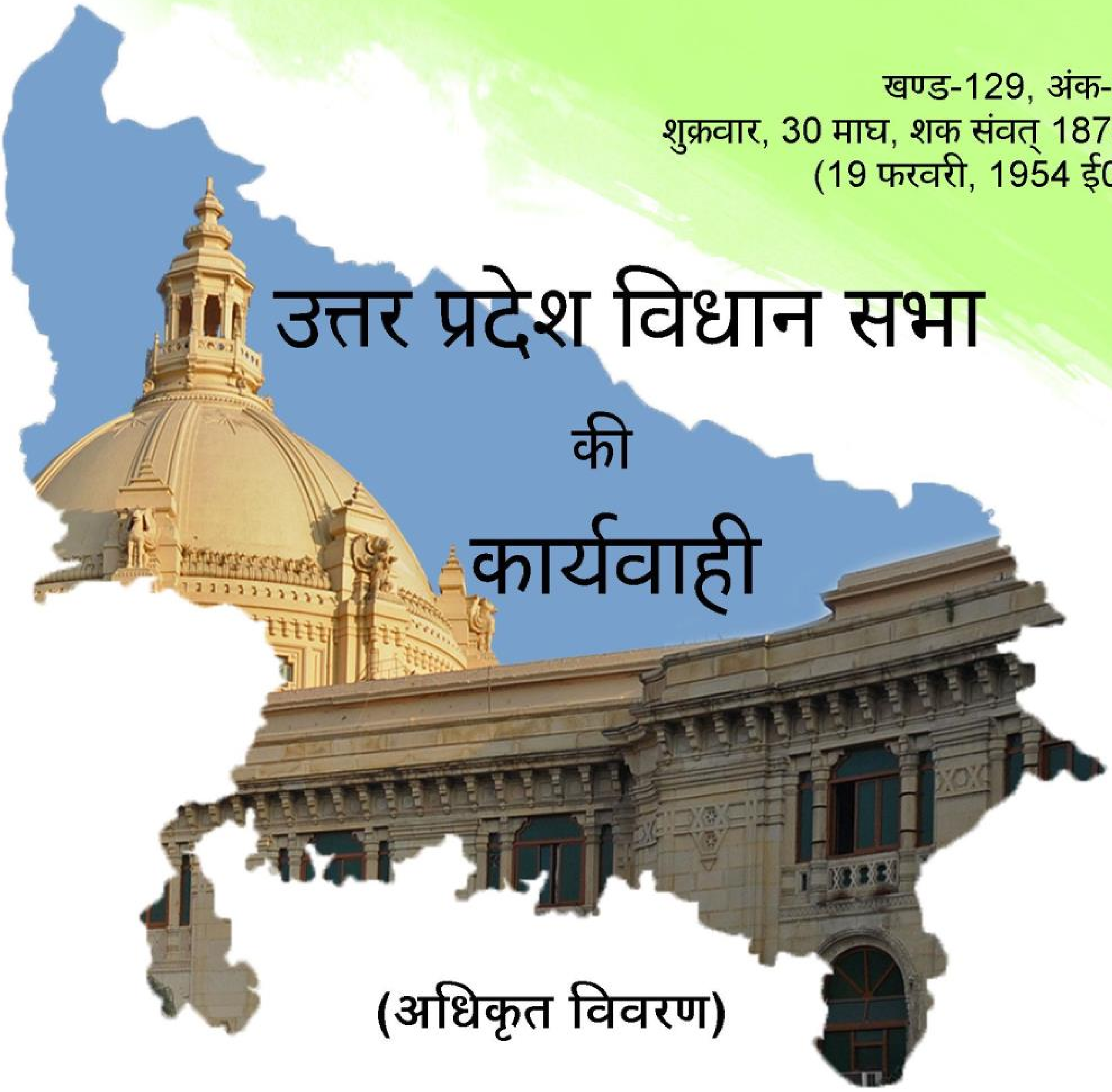

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ फ़रवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र, श्री
अशरफ अली खां,
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्ननगुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडे, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंदवल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री

राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां , श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशी दास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर,
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सिया राम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू रमा, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सीमांत स्थानों पर विदेशियों के घूमने में रोक-टोक

*१—श्री भगवान सहाय (ज़िला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी व अल्मोड़ा ज़िलों में कितने विदेशी और कहाँ-कहाँ के भ्रमण करने फरवरी, सन् ५३ से अभी तक आये ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में उचित नहीं है।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि इन विदेशियों के सीमांत स्थानों पर घूमने में कोई रोक-टोक नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। विदेशियों के सीमांत स्थानों में घूमने के लिये आवश्यक रोक-टोक है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ज़िलों में कौन से स्थान हैं जहाँ तक विदेशी लोग बिला रोक-टोक के जा सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सीमा के कुछ दूर पर एक कल्पित रेखा मानी जाती है जिसको उस तरफ इनर लाइन कहते हैं। वह इनर लाइन दूर तक फैली हुयी है। उसमें जाने के लिये परमिट लेना पड़ता है। जब तक विशेष कारण न हो परमिट नहीं दिया जाता है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन विदेशी टूरिस्ट वेष में हमारी सीमांत के स्थानों पर बेरोक-टोक घूमते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी सीमांत के प्रदेश में अमेरिकन या जो कोई आते हैं उनका हर एक का हमको पता रहता है। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं यह हर चीज़ हमको मालूम रहती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) ---क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इन्फार्मेशन के डिस्क्लोज़ करने में उनको आपत्ति है उस आपत्ति का प्रकार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रकार यही है कि वह जनहित के विरुद्ध है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद) ---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आयी कि जिससे यह जाहिर हो कि ऐसे लोगों की कार्यवाही मुनासिब नहीं हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ, कभी कभी ऐसी शिकायतें आती हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि यह जो अमेरिकन और विदेशी हैं वह नकशा तैयार कर रहे हैं और फोटो लेते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ, कभी कभी इस किस्म की शिकायत आ जाती है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ, मैंने कहा कि विदेशी जो कुछ करते हैं उसका हमको पता रहता है और जो शिकायत होती है उसकी जाँच की जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) ---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गतवर्ष इस इनर लाइन तक जाने के लिए कितने लोगों को परमिट दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो जो पहले प्रश्न का उत्तर है वही दूसरे रूप में पूछा गया है जिसको मैं बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार को पता है कि मिशनरी के काम के रूप में बहुत से लोग हमारे प्रदेश में कुछ नामुनासिब कार्यवाही करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो विदेशी लोग आते हैं उनमें मिशनरी भी होते हैं और जो कार्यवाही वह करते हैं उसकी इत्तिला हमको है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पाबन्दी सीमान्त स्थानों पर जाने के लिए विदेशी आने वालों पर भी लागू होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह हर एक विदेशी पर लागू होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की सीमान्त स्थानों पर घूमने वाले कुछ विदेशियों की गिरफ्तारियाँ भी हुयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहाँ तक मुझे याद पड़ता है नहीं हुयी है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या बंगाल के स्पीकर महोदय ने ऐसा कोई पत्र उनको लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत से विदेशी लोग यहाँ मिशनरी की आड़ में अपना काम कर रहे हैं और फोटोग्राफ या ऐसे नक्शे तैयार कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय मुझे स्मरण नहीं आ रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या यह सही है कि इस भाग में जो विदेशी रहते हैं उनके खिलाफ सरकार के पास शिकायत आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत सी तरह की बातें और शिकायतें लोग लिखते रहते हैं और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके बारे में भी कुछ आ जाता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जो शिकायतें उनको गैरमुमालिक के आदमियों के मुताल्लिक मिली हैं उनमें से किसी की जाँच भी कराई गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी आधा मिनट हुआ, मैंने नेकराम जी के सवाल के जवाब में कहा था कि हर शिकायत की जाँच कराई जाती है ।

असलाह लायसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

*३—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता को असलाह लाइसेंस के देने में उसकी क्या नीति है और उसके क्या नियम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जनता को असलाह का लायसेंस देने के सम्बन्ध सरकार की नीति यू०पी० आर्म्स रूल्स, १९३५ के नियम १२९ और १३२ में वर्णित है।

*४—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार रायबरेली जिले में एक साल के भीतर पिस्तौल या रिवाल्वर का लायसेंस पाने वालों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नामों की सूची लम्बी है। यदि सदस्य महोदय किसी व्यक्ति विशेष का नाम देखना चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख लें ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि असलाह की दरख्वास्त की जो पुलिस से जाँच होती है उसमें रजिस्टर नं० ८ का हवाला देना भी जरूरी होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किस रजिस्टर का हवाला देना जरूरी होता है, यह मैं इस समय नहीं बतला सकता । अगर माननीय सदस्य नियमों को देख लें तो उनको यह बात उनमें मिल जायगी ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सही है कि जिला रायबरेली के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ लाइसेंस रिन्यूअल में इस आधार पर रोक दिये हैं कि वे अनियमित ढंग पर दिये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यह सारे प्रांत का सवाल है, इसलिये रायबरेली के ही बारे में उत्तर देना मेरे लिये असम्भव है।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या उस लम्बी सूची में रायबरेली के कलेक्टोरेट के चपरासी और दफा ११० के निगरानीशुदा व्यक्तियों के नाम भी दर्ज हैं जिनको रिवाल्वर और बन्दूक के लायसेंस दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता। सूची दफ्तर में आकर देखी जा सकती है।

के० सी० बी० एस० इन्टर कालेज, फतेहपुर का अनुदान रोकने के कारण

*५—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि के० सी० बी० एस० इंटर कालेज (K. C. B. Inter College) फतेहपुर की सरकारी ग्रांट क्या बन्द कर दी गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हाँ ।

*६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर हाँ, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री एस० बी० कपूर को बिना विभाग की पूर्व स्वीकृति के पृथक करना माध्यमिक शिक्षा परिषद् के हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा में विद्यालय के लड़कों का नकल करना, ६० वर्ष की आयु होने पर भी उप प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के पद पर बिना विभाग की स्वीकृति के रखना, विद्यार्थी कोष तथा कालेज का रुपया प्रबंधक का अपने निजी खाते में रखना और नियमों का पालन न करना, अनुदान रोकने के संक्षेप में ये कारण हैं।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—इस कालेज की प्रबन्ध सुव्यवस्था करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—उनकी ग्रांट बन्द की गयी है और उनसे जवाबात माँगे गये हैं । उनकी सूची हमारे पास नहीं आयी है जिससे हम कुछ कर सकें ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—अध्यक्ष महोदय, सवाल का जो जवाब दिया गया वह समझ में नहीं आया अगर वह फिर बता दिया जाता तो ज्यादा आसानी हो जाती ।

बी० जी० तेल मिल आगरा के मजदूरों पर लाठी चार्ज

*७—श्री रामलखन सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या यह सही है कि २७ मई, सन् १९५३ को बी० जी० तेल मिल, आगरा के मजदूरों के ऊपर मिल गेट पर लाठी चार्ज किया गया, अगर हाँ, तो उक्त लाठी चार्ज से कितने व्यक्ति घायल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*८—श्री मलखान सिंह—क्या यह सही है कि तारीख २५ जुलाई, १९५३ को पुलिस ने कुलही बाजार, आगरा में दूकानदारों के ऊपर लाठी चार्ज किया ? अगर हाँ, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री मलखान सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २७ मई को मिल गेट पर मजदूरों ने कोई आँदोलन किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, दफा १४४ के विरुद्ध मजदूरों की एक भीड़ ने वहाँ आन्दोलन किया ?

श्री मलखान सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस तारीख को कितने मजदूर वहाँ गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कितने गिरफ्तार किये गये यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कुछ मजदूर गिरफ्तार जरूर किये गये ?

श्री मलखान सिंह---क्या सरकार को पता है कि कितने घायल व्यक्ति जेलखाने में बन्द है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितने गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ लोगों के शरीर पर हल्की सी चोटों के निशान थे। जो मेडिकल रिपोर्ट आयी है उससे मालूम होता है कि वे निशान जमीन पर गिर कर लगी चोटों के थे, लाठी इत्यादि का कोई निशान नहीं था।

*९---१०---**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---[५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला जेल जौनपुर में कैदियों को सुविधायें

*११---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला जेल में दस्तकारी का कौन-कौन सा कार्य कैदियों से कराया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला जेल जौनपुर में अधिकांश कैदी दरी, निवाड़, मूंज की चटाई और आराम कुर्सी में लगाने का कपड़ा बुनने का काम करते हैं।

*१२---**श्री बाबूनन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैदियों को जेल में पढ़ाने की भी सुविधा दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ। जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिये एक अध्यापक नियुक्त है। जेल की लायबरेरी से उन को किताबें लेने की सुविधा है और रात में साढ़े ९ बजे तक पढ़ने के लिये बैरिक में उन को रोशनी की सुविधा है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कैदी जेल से दस्तकारी सम्बन्धी कार्य सीख कर बाहर आते हैं उनको दस्तकारी का कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार विचार किया गया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा सका।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जौनपुर के जिले में कितने कैदी हैं और उनमें कितने कैदी ऐसे हैं जिन्होंने दस्तकारी के काम में निपुणता प्राप्त की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में सूचना नहीं माँगी गयी थी इसलिये इसका जवाब मैं इस समय नहीं दे सकता।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कैदियों को दस्तकारी से कितनी इनकम प्रतिदिन होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि सूबे की केवल दो एक जेलों में ही कैदियों को मजदूरी दी जाती है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जेलों में पढ़ाने वाले अध्यापक कैदी होते हैं या बाहर के अध्यापक होते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रायः एक अध्यापक बाहर का रहता है इसके अतिरिक्त जो कैदी हिन्दी मिडिल की योग्यता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक के रूप में से नियुक्त कर दिया जाता है।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन लोगों को कहाँ तक की शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आदर्श तो क्या कहा जाय लेकिन साधारणतः पाँचवें दर्जे तक की शिक्षा सबको देने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल के अन्दर प्रत्येक कैदी का पढ़ना अनिवार्य है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नियम में यह है कि जिस कैदी की तीन महीने से ज्यादा सजा हो और ५० वर्ष उसकी उम्र न हो, उसको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जिस कैदी की तीन महीने से कम सजा हो और उसे भी पढ़ने की इच्छा हो तो इसके लिये उसे सुविधा दी जा सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) --क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कैदी अध्यापन का कार्य करते हैं उनको सरकार कोई विशेष सुविधा देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसे जेल में और काम हैं वैसे ही उनको इस काम के लिये भी छूट मिलती है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन वाचनालयों के लिये अखबार भी मंगाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हाँ, वाचनालयों में अखबार भी आते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जेलखाने में जो कैदी पढ़ाते हैं क्या उनसे इसके अतिरिक्त और कोई काम भी लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनसे और कोई काम नहीं लिया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कैदियों को क्या पढ़ाया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने अभी बतलाया था कि इस बात की कोशिश की जाती है कि दर्जा ५ तक प्राइमरी की जो भी शिक्षा होती है, भाषा गणित इत्यादि उनको पढ़ाया जाता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अगर कोई कैदी जेल में अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसकी भी कोई व्यवस्था हो सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--साधारणतः तो नहीं है, लेकिन एकाध मामला ऐसा हुआ कि कुछ कैदी काफी पढ़े लिखे थे और वे किसी इम्तहान के करीब पहुंचे थे तो जेल के अन्दर जो सुविधायें हो सकती थीं उनको देने की कोशिश की गयी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या मोहतरिम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके बतलायेंगे कि जेलों में जो कैदी पढ़ाये जाते हैं उनको उर्दू पढ़ने की भी आसानी बहम पहुंचायी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे इस समय इसकी कोई सूचना नहीं है।

*१३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[१२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सुल्तानपुर जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय

*१४--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित) --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले में मान्यता प्राप्त कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं ?

डाक्टर सीताराम--ग्यारह।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन) --क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन विद्यालयों को सरकार की ओर से कितनी सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--७ हजार ३ सौ ४४ रु०।

श्री देवकीनन्दन विभव--इन विद्यालययों में विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, क्या यह माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि वहाँ के विद्यार्थियों को कुछ छात्रवृत्ति भी दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिए मुझे सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन संस्कृत विद्यालयों में अंग्रेजी अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिये रक्खे गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) --क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन १४ विद्यालयों की चर्चा मंत्री जी ने की है उनमें से किसी एक विद्यालय में आर्ष पाठ विधि से अष्टाध्यायी और काश्तकारी की शिक्षा दी जाती है ?

श्री हरगोविंद सिंह--इसके लिये भी सूचना चाहिये।

राजकीय नार्मल स्कूल, गोरखपुर के पुस्तकालय के निमित्त निर्धारित वार्षिक व्यय

*१५--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जूनियर ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर को प्रतिवर्ष वाचनालाय व पुस्तकालय के लिये कितना रुपया दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--राजकीय नार्मल स्कूल, गोरखपुर के पुस्तकालय के निमित्त १०८ रु० वार्षिक व्यय निर्धारित है।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वहाँ पर छात्राध्यापक कितने हैं ?

श्री हरगोविंद सिंह---इसकी तो सूचना चाहिये । इस प्रश्न से यह उठता नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती) ---क्या सरकार १०८ रुपये की रकम को बढ़ाने का भी विचार रखती है ?

श्री हरगोविंद सिंह---हां, अगर जरूरत हुई तो इसे बढ़ाया जा सकता है ।

जूनियर ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर के अन्तर्गत माडल स्कूल की जीर्ण इमारत

*१६---श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जूनियर ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर के अन्तर्गत माडल स्कूल की इमारत अत्यन्त जीर्ण दशा में है ? यदि हाँ, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती ?

डाक्टर सीताराम---हाँ । भवन की दशा जीर्ण है । पुराना होने के कारण यह भवन इतना खराब हो गया कि इसकी मरम्मत नहीं हो सकती । पी०डब्लू०डी० इंजीनियर ने यह रिपोर्ट दी है कि इसकी मरम्मत में धन व्यय करना बिलकुल बेकार है । अतः इसको फिर से बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह भवन किस सन् में बना था ?

डाक्टर सीताराम---यह आज से करीब सौ साल पहले बना होगा ।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस भवन को नये तरीके से बनवाने का विचार कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम---अभी तक विचार नहीं किया गया लेकिन पी० डब्लू० डी० के एक इंजीनियर से प्लान तथा एस्टीमेट माँगा गया है और जब वह एस्टीमेट आ जायगा तब सरकार विचार करेगी कि क्या करना है ।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस एस्टीमेट के कब तक आ जाने की आशा की जाती है ?

श्री हरगोविंद सिंह---जब तैयार हो जायगा तो आ जायगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इस जीर्ण भवन में अब तक लड़कों को पढ़ाया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---जी हाँ, पढ़ाई होती है ।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर) ---क्या सरकार बतायेगी कि बरसात के दिनों में उस भवन में किस तरह से लड़के पढ़ते हैं ?

डाक्टर सीताराम---इसकी कोई सूचना हमें नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—यह भवन कितने दिनों से इस दशा में है ?

श्री हरगोविंद सिंह—इसकी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन जो इमारत सौ वर्ष की हो उसके लिये यह समझा जा सकता है कि कितने दिनों से ऐसी अवस्था में होगी ।

जूनियर ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर के अहाते में लाभप्रद उत्पादन की योजना

*१७—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार जूनियर ट्रेनिंग कालेज, गोरखपुर के अहाते को जिसमें कई एकड़ अच्छे खेत निकल सकते हैं लाभप्रद उत्पादन के लिये काम में लाने की कोई योजना बना रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ ।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इस जूनियर ट्रेनिंग कालेज का कुल अहाता कितने एकड़ का है ?

डाक्टर सीताराम—करीब १० एकड़ का है ।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इसमें करीब आधा हिस्सा बिलकुल बेकार बिना किसी प्रयोग के पड़ा हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—हाँ, ऐसा हो सकता है ।

श्री केशव पांडेय—क्या यह सही है कि इस अहाते में जो खेती इस समय हो रही है उसकी कोई चहारदीवारी न होने के कारण हमेशा नष्ट हो जाया करती है ?

श्री हरगोविंद सिंह—हमेशा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन चहारदिवारी न होने के कारण नुकसान अवश्य होता होगा ।

इलाहाबाद नगर में चोरी

*१८—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) —क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद नगर में मोहल्ला साउथ मलाका में गत माह एक डाका पड़ा था जिसमें एक व्यक्ति गोली में घायल हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती की कोई घटना नहीं हुयी परन्तु १९-२० जुलाई, १९५३ ई० की रात में एक चोरी की घटना अवश्य हुयी जिसमें भागते समय चोरों की गोली से एक व्यक्ति घायल हुआ था ।

*१९—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मामले में स्थानीय पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णा नन्द—इस सम्बन्ध में ७ आदमी पकड़े गये थे । उनके खिलाफ मुकदमा अदालत भेजा गया । मैजिस्ट्रेट की अदालत से ५ आदमी सेशन सुपुर्द हो गये तथा २ छूट गये । मामला अभी सेशन की अदालत में विचाराधीन है ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस चोरी के सिलसिले में उसी रात को कितने मकानों पर चोरी हुई और उसमें कितना धन लूटा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ज्यादा ब्योरे से तो मुझको नहीं कहना चाहिये क्योंकि मामला इस समय सेशन अदालत के सुपुर्द है । उस रात को साउथ मलाका में किसी

एक गिरोह ने तीन जगह चोरी करने की कोशिश की। पहले कोई श्री चौधरी हैं उनके मकान पर ड्रेन के पाइप के जरिये से दो आदमी चढ़े। लेकिन उनके घर के लोग जाग गये और वह लोग भाग गये। नीचे कोई पांच छै आदमी देख पड़े। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के आदमी हैं और इनको पकड़ रहे हैं। इस पर घर वाले चुप हो गये। उसके बाद कोई श्री घोष साउथ मलाका में रहते हैं। इन घोष साहब के मकान पर भी इसी पाइप के रास्ते से दो आदमी चढ़े। वहां पर जहां तक हमारी इत्तिला है करीब १६ सौ का जेवर उनके हाथ लगा। वहां भी शोर मचा और वह लोग भाग गये। वहां भी उनके कुछ साथी नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि हम पुलिस के आदमी हैं और इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उसी वक्त एक स्त्री ने देखा कि एक तीसरे मकान में कुछ लोग झांक रहे हैं। उसने शोर किया और वहां वह लोग अन्दर घुसने की कोशिश भी नहीं कर सके और भाग गये। भागते भागते उन्होंने एक आध गोली चलाई और एक गोली एक आदमी के पांव की छोटी उगली में लगी। इस वक्त तक तो हमारी इत्तिला यही है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसी रात को श्री अलीहसन नकवी, जो एक वकील हैं, उनके दरवाजे पर जो रिक्शे वाले पड़े रहते थे उनको पुलिस ने हटवाया और उसी के बाद वहां पर चोरी हुई।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक समझ नहीं पाया, लेकिन अब तक जो हमारी इत्तिला है वह यही है। शायद आगे अदालत में ज्यादा ब्योरा मालूम हो सकेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या गृह मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि साउथ मलाका मुहल्ले ही में जिला जेल स्थित है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मलाका मुहल्ले में जरूर है लेकिन साउथ मलाका में है या नार्थ मलाका में है, इसका पता नहीं है। इस वक्त वह खाली भी पड़ी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म की शिकायत आयी है कि वहां डकैती पड़ी थी लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसको चोरी दर्ज किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है और ऐसा हुआ या नहीं हुआ यह अदालत से साबित हो जायगा कि डकैती हुई या चोरी या क्या हुई?

विलीन रामपुर रियासत में शिक्षा विभागीय अध्यापकों की रिटायरमेंट आयु

*२०—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर रियासत की तत्कालीन सरकार ने रामपुर स्टेट गजट मवर्रिखा २० मार्च, सन् १९४८ ई० में प्रकाशित एक आदेश द्वारा रियासत के शिक्षा विभागीय अध्यापकों की रिटायरमेंट आयु ५५ वर्ष के स्थान पर ५८ वर्ष नियत की थी?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*२१—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रियासती सरकार के उक्त निश्चय को सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जा रही है। यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। इस प्रदेश के वित्तीय नियमों के अनुसार ऐसा किया गया है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सही है कि विलीन रामपुर रियास्त के कर्मचारियों को भारत सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन दिया गया था कि जो उनमें से विलीन किये जायंगे उनकी लेस ऐडवांटेजियस पोजीशन नहीं रहेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है ।

श्री कृष्णशरण आर्य—फिर क्या प्रदेशीय सरकार ने रियासत के विलीनीकरण के समय कोई ऐसा आश्वासन दिया था कि जो उनमें से विलीन किया जायगा उसकी लेस ऐडवांटेजियस पोजीशन नहीं रहेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझको इसकी भी कोई सूचना नहीं है ।

जिला जौनपुर के अन्तर्गत डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*२२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुत्तूपुर, थाना मड़ियाहू, जिला जौनपुर के अन्तर्गत जो डाका बतारीख १३, १४ मई, १९५३ की दरमियानी रात्रि में पड़ा था उसमें कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये और वे किस ग्राम के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ६ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें से ४ ग्राम सालारपुर के थे, एक गढ़ाई ढेका का और एक खिताह चौराही का था ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६ डाकू गिरफ्तार हुये उनमें कितने डाकू पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुये और कितने जनता के द्वारा या जिसके घर में डाका पड़ा उसके द्वारा गिरफ्तार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई सूचना मांगी नहीं गई थी । यह तो नोटिस के बाद ही मैं बता सकता हूं ।

श्री बाबूनन्दन—जो डाकू पकड़े गये वे कितने दिन बाद जमानत पर छोड़े गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

लालगंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ में विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली चलाना

*२३—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या यह सही है कि मुकाम लालगंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ में पुलिस ने बालकों व सरकारी कर्मचारियों पर ता० ११ नवम्बर को गोली चलाई जिसमें एक बालक बुरी तरह घायल हो गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लालगंज बाजार में विद्यार्थियों के एक अवैध तथा हिंसात्मक जुलूस पर अपने बचाव (self defence) के लिये पुलिस ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप एक विद्यार्थी के पैर में चोट आई ।

श्री राम अधार तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस घटना के सम्बन्ध में कितने विद्यार्थियों के ऊपर मुक़दमा चलाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस पुलिस अफसर के गोली चलाने के पहले उसके ऊपर कोई हमला भी हुआ था और उसके कोई चोटें भी आईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हमला हुआ था और उसको और उसके साथी जो चार कांस्टेबिल थे करीब करीब सबको चोटें आयीं।

श्री रामेश्वर लाल—वह घायल बालक जिसके बारे में अभी आपने बतलाया है उसकी उम्र क्या है? और वह किस कक्षा का विद्यार्थी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थियों और लोग जो जुलूस में थे उनके हाथों में कोई हथियार वगैरह थे जिनसे पुलिस वालों को उन्होंने मारा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, क़रीब-क़रीब सब के हाथ में हाकी स्टिक थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि विद्यार्थियों के सिलसिले में प्रतापगढ़ में जिन बालकों पर मुकदमा चलाया गया है वे छठें दर्जे के हैं और उनमें ८-१० वर्ष के विद्यार्थी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त मैं इसकी सूचना नहीं दे सकता, लेकिन पहाड़पुर इंटरमीडियेट कालेज के लड़के भी उसमें शरीक थे। अब अगर वे सब छठवीं दर्जे में पढ़ते हैं तो आपका कहना सही है कि ८-१० वर्ष के हैं।

प्रतापगढ़ जिले में विद्यार्थी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाएं

*२४—श्री रामआधार तिवारी—क्या सरकार ता० ६ नवम्बर से १२ नवम्बर तक विद्यार्थी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाओं पर जो प्रतापगढ़ जिले में हुई हैं प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत अक्टूबर-नवम्बर के विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रतापगढ़ जिले में जो घटनायें हुईं उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६५-५६६ पर)

श्री रामआधार तिवारी—क्या यह सही है कि ६ तारीख को भी कुछ घटनायें प्रतापगढ़ जिले में हुई थीं जिनका कि जिक्र नहीं किया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी इत्तला तो यही है। लेकिन अगर ६ तारीख को भी कुछ अभद्र घटनायें वहां हुईं और उनकी सूचना माननीय मित्र हमें दे दें तो इस सूची में हम उनको जोड़ लेंगे।

*२५—२७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१८ मार्च, १६५४ के लिये प्र० सं० ४—६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कुशीनगर, जिला देवरिया के बुद्ध कालेज को वार्षिक अनुदान

*२८—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या कुशीनगर, देवरिया जिला में एक कालेज बुद्ध जी के नाम पर चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उस कालेज को कोई सहायता देती है?

डाक्टर सीताराम—जी हां। इस कालेज को वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

*२९—श्री रामसुभग वर्मा—क्या उस कालेज को डिगरी कालेज का स्थान देने के लिये सहायता करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को डिग्री कालेज के स्तर पर लाने के लिये शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि उक्त अनुदान की संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम—१०,२२४ रुपये।

सन् १९५३ में पुलिस स्टेशन बिशुनपुर, जिला देवरिया में चोरियों व डकैतियों की संख्या

*३०—श्री रामसुभग वर्मा—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से अब तक पुलिस स्टेशन बिशुनपुरा में कितनी चोरियां, डकैतियां, बलवे और कत्ल हुये हैं। उन वारदातों में पुलिस ने कौन-कौन सी कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६७ पर)

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि किसी थाने में अधिक डकैतियों के होने से संबंधित थानेदार अयोग्य समझा जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर किसी जगह बहुत ज्यादा डकैतियां हों तो वहां के थानेदार को अयोग्य समझना चाहिये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि बिशुनपुरा थाने में दो मील पूर्व गगलवा गांव के चंद्रिका प्रसाद के घर डाका पड़ा था और सरकारी अमीन....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप इत्तिला दे रहे हैं। आप सरकार को इत्तिला दे सकते हैं।

दीवाली की रात्रि को कोपलसा बाजार, आजमगढ़ में गिरफ्तारियां

*३१—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत अतरौलिया थाने की पुलिस ने दीवाली के दिन कसबा कोपलसा पर पहुंच कर करीब ९ बजे रात को लगभग १८–२० नागरिकों को मारा पीटा तथा उनको गिरफ्तार किया और उन्हें दूसरे दिन १२ बजे दिन के बाद जमानत पर छोड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस ने ६ नवम्बर सन् १९५३ ई० की रात को कोपलसा बाजार में १५ व्यक्तियों को गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा १३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया और उनको दूसरे दिन १ बजे जमानत पर छोड़ा। पुलिस द्वारा उनको मारने पीटने के आरोप की पुष्टि न हो सकी।

*३१—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि इस सम्बन्ध में उन नागरिकों ने एक आवेदन-पत्र जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान को भी दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*३३—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि इस घटना को हुये करीब २ मास हो गये परन्तु अभी तक इसकी कोई जांच नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चार्जशीट अदालत में १२ नवम्बर सन् १९५३ ई० को भेज दी गई थी। मुकदमा अभी चल रहा है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि असल में १९ आदमी गिरफ्तार हुये थे न कि १५ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे तो जो मालूम है वह वही है जो मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या यह सही है कि आवेदन-पत्र देने वालों में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनका चालान नहीं हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, मैं समझता हूं कि ऐसा होगा। इसलिये कि आवेदन-पत्र बाजार के नागरिकों ने दिया था। जरूर ऐसा हो सकता है कि सबका चालान न हुआ हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिवाली के ही दिन यह लोग क्यों पकड़े गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुर्भाग्य ही कहिये कि उन्होंने दिवाली का ही दिन जुआ खेलने को चुना।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या उक्त आवेदन-पत्र में रिश्वत की कोई शिकायत थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या कोई कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कोशिश तो की गई थी लेकिन एक दिक्कत थी कि मुकदमे का चालान हो चुका था इसलिये जब तक मामले का फैसला अदालत से न हो जाय यह समझा गया कि इस मामले में ज्यादा विस्तार के साथ जाना उचित न होगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—जितने लोग पकड़े गये थे उनमें से कितने लोग पुलिस द्वारा छोड़ दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी सूचना नहीं कि कोई पुलिस द्वारा छोड़ा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयलसा बाजार के नागरिकों ने जो दरख्वास्त दी थी उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने जांच की थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अतरौलिया थाने के थानेदार का क्या नाम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस थानेदार ने गिरफ्तार किया उसका नाम मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिस अफसर से इन दोनों अभियोगों के संबंध में जांच कराई गयी उसकी क्या रिपोर्ट है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह है कि इन सब बातों का सबूत मिल नहीं सका।

फैजाबाद जिले में जुलाई, १९५२ से १९ फरवरी, १९५४ तक डाकेनक़बज़नी व कत्ल की घटनायें

*३४—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में जुलाई, १९५२ ई० से अब तक डाके, कत्ल तथा नकबजनी की कितनी घटनायें हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जुलाई, १९५२ से लेकर जनवरी, १९५४ तक २६ डकैती, ४९ कत्ल और ८०७ नकबजनी की घटनायें हुई हैं।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या इन अपराधों के सम्बन्ध में कुछ पुलिस कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५२ से डेढ़ वर्ष पूर्व ऐसी कितनी घटनाएं थीं और उनसे यह ज्यादा हैं या कम ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर इसकी नोटिस दी जाय तो पहले की संख्या भी दे सकूंगा। इस वक्त तो मैं नहीं बता सकता।

प्रदेश में गुंडों एवं बदमाशों की सूची

*३५—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार इस समय प्रदेश में गुंडों, बदमाशों तथा अपराधों को करने या कराने वाले लोगों की कोई सूची बना रही है या बनाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पूरे प्रदेश की ऐसी कोई सूची नहीं है। परन्तु पुलिस अधीक्षकों के पास उनके जिले के अपराधियों की सूची रहती है जिसमें वे समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से अपराधशील व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पिस्तौल और बन्दूक के लाइसेंस हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर वह लाइसेंस रखते हैं और साथ ही इसके जुर्म करते हैं तो या तो गिरफ्तार हुए होंगे और नहीं हुए होंगे तो इत्तला नहीं होगी सरकार को।

लायसेंस सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन

*३६—श्री मदनगोपाल वैद्य—अपराधों की वृद्धि को देखते हुये क्या सरकार आर्म (हथियारों) के लाइसेंस देने की नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये सरकार लायसेंस संबंधी नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है।

*३७-३९--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--[स्थगित किये गये।]

*४०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह हथियारों के लाइसेंस संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन करने वाली है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ऐसा करना उचित प्रतीत होता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी डाकुओं से जान व माल तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिये ऐसे उदार नियम बनाने की कृपा करेंगे ताकि ग्रामीण लोगों को कम से कम टोपी वाली बन्दूक रखने की सुविधा प्राप्त हो सके?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, यह भी ध्यान में है और शायद एक बार मैं जिक्र भी कर चुका हूं कि जो हमारी ग्राम रक्षा समितियां बनी हैं उनके लिये हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक आदमी तो जरूर ऐसा हो जिसके पास बन्दूक का लाइसेंस हो और चूंकि हमने इस बात की कोशिश की है कि प्रदेश के हर बड़े गांव में ग्राम समिति बनायी जांय, इसका मतलब यह हुआ कि हर गांव में एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर ही होगा जिसके पास बन्दूक होगी। उससे वह जानवरों से रक्षा करेगा और जानवरों से ज्यादा बुरे काम करने वालों से भी रक्षा करेगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--क्या सरकार ने ऐसी कोई आज्ञा जिलाधीशों के पास भेज रखी है जो कि रक्षा समितियां बनें उसमें एक बन्दूक कमसे कम जरूर हो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम समितियों की बाबत २६ जनवरी आखिरी तारीख रखी गयी थी कि इस सूबे में ९० हजार ग्राम समितियां बन जायं। अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है। लेकिन हर जगह बन गयी है। इसके लिये पहले भी आदेश दिया जा चुके है और फिर जाने वाले हैं?

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा निकाली है जब तक नियमों में परिवर्तन न हो जाय तब तक लाइसेंस न दिये जायं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। ऐसी कोई आज्ञा नहीं निकली है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या यह सच है कि समितियों के सदस्य होने पर भी उनको बन्दूक के लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पहले तो बहुत सी समितियां ऐसी होंगी जो पंद्रह, बीस, पचीस दिन की ही बनी हुई होंगी। इसलिये अधिकांश समितियों के लिये यह सवाल पैदा नहीं होता। फिर मैंने यह कहा कि कम से कम एक सदस्य के पास लाइसेंस हो। इसका मतलब यह है कि समितियों के बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जिन के पास लाइसेंस नहीं होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आमतौर पर लाइसेंस हटा देने पर सरकार को क्या आपत्ति है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से उठ सकता है क्योंकि आर्म्स ऐक्ट का जहां तक संबंध है प्रदेश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है। इसलिये लाइसेंस उठा दिया जाय या न उठाया जाय यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन परिवर्तित नियमों में जो बहुत से गलत लाइसेंस दिये गये हैं उनको कैंसिल करने की भी व्यवस्था की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो नियम बनेंगे उनमें इस किस्म की बात तो रहेगी नहीं कि जो गलत लाइसेंस हों उनको कैंसिल किया जाय। लेकिन जो लोग नये नियमों के अन्तर्गत नहीं आयेंगे उनके लाइसेंस कैंसिल हो जायेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार की ओर से ऐसे आदेश गये हैं कि जो श्रमदान में जाकर अधिक काम करें उनको लाइसेंसों में विशेषता दी जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लाइसेंस कैंसिल कराने का नियम है वह जुडीशल प्रोसीड्योर के जरिये किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो यह नियम बनाने हैं। इसलिये मैं कह नहीं सकता इस संबंध में निश्चित रूप से।

श्रीरामसुन्दर पान्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा समितियों के मुख्य संचालकों को मुफ्त हथियार देने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो ऐसा नहीं सोचा गया।

बनारस हरिजन सहायक विभाग में आर्गनाइजरों और सुपरवाइजरों की संख्या

*४१—**श्री रामलखन** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बनारस में हरिजन सहायक विभाग की तरफ से कितने आर्गनाइजर एवं वेलफेयर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जिला बनारस में हरिजन सहायक विभाग की तरफ से दो पंचायत आर्गनाइजर और एक हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन शिक्षा सुपरवाइजरों का कार्य क्या है ?

डाक्टर सीताराम—उनका कार्य जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे लड़कों को वजीफा बटवाना, उनकी ग्रान्ट्स को दिलवाना, लड़कों के एडमिशन को करवाना, हरिजनों की शिक्षा संबंधी या आर्थिक जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करवाना, उनके बीच में प्रचार करना ये सब उनके काम हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये वेलफेयर सुपरवाइजर्स हरिजन काम के लिये रक्खे रक्खे गये हैं उन पर बनारस में कितना खर्च होता होगा ?

डाक्टर सीताराम—टोटल खर्च निकालने के लिये तो समय चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस हरिजन सहायक फंड के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई जिले जिले हरिजन सहायक फंड नहीं होता।

---

*नोट—तारांकित प्रश्न ४१ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी को मालूम है कि पंचायत आर्गनाइजर्स और सुपरवाजर्स से अधिकांश इंस्पेक्टर्स और पंचायत राज्य विभाग क्लर्कों का काम लिया करते हैं और साल में बहुत कम ये लोग प्रचार के लिये जिले में जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नहीं यह गलत है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि ये सब आफिसर्स प्लानिंग आफिसर के अन्डर काम करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, प्लानिंग आफिसर के अन्डर काम करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या यह सत्य है कि यह सुपरवाइजर्स जिला बोर्ड के अधीन हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल---हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा बटवाने के लिये जब जिला कमेटीज हैं तो इन सुपरवाइजर्स की क्या आवश्यकता है ?

डाक्टर सीताराम---इसलिये उनकी आवश्यकता है कि हरिजन अभी इतने पिछड़े हुये हैं कि इन सब बातों के प्रचार के लिये सुपरवाइजर्स रक्खे जाते हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बनारस के वेलफेयर सुपरवाइजर्स को प्रति मास कितना वेतन दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---५० रुपये से स्केल है और १०० रुपये तक जाता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या वजीरे तालीम मेहरबानी करके यह बतलायेंगे कि इस सिलसिले में हरिजन या दूसरे लोगों को जो वजीफे दिये गये हैं उससे बहुत ज्यादा बेइतमिनानी का इजहार हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वजीफ़ा बांटने में बेइत्मनानी किसी को नहीं हुई होगी ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार इन शिक्षा सुपरवाइजरों से जो अब प्लानिंग कमेटी में रखे गये हैं उनको वहां से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी वापस बुलाकर शिक्षा का काम लेने का विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, इस बात पर विचार हो रहा है ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो आर्गनाइजर या वेलफेयर सुपरवाइजर दोनों नियुक्त किये गये हैं इन दोनों के काम अलग अलग क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इन दोनों का काम करीब-करीब एक ही है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि बनारस जिले में हरिजनों के लिये जो धन खर्च करने के लिये रखा गया था उसमें ज्यादातर अभी खर्च नहीं हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि सुपरवाइजरों की पोजीशन एक क्लर्क की है, या एक चपरासी की है या एक अफसर की है और वह प्लानिंग अफसर महज दस्तखत का काम करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उनकी पोजीशन एक सुपरवाइजर की है।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो वेल-फेयर सुपरवाइजर होते हैं वह हरिजन ही वर्ण के होते हैं या और वर्ण के भी हो सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--यह कोई आवश्यक नहीं है कि हरिजन ही हो। दूसरे वर्ण का भी हो सकता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बनारस की सुविधा का उन्होंने जिकर किया है उसमें डोम जाति के लोगों को कितनी सुविधा प्राप्त हो चुकी है?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों में मुसहरों की जाति भी रखी गयी है।

श्री हरगोविन्द सिंह--जहां तक मेरा ख्याल है वह हरिजन जाति में शामिल नहीं हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या यह जो हरिजन सहायक आर्गनाइजर या सुपरवाइजर हैं इनका कार्य वहां हरिजनों को सामाजिक अधिकार दिलाने का भी प्रयत्न करना है?

श्री हरगोविन्द सिंह--आपने यह बिलकुल ठीक समझा है।

*४२-४३--श्री रामलखन (अनुपस्थित)--[२६ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)--[१२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

३--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)--[१२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय डिग्री कालेजों में वेतन का क्रम

४--श्री कृष्णशरण आर्य--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा राजकीय डिग्री कालेज, रामपुर के मुख्याधिष्ठाताओं (प्रिन्सिपलों) तथा अन्य अध्यापकों के वेतन-क्रम पृथक-पृथक क्या हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--इन डिग्री कालेजों में वेतन क्रम इस प्रकार हैं।

डिग्री कालेज, ज्ञानपुर तथा नैनीताल

प्रिंसिपल--५००-५०-१००० प्र० रो० ५०-१२०० जोड़ १०० प्रतिमास विशेष वेतन।

प्रोफेसर--५००-५०-१००० प्र० रो० ५०-१२०० रु०।

सहायक प्रोफेसर--२५०-२५-४०० प्र० रो० ३०-७०० प्रा० रो० ५०-८५० रु०।

रजा डिग्री कालेज, रामपुर --

प्रिंसिपल--२५०-२५-४०० प्र० रो० ३०-७०० प्र० रो० ५०-८५० रु०।

सीनियर लेक्चरार--२५०-२५-३७५ प्र० रो० २५-५०० रु०।

जूनियर लेक्चरार--२००-१०-२५० प्र० रो० १०-३१० प्र० रो० १४-४५० रु०।

जूनियर तथा प्राइमरी स्कूलों में फीस कम करने का प्रस्ताव

५—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जूनियर तथा प्राइमरी स्कूलों की फीस कम करने की बात सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के सन्मुख नहीं है ।

सक्सेरिया शुगर मिल्स बभनान में हड़ताल के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी के कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"सक्सेरिया शुगर मिल बभनान में वहां के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, बोनस तथा रिटेनिंग एलाउन्स सम्बन्धी उचित मांगों के प्रति प्रादेशिक सरकार की उपेक्षा के कारण हुई पूर्ण हड़ताल, जिसमें १,००० कर्मचारी बेकार हो गये हैं तथा दो कर्मचारी श्री फौजदार सिंह तथा श्री रामपति विश्वकर्मा आमरण अनशन कर रहे हैं, से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है ।"

मैं इसमें जानकारी लेना चाहता था कि यह सरकार से सम्बन्धित है या नहीं । इसलिये माननीय गृहमन्त्री जी की उपस्थिति में चाहता था कि वह जब यहाँ मौजूद हों उनकी बात सुनने के बाद मैं फैसला करूं । तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इसका सरकार से सम्बन्ध है या नहीं ।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस किस्म की हड़तालें होती रहती हैं इंडस्ट्रियल कनसर्न्स में और सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता । लेकिन सरकार का एक सम्बन्ध इस मामले से हुआ और वह यह है कि जिस समय कल यह नोटिस आपके सामने पेश की गई ११ बजे, उसके पहले ही १० बजे सरकार की कोशिश थी कि हड़ताल खत्म हो जाय । कल से ही हड़ताल खत्म हो गई और मिल जारी है । इतना सम्बन्ध सरकार से जरूर है ।

श्री अध्यक्ष—फिर अब कोई झगड़ा नहीं है । वह मामला खत्म हो गया है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी मांगे पूरी हुईं और क्या क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस मिल के यूनियन ने मिल को यह नोटिस दी थी कि १० फरवरी, ६ बजे शाम से हम हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जावेंगी । मांगे कई तरह की थी, मसलन् कुछ मजदूरों के क्वाटर्स में तो बिजली लगी हुई है और उनकी मांग थी कि जिनमें बिजली नहीं है उनमें मिट्टी का तेल दिया जाय । कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अपने मुकद्दमे कंसीलियेशन बोर्ड के सामने हार गये थे । उनका कहना था कि फिर उनको नौकर रख लिया जाय । इसी तरह कुछ मजदूरों को तरक्की देने की बात थी क्योंकि आज से डेढ़ साल पहले एक अपील की गई थी मिल मालिकों से कि आप अपने मजदूरों को कुछ तरक्की दे दें मजदूरों का कहना था कि मिल वालों ने इस अपील के मुताबिक कोई तरक्की नहीं दी । उनकी छोटी मोटी और कई मांगे थीं और सब मिला कर २१ मांगे थी । रीजनल कंसीलियेशन आफीसर और लेबर इंस्पेक्टर की कोशिशों से सब मसलों पर समझौता हो गया और केवल एक तरक्की का मसला था । कंसीलियेशन आफीसर के सुझाव के मुताबिक ५०० या ६०० रुपये महीने का बोझ मिल पर पड़ता था । मजदूर जो मांगते थे उसके हिसाब से ४८ हजार रुपये सालाना का बोझ मिल पर पड़ता था । कोई समझौता नहीं हो सका और हड़ताल शुरू हो गई । इन दो सज्जनों में से एक ने तो १२ तारीख से और दूसरे ने १३ तारीख से भूख हड़ताल शुरू कर दी । थोड़े दिन बाद कुछ मजदूरों ने काम शुरू कर दिया । यूनियन ने देखा कि हम

हड़ताल ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकते, इसलिये वह लेबर कमिश्नर के पास आये और शुगर मिल ओनर्स एसोशियेशन के प्रेसीडेंट जो हैं, श्री नारंग, जो स्वयं एक मिल मालिक हैं, उनसे कहा कि आप किसी तरह से हमारा मामला तय करा दें। विशेष झगड़ा इस बात का था कि मिल वाले कहते थे कि जैसे और जगहों पर दिया गया है उसी तरह से दिया है। मजदूरों ने यह कहा कि यदि श्री नारंग, जो कि स्वयं एक मिल वाले हैं कह दें कि जैसे और मिल वालों ने बढ़ाया है उसी तरह से बढ़ाया गया है तो हम मान लेंगे। इस सम्बन्ध में बातचीत हुई और कल समझौता हो गया। बाकी मामलों में समझौता पहले ही हो चुका था। मसलन् यह कि जिन क्वार्टर्स में बिजली नहीं है, उनको दो बोतल मिट्टी का तेल दिया जाय, यह फैसला कंसोलियेशन आफीसर ने पहले ही कर दिया था, दूसरा तरक्की का मामला भी कंसीलियेशन आफीसर ने तय कर दिया था। समझौते में खास वही बात थी उसके तय होने पर कल दो बजे समझौता हो गया और मिल चालू हो गई है।

श्री अध्यक्ष—क्योंकि अब कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, इसलिये इस की इजाजत नहीं देता।

श्री रामसुमेर के विधेयक पर सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने का प्रश्न

***श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। एक सरक्यूलर विधान सभा सचिवालय से जारी हुआ जिसमें यह लिखा हुआ है कि—

"श्री रामसुमेर के विधेयक की नियमानुकूलता तथा इस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या श्री राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार विचार कर ले और यदि आवश्यक हो तो उचित पूर्व मंजूरी अथवा सिफारिश का प्रबन्ध करके १२ फरवरी, १९५४ से पहले ही इस सचिवालय को भेज दे।"

मैं समझता हूं कि इन शब्दों से सचिवालय की सुप्रेमेसी पर बड़ा भारी असर पड़ता है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इससे इस हाउस की सुप्रेमेसी पर चोट पहुंचती है। मैं इस प्रश्न पर हाउस की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या प्राइवेट मेम्बर का बिल जब कि वह हाउस के सामने आता है उस पर सरकार की राय लेना जरूरी है। आशा है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष—मुझसे यह व्यवस्था चाही गई है कि हमारे सचिवालय से ये शब्द लिखे गये हैं कि "प्रश्न पर सरकार विचार कर ले और यदि आवश्यक हो तो उचित पूर्व मंजूरी अथवा सिफारिश का प्रबन्ध करके १२ फरवरी, १९५४ से पहले ही इस सचिवालय को भेज दे।" मैं समझता हूं की इन वाक्यों की कुछ भाषा ठीक नहीं है अनुचित सी है लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि सरकार उस पर विचार कर ले और उसी का अन्तिम फैसला हो। अन्तिम फैसला तो मुझे ही करना होगा लेकिन मैं कानूनी सलाह अवश्य ले लेता हूं। सरकार के उस विभाग से जो कानूनी सलाह देता है और यही उस पत्र का मतलब भी है। मुझे खेद है मेरे सचिवालय से इस तरह के शब्द लिखे गये। आशा है मेरे इस स्पष्टीकरण से अब बात साफ हो गई होगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम दिया गया था उसमें यह विधेयक आज के लिये विचाराधीन था.....

श्री अध्यक्ष—मैं अभी इसी का स्पष्टीकरण कर रहा था। राम सुमेर जी ने मेरे पास अभी इससे पहले एक पत्र भेजा और मैंने यहां आने से पेश्तर ही उसके कागजात मंगाये हैं।

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री अध्यक्ष]

और सरकार का वह विभाग जो कानूनी राय देता है उसकी राय भी मैंने आज मंगा ली है। हमारे दफ्तर में वह आ गयी है और उसे भी मैंने मंगाया है और फिर उसे पढ़कर तब मैं उसके ऊपर निर्णय दूंगा और अगर मैं समझूंगा कि विधेयक वैधानिक रीति से आ सकता है तो अगले असरकारी दिन उसके ऊपर विचार हो सकता है। उसके लिये मैं स्पेशल इजाजत दे दूंगा, बैलट करने की जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने आज के प्रस्तावों के सम्बन्ध में किया और अगर इसकी आवश्यकता पड़ी कि उसके लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी की मंजूरी की जरूरत है तो उनके पास भेज कर मंजूरी मंगा लेने की कार्यवाही भी की जायगी।

कार्य सूची के विभिन्न विषयों के लिए समय विभाजन

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो कार्य क्रम है उसके सम्बन्ध में मैं समय के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसके लिए मैंने प्रस्तावक की राय भी ले ली है। एक तो यह है कि श्री रणंजय सिंह का जो पहला प्रस्ताव है उसके ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है। तो १५ मिनट समय उसके लिये दिया जाय और.....

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर अभी कोई वादविवाद नहीं हुआ है। सिर्फ उनकी स्पीच ७ मिनट की हुई थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो उस प्रस्ताव पर वादविवाद के लिये २० मिनट समय रख दिया जाय और माननीय राजस्व मन्त्री का जो एजेंडा के चौथे नम्बर पर उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक है उसके लिये ४५ मिनट और बाकी दो के लिये बराबर बराबर समय बांट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री पुत्तूलाल और श्री देवकीनन्दन विभव का जो प्रस्ताव है उसके लिये कितना समय हो?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—बाकी समय जो बचे वह बराबर बराबर चारों आइटम में बांट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—चौथा नम्बर तो सरकारी बिल का है। पहले आप असरकारी प्रस्तावों का समय बांट दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—२० मिनट पहले के लिये और एक एक घंटा दूसरे और तीसरे के लिये।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रणंजय सिंह का जो पहला प्रस्ताव है उसके लिये २० मिनट बहुत ही कम है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इसके लिये एक घंटा दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू—(जिला इलाहाबाद)—श्रीमान्, मेरा भी निवेदन यह है कि श्री रणंजय सिंह केवल ७ मिनट ही बोल सकते हैं और इस प्रस्ताव पर मेरा हस्ताक्षर था तो उनके स्थान पर जो बाकी रह गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसके लिये कम से कम डेढ़ घंटा समय होना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—हुजूरवाला, पहले देख लिया जाय कि कितने लोग बोलने वाले हैं, उसके बाद ही आप देख कर समय तय करें। मेरी प्रार्थना है कि पहले प्रस्ताव

पर ज्यादा लोग बोलने वाले हैं इसलिये यह बहुत अच्छा होगा कि पहली स्पीच हो जाय। जैसा कि हमेशा हुआ करता है कि पहले आप २० मिनट समय देते हैं फिर उसके ऊपर संशोधन पेश होते हैं, तीन चार संशोधन पेश होंगे, फिर प्रस्तावक उसका जवाब देंगे तो इस तरह से काफी समय लग जायगा। इसलिये आप पहली स्पीच हो जाने के बाद ही देखकर समय तय करें कि कितने लोग बोलने वाले हैं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय के गैरसरकारी रेज्यूलूशन पर या गैरसरकारी बिल पर एक खास वक्त का तअय्युन कुछ मुनासिब नहीं होगा। इसलिये गैरसरकारी दिन यह भी बहुत दिनों के बाद पड़ा है, काफी अर्से के बाद पड़ा है। यह चाहना कि एक दिन बहुत से रेज्यूलूशन पर बहस करें तो वह बहस ज्यादा कारआमद नहीं होगी। इसलिये एक दिन एक ही या दो रेज्यूलूशन के ऊपर बहस करें और कारआमद बहस हो तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस सम्बन्ध में आप को पूरा अख्तियार है, इस हाउस को भी अख्तियार है कि अगर वह किसी वक्त यह देखें कि बहस ऐसी हो रही है जो गैरजरूरी है तो क्लोजर मूव किया जा सकता है और उस वक्त वह बहस खत्म की जा सकती है। रहा आफिशियल वर्क, यह पहले से ही तय है कि आज नान आफिशियल डे है और अगर उसका काम खत्म हो जाय तो उसके बाद जो वक्त बचेगा वह आफिशियल वर्क के लिये दिया जा सकता है। इसलिये अच्छा नहीं मालूम होता कि स्टैटुटरी रूल्स को बारबार सस्पेंड किया जाय, वैसे आपको भी और सदन को भी यह अख्तियार है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह कोई तरीका अच्छा नहीं है कि बाज आइटम पर १० मिनट दिया जाय और बाज पर २० मिनट दिया जाय। उससे सिवाय इसके कि हाउस का वक्त जाया हो जाय कोई फायदा नहीं होता। १० मिनट और २० मिनट करके चार या छः आइटम की अपेक्षा अगर एक ही आइटम पेश हो और उस पर सबको राय देने का मौका हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा हाउस में मेम्बरान की तादाद भी ज्यादा हो गई है और मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इस तरफ के लोग भी बोलने के ख्वाहिशमन्द हैं लेकिन हुजूरवाला की निगाह अपोजीशन के लोगों पर ही ज्यादा जाती है और यह सही है कि उनका हक ज्यादा है लेकिन इस तरफ के बैठनेवालों का भी कुछ न कुछ तो हक है ही। इस वास्ते मैं यह अर्ज करूंगा कि नान आफिशियल डे पर किसी किस्म की वक्त की पाबन्दी करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। वैसे हाउस को और आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने कुछ सुझाव दिये हैं और उसके ऊपर और भी सुझाव आ गये हैं और मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से कल यह इच्छा प्रकट की गई थी कि आज सरकारी काम भी अगर सम्भव हो तो ले लिया जाय। मैं यह समझता हूं कि आज असरकारी दिन होने पर भी यह मौका मिल सकता है। तो सरकार की मंशा मालूम हो गई है और आज सरकारी काम भी थोड़ा सा होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि कुछ समय नियत हो। अगर समय नियत नहीं होता तो एक ही प्रस्ताव के ऊपर आखिर तक बहस हो सकती है यह सम्भव है। जहां तक मैंने अन्दाजा लगाया है इस तरफ और उस तरफ सबकी इच्छा यही है कि काम समाप्त होकर कुछ सरकारी काम हो जाय। तो ऐसी अवस्था में जब मैंने समय बांटने को कहा था तब तक किसी ने एतराज नहीं किया था और सदन को यह पूर्ण अधिकार भी है कि समय मुकर्रर करे जिससे काम ठीक तरह से चल सके। अगर यह नहीं होता तो काम बहुत सा पड़ा रह जाता है और जब तक क्लोजर मूव न हो वह बहस होती जायगी और फिर सरकारी कार्य तो आज आ ही नहीं सकता। यह भी एक अड़चन पैदा हो सकती है। इसलिये मैं यही सदन की राय देखता हूं कि समय

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री अध्यक्ष]

मुकर्रर हो। इसलिये समय में इस तरह से मुकर्रर करता हूं। ४५ मिनट पहले प्रस्ताव के लिये जो सदन में पहले से पेश हो चुका है उसको देना चाहिये और तीसरे यानी देवकीनन्दन विभव वाले प्रस्ताव के लिये भी ४५ मिनट देता हूं और दूसरे यानी पुत्तूलाल जी वाले के लिये १ घंटा। इस तरह से ढाई घंटे का समय इसमें हो जायगा। अब इसके बाद समय बचेगा तो सरकारी कार्य हो सकता है। तो अब माननीय रणंजयसिंह जी का प्रस्ताव है। वह आये नहीं हैं। श्री कृष्णशरण आर्य का दूसरा नम्बर उस प्रस्ताव को उपस्थित करने वालों की फेहरिस्त में दिखाई देता है तो मैं उनसे कहूंगा कि वे अब उसको जारी रखें।

प्रदेश में एक व्यायामशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प श्री रणञ्जय सिंह जी ने उपस्थित किया था और जिस पर कि वह अपने विचार प्रकट कर चुके हैं उस पर मैं भी हस्ताक्षर करने वालों में से एक होने के नाते अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह संकल्प साधारणतः देखने पर आज जैसा कि वातावरण है हमारे देश का और हमारे प्रदेश का, उसमें शायद कुछ अटपटा सा लगे। व्यायामशाला को आज ज्यादा समयानुकूल अधिकांशतः लोग नहीं समझते क्योंकि जितनी शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कालेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, वहां व्यायाम की प्रणाली पी० टी० अथवा अन्य किसी न किसी रूप से विद्यमान रहती है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप पांच मिनट से ज्यादा न बोलें क्योंकि आधा भाषण प्रस्तावक का तो हो चुका था और आप वही बात कांटिन्यू कर रहे हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य--यह तो कम समय रहेगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि केवल ४५ मिनट हैं और बहुत से लोग बोलना चाहते हैं?

श्री कृष्ण शरण आर्य--कुछ और समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--दो एक मिनट बढ़ा देंगे।

श्री कृष्णशरण आर्य--आज शिक्षा संस्थाओं में पी० टी० और तरह तरह के जो नये प्रकार के व्यायाम प्रचलित हैं उनके होते हुये शायद इस संकल्प की आवश्यकता अधिकांशतः नहीं मानी जायगी। लेकिन इसी संकल्प में जो शब्द हैं "नवयुवकों को सदाचारी, वीर तथा बलवान बनाने के लिये", इनमें यदि हम 'सदाचारी' शब्द पर विशेष विचार करें तो हमें यह अवश्य महसूस होगा कि आजकल की जो कालेजों और स्कूलों के पी० टी० आदि की व्यायाम प्रणाली है, उससे वह लाभ नहीं होता है जो कि प्राचीन काल में हमारे देश को व्यायामशालाओं से प्राप्त होता था। पंचवर्षीय योजना में जन-स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा आदि के जो सामाजिक कार्य हैं, उनके लिये लगभग सवा ६ करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है। उसमें से अब तक लगभग २ करोड़ रुपया व्यय भी हो चुका है। लेकिन उसमें व्यायाम की ओर कोई विशेष संकेत नहीं है, न ही आज तक कोई व्यय इस पर हुआ है और न ही किसी ऐसी

*२८ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

योजना की चर्चा है। ऐसी दशा में जब कि हम स्वतंत्र होने के बाद अपने देश के आज के नवयुवक पर ही आगे की उन्नति आधारित मानते हैं, तो उसका जो चरित्रगठन है, उसका जो सदाचार है उस पर ही उसके आगे का भविष्य पूरा पूरा निर्भर है। आज की जो व्यायाम की प्रणाली है शिक्षा संस्थाओं में वह सदाचार की ओर किस हद तक ले जाती है, वह बात मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी आदरणीय सदस्य जानते हैं और अनुभव करते हैं कि आजकल की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें सदाचार की ओर बहुत ही न्यून ध्यान दिया जाता है और उससे बहुत ही न्यून लड़कों में सदाचार की पूर्ति हो पाती है। ऐसी दशा में इस संकल्प की पुष्टि में मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि यदि हम अपने प्रदेश के नवयुवकों का सदाचार कायम और मतबूत करना चाहते हैं तो उसके लिये प्राचीन प्रकार की व्यायाम-शालाओं की आवश्यकता है जो कि उसको जीवन के आरम्भ में चरित्रगठन के द्वारा ही उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति की ओर ले जा सकती हैं जैसे कि प्राचीन काल में ले ही जाती थीं। इसलिये यदि हम जो पंचवर्षीय योजना का बाकी अंश है उसमें सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध इसके लिये प्रदेश के अन्दर और उसके अन्तर्गत सारे जिलों के अन्दर करा सकें, तो वह एक ऐसा कदम होगा, वह ऐसा चरण होगा, हमारा एक ऐसा प्रयत्न होगा जिसके द्वारा हम अपने यहां के नवयुवकों को आगे का पूरा भार अच्छे प्रकार से संभालने के योग्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प की पुष्टि करना चाहता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, जो रिजोल्यूशन अभी मेरे दोस्त ने हाउस में रख कर अपनी तकरीर जारी रखी मैं उस रिजोल्यूशन की स्पिरिट से बिलकुल मुत्तफिक हूं और उसकी ताईद करता हूं। इस भवन को याद होगा कि इस सूबे के अन्दर जिस्मानी सेहत को तरक्की देने के लिये एक कौंसिल आफ फिजीकल कल्चर कायम थी। मेरा ख्याल यह है कि वह न सिर्फ इस सूबे में बल्कि मुल्क के अन्दर हम लोग पायोनियर थे। वह कौंसिल महकमे तालीम के सुपुर्द थी। महकमे तालीम के वजीर और हमारे सूबे की गवर्नमेंट उसमें काफी दिलचस्पी ली और उसके जरिये से एक संगठन कायम हुआ और उसका संगठन सूबे में भी कायम हुआ और शाखायें बहुत से जिलों में भी फैलाई गईं और उनके जरिये इस काम को काफी तरक्की मिली। लेकिन अभी दो ढाई साल हुये जब कि रिआर्गेनाइजेशन का सवाल जेर गौर था उस वक्त यह कौंसिल आफ फिजीकल कल्चर खत्म हो गई और उसके काम के मुताल्लिक ऐसा कहा जाता है कि वह प्रांतीय रक्षा दल के सुपुर्द हुआ और दूसरे तरीके से वह काम जारी है या रहेगा।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक जिस्मानी सेहत का ताल्लुक है उसकी अहमियत के मुताल्लिक दो रायें कभी भी नहीं हो सकतीं और इस सिलसिले में हम मूसर साहब के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इस सदन को इस तरफ तवज्जुह दिलाई। यह मसला बहुत बड़ा मसला है और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जहां तक माहरीन का ताल्लुक है उन्होंने इस बात को मान लिया है कि इंसान के लिये जहां तक तालीम का ताल्लुक है उसी हद तक जिस्मानी सेहत का भी ताल्लुक है। इसलिये दिमाग और जिस्मानी सेहत दोनों की तरक्की होनी चाहिये। अगर दिमाग तरक्की करता है तो वह नामुकम्मिल रहेगा जब तक कि जिस्मानी सेहत की तरक्की न हो। इसलिये फारेन कंट्रीज के माहरीन ने मान लिया है कि दिमागी तरक्की के साथ जिस्मानी तरक्की का होना भी बहुत जरूरी है। यह ऐसा मसला है कि इसके

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री सुलतान आलम खां]

मुताल्लिक कभी दो रायें नहीं हो सकतीं और इसके मुताल्लिक मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

लेकिन सवाल यह रह जाता है कि इस चीज के लिये किस चीज की जरूरत है और इसको किस तरह से आर्गेनाइज किया जाय। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस मामले की इतनी अहमियत है कि जब तक हम अपने सूबे में इस सिलसिले में एक खास डिपार्टमेंट न खोलें, एक खास शोबा न खोलें उस वक्त तक इसकी तरक्की नामुमकिन है। मैं इसको मानता हूं कि हमारे तालीमी इदारों में, यूनीवर्सिटीज में, खेलों और कसरत वगैरह का माकूल इन्तजाम होता है। इसके जरिये जो लोग वहां पर तालीम पाते हैं उनका किसी न किसी हद तक जिस्मानी सेहत की तरक्की का ख्याल रखा जाता है। अव्वल तो यहां यह काम जितना अंजाम पाता है वह अपनी जगह पर नामुकम्मिल है। इसके अलावा हम सोचते हैं कि वहां ही नौजवान नहीं, जो कि तालीम पाते हैं बल्कि उसके बाहर भी बहुत से नौजवान हैं। इन ऐजूकेशनल इंस्टीटयूशन्स के अन्दर तो नौजवानों का एक फ्रिकशन है, लेकिन ज्यादातर नौजवान लोग ऐसे हैं जो कि बाहर हैं, उनके लिये भी हमें कुछ न कुछ करना है।

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है और जिन साहब ने यह रिजोल्यूशन पेश किया है उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है कि सदन की इस तरफ तवज्जुह दिलाई है। हमें इस तरफ खास तवज्जुह देना है कि हम अपने मुल्क के अन्दर जिस्मानी सेहत की तरक्की के सवाल को देखें जब कि बिलखसूस ऐसे वक्त में जब कि हमारा मुल्क बहुत खतरे में है, हमें अपने नौजवानों की जिस्मानी सेहत की तरक्की की तरफ अपनी तवज्जुह देना है। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस काम को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। पहले जिस तरह से कौंसिल आफ फिजीकल कल्चर थी उसी तरह की कोई चीज दोबारा कायम की जाय और उसके जरिये से उसका संगठन तमाम जिलों में फैलाया जाय। सूबे के हर जिले में इसकी शाखाएं होनी चाहिये। इसको बढ़ाकर अगर इसकी शाखायें तहसीलों में की जा सकें तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जगह जगह अखाड़े खोले जायं और वहां इस बात का इन्तजाम करें कि लोग बंदूक वगैरह चलाना सीखें और कसरत का भी माकूल इन्तजाम करें। इसके अलावा हैल्थ कम्पटीशन्स कायम करें जिससे लोगों का ख्याल जिस्मानी सेहत की तरफ जाय। अगर हमने यह चीज अपने सूबे में कर दी तो इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जब कि मुल्क के सामने खतरे का सवाल है अब भी अगर हमने इस तरफ अपनी तवज्जह न दी तो हमारी कौम दुनिया की और कौमों से बहुत पीछे रह जायगी। जहां तक जिस्मानी सेहत का सवाल है हमारी कौम वैसे ही दूसरी कौमों के मुकाबले में बहुत पीछे है और अगर हम अब भी इस तरफ तवज्जह नहीं करेंगे तो मैं यह अर्ज करूंगा कि मैटिरियली और स्पिरिचुअली हम कितनी ही तरक्की कर लें लेकिन दुनिया में इन्सान की बाडीली तरक्की भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी कौम के लोगों के एक अच्छा और तन्दुरुस्त दिमाग एक अच्छे और तन्दुरुस्त जिस्म के साथ वाबस्ता नहीं है तो वह कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट इस मसले पर गौर फरमाये और वह कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर फिर रिवाइव की जाय और उसको आर्गेनाइज करने के लिये तमाम सूबे के अन्दर इस किस्म के अखाड़ों का जाल बिछाने की कोशिश की जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे सूबे में खेल-कूद और व्यायाम पर तवज्जह जरूर दी जाती है लेकिन जितनी

होनी चाहिये उतनी नहीं हुई और उसमें काफी कमी है। मैं मूथम कमेटी की रिपोर्ट की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मूथम कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इलाहबाद यूनिवर्सिटी में जितनी खेल-कूद की जमीन होनी चाहिये वह बहुत नाकाफी है और जाहिर है कि १५ वर्ष पहले जब यूनिवर्सिटी में १,८०० लड़के थे और उनके लिए जितने प्ले-ग्राउंड्स होने चाहिये थे वह गालिबन अब भी उतने ही हैं और उनमें भी शायद कमी हो गयी है और वह भी जब कि यूनिवर्सिटी के लड़कों की संख्या ६,००० के करीब हो गई है। तो जैसी सुविधा पहले १,८०० लड़कों के लिए थी वही अब भी है। यही हालत हमारे स्कूलों की है। हमारे स्कूलों में जहां १५ वर्ष पहले एक खेल-कूद का स्थान था एक प्लेग्राउंड था उसी स्कूल में आज दो-दो तीन-तीन शिफ्ट चल रहे हैं, जिसमें एक एक शिफ्ट में ८—८ सौ लड़के हैं और अब भी उतनी ही सुविधा है, जितनी कि १५ वर्ष पूर्व थी। यही हालत कालिजों की है और जो गवर्नमेंट एडेड संस्थाएं हैं उनमें रुपये की कमी है और जितनी तवज्जह इस तरफ देनी चाहिए मेरे ख्याल में नहीं दी जा रही है।

अगर आप किसी स्कूल में जायं, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि स्कूल के लड़कों की तरफ आप देखें, तो शारीरिक दृष्टि से उनकी अवस्था दयनीय मालूम पड़ती है यह भी आज जरूर है कि जो खाने-पीने की चीजें उनको मिलनी चाहिए उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, वे आज हमारे इस युग के लड़कों को और नौजवानों को प्राप्त नहीं हैं। जहां पहले घी मिलता था, वहां आज दाल्दा और दाल्दा भी घटिया किस्म का दाल्दा है। इसके ऊपर पली हुई पौध आगे चल कर बीस-पच्चीस वर्ष के बाद क्या करेगी, इसका हम अनुमान ही कर सकते हैं। मेरे विचार में यह परिस्थिति बहुत ही गम्भीर है, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ियों पर और आज-कल के नौजवानों पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। उनकी शारीरिक और जिस्मानी बातों की तरफ हमको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये। उसके लिए, जैसा मैंने निवेदन किया स्कूलों में, कालिजों में, यूनिवर्सिटीज में जितनी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिये वे आज नहीं मिल रही हैं। उसके साथ-साथ श्रीमान्, मैं और एक बात निवेदन कर दूं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे यहां पहले पुरानी परिपाटी थी कि शहरों में अखाड़े हुआ करते थे और उनमें उस्ताद होते थे और मुहल्लों के अन्दर व्यायाम की शिक्षाएं होती थीं, लेकिन आज नयी सुविधा तो हम उनके सामने नहीं रख रहे हैं, वह जो पुरानी संस्थाएं हैं वह भी आज सूखती चली जा रही हैं और म्यूनिसिपैलिटीज की तरफ से और सरकार की तरफ से जितनी उनको मदद मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल रही है। पहले हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे, जो मालदार व्यक्ति थे जो ऐसी संस्थाओं को सहायता दिया करते थे, लेकिन आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है और ऐसे लोग, जमींदार या धनी लोग, उनकी संख्या, अब कम होती चली जाती है। तो अब यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है या सर्वसाधारण जनता के ऊपर आ जाती है ऐसी संस्थाओं की वह देख-रेख करे और ऐसी संस्थाओं को और ज्यादा पनपने का मौका दे। न कि जो संस्थाएं पहले की थीं वे भी कुम्हलाती चली जायं और जो सुविधा पहले लोगों को मिलती थी वह भी न मिले। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे शहरों में जो खुले मैदान, पार्क थे वह भी म्यूनिसिपैलिटी की गैरतवज्जहगी की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। मेरे शहर में मुहम्मद अली पार्क था जहां लोग शाम को जाते थे। लड़के भी जाते थे। खेलते भी थे। अब वहां शरणार्थियों की दूकानें हो गयी हैं। यह तो मैंने अपने शहर का नमूना पेश किया। लेकिन यह बातें करीब-करीब सब जगह मिलेंगी। खुले मैदानों पर लड़कों को व्यायाम की सुविधा ही खत्म होती जा रही है। ऐसी हालत में बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से हर जिले में—अभी एक संशोधन आया है जिसमें कहा

[श्री शिवनाथ काटजू]

गया है कि सूबे के स्थान पर हर जिले में कर दिया जाय—मैं उसका समर्थन करूंगा। हर जिले में कम से कम सरकार की ओर से एक माडल संस्था होनी चाहिये जहां पर हर प्रकार के व्यायाम की तरफ लड़कों की तवज्जह दिलायी जाय और उनको मौका दिया जाय कि वह अपने शरीर को मजबूत और पुष्ट बना सकें।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणंजय सिंह के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

संकल्प की पहली पंक्ति में शब्द "बलवान" के आगे शब्द "और निर्भय" जोड़ दिये जायं तथा शब्द "जाय" के आगे शब्द "जहां मल्ल विद्या, धनुर्विद्या और पाश विद्या की भी शिक्षा दी जाय सके" जोड़ दिये जायं।

श्रीमान् जी, यह जो मेरा दूसरा संशोधन है उसमें सिर्फ इतना रखना चाहता हूं—

संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "उत्तर प्रदेश" के आगे शब्द "के हर जिले" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने रखा है उसमें निर्भय शब्द जो है वह एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यह हमारे देश की परम्परा रही है कि कोई आदमी वीर हो, बलवान भी हो, फिर भी अगर वह निर्भय नहीं है तो बेकार हो जाता है। मैं इस सम्बन्ध में महाभारत की मिसाल पेश करता हूं। जिस समय अर्जुन महाभारत में गये तो उन्होंने वहां पर देखा कि बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथी मौजूद हैं। तो उनको भय प्राप्त हो गया यद्यपि वह महाबलवान् और वीर थे। इसपर कृष्ण भगवान ने गीता की शिक्षा दी और निर्भयता का पाठ पढ़ाया जिससे उन्होंने निर्भय होकर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इसी परम्परा को लेकर हमारे पूज्य बापू जी ने भी कहा कि जो निर्भय है वही अजेय है। इस वाक्य के ऊपर ही हमने जहां पर अंग्रेजों में शस्त्र बल था, पाशविक शक्ति थी, राजदंड था वहीं पर हमारी शक्ति निर्भयता थी, अहिंसा थी जिससे हम स्वतंत्र हुए। इसी परम्परा को लेकर हमारी सरकार भी चल रही है। मिसाल के तौर पर जब पूज्य नेहरू जी अमेरिका गये तो वहां पर उन्होंने अमेरिका की तमाम शक्तियां देखी थीं जो पाशविक शक्तियां हैं। अब अन्त में श्री ट्रूमैन ने पूछा कि आप हमारे देश के लिये क्या संदेश देते हैं तो उन्होंने कहा कि "निर्भयता"। इस कथन को उन्होंने कोरिया में कार्य रूप में परिणत किया। हमारे देश के नौजवान जब कोरिया में गये तो उन्होंने बड़ी निर्भयता के साथ सेवा की। यहां तक कि ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बड़े-बड़े सेनापतियों ने इस बात को महसूस किया कि कोरिया के अन्दर हमारे भारतीय सिपाही जो ज्यादातर वहां पर गये हुए हैं वे अगर निर्भयता न रखते होते तो आज उन जैसे उद्दण्ड कैदियों को कोई रोक नहीं सकता था और उन्होंने इस बात को भी कबूल किया है कि अगर हमारे सैनिक होते तो निष्फल हो जाते क्योंकि वे इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने निरस्त्र होकर भी उन्हें अपने काबू में रक्खा। हमारी यही परम्परा रही है कि हमारे नौजवानों में निर्भयता जो उनमें बचपन से ही भरी जाती है और इसी कारण वे बड़े होनहार और वीर होते हैं।

दूसरी चीज है मल्ल विद्या। मल्ल युद्ध की भावना पशुओं, पक्षियों और मानव में एक स्वाभाविक गुण है जो अपने आप जीवों को युद्ध में आकर्षित करता है। आप पुराने जमाने से देखिये मल्ल युद्ध में बड़े-बड़े लोग अवतीर्ण हुए हैं जैसे नरसिंह, बाराह, भीम आदि। आधुनिक समय में हमारे इस देश के अन्दर मल्ल युद्ध का जो

थोड़ा बहुत प्रचार है उसमें भी दारासिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के किंगकांग जैसे बड़े-बड़े मल्लों को चाहे अमेरिकन स्टाइल में कुश्ती हो या हिन्दुस्तानी कुश्ती हो उसमें सबमें पछाड़ सकते हैं। इससे मल्ल विद्या का प्रचार अखाड़ों में होना चाहिये। हमारे यहां स्कूल के लड़कों को कसरत कराई जाती है, लेकिन उनका शरीर पुष्ट हो, सुडौल हो उसके लिये अखाड़े ही ऐसी जगह हो सकते हैं जहां कुश्ती से वे अपने शरीर को पुष्ट बना सकते हैं और अपनी परम्परा के अनुसार वे वीर से महावीर बन सकते हैं।

अब मैं धनुर्विद्या पर आता हूं। धनुर्विद्या हमारे यहां प्राचीन काल से बहुत बड़ी चीज है। इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। थोड़े में यह कह देना चाहता हूं कि धनुर्विद्या जो है वह संसार में महान् विद्या रही है। यू० पी० सरकार ने अपना प्रतीक धनुष बाण को रक्खा है। धनुष बाण को आजकल भी देश रक्षा के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है और सुरक्षा के लिये भी इसका इस्तेमाल बहुत उपयोगी है।

❀ **महाराजकुमार बालेन्दुशाह** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में पूरे सदन की राय एक सी ही प्रतीत होती है लेकिन जो अवसर मिला है उसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के संबंध में घपला प्रतीत होता है उसका मुख्य कारण यह है कि आजकल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा जो पहले एक्सट्रा करीकुलम एक्टिविटीज होती थीं। उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटीज की एक मुख्य शाखा यह थी कि व्यायाम, स्पोर्टस में हर विद्यार्थी का भाग लेना अनिवार्य सा रहता था। आजकल यूनीवर्सिटीज में या स्कूलों में पैसे की कमी के कारण या और किसी कारण से इस संबंध में कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण विद्यार्थी क्लासेज में जितने वक्त तक रहते हैं उसके अलावा २४ घंटों में जो समय उनके पास बचता है उनमें उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें वह समय व्यतीत कर सकें और समय ही व्यतीत न कर सकें बल्कि उससे लाभ भी उठा सकें। स्पोर्ट्स यह एक ऐसी चीज है जिसमें विक्ट्री और डिफीट का अवसर मिलता है। जो जीतता है उसे भी खुशी होती है और वह हमेशा जीतने का प्रयत्न करता है और जो हारता है उसे जीतने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह से स्पोर्ट्स में हर एक को साहसी और डिसिप्लिंड बनने का मौका मिलता है। इस संबंध में मैं अधिक न कहकर उधर एक सदस्य महोदय ने जो कहा उसका समर्थन करता हूं कि पुराना जो कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर था उसको रिवाइज करना चाहिये लेकिन जैसा वह चल रहा था वह ठीक नहीं था और उसमें बहुत हद तक सेमी गवर्नमेंट बाडी बनाना आवश्यक है और फिर कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर के अधिकार आपको बढ़ाने पड़ेंगे जिससे यह काम चल सके। इसके सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये चाहे राजनीतिक हो, या सामाजिक हो। एक प्रकार से इसको कारपोरेशन बनाने के दाम, एक पूर्ण बाडी बन जाय तो मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश में जो विद्यार्थी और जो अगली सन्तान होगी और जिसके हाथ में इस प्रदेश का शासन होगा वह बलवान और योग्य बन सकेगी।

इस संबंध में मैं यह भी भी कहना चाहता हूं कि यह जो स्पोर्ट्स है इससे दो विशेष लाभ है एक शारीरिक और दूसरा मानसिक लाभ और हमारे आजकल के विद्यार्थियों में यह मानसिक डिसिप्लिन भी लैकिंग है। इस संबंध में मैं ठाकुर फूलसिंह से कहूंगा कि इस संबंध में जो काम आप रक्षा दल से निकाल रहे हैं उसके लिये अगर विद्यार्थियों में यह स्पोर्ट्स बढ़ा दिये जायं तो यह रक्षा दल की फौज में और भी सहायता देने के लिये एक नया संघ पैदा हो जायगा जो कि उनके और सरकार के काफी काम आयेगा और थोड़ा बहुत उन विद्यार्थियों को भी इससे लाभ पहुंचेगा।

❀ यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

अन्त में मैं यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ की जनता भी सबसे अधिक है और यहाँ पर ५ यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन खेद है उनमें स्पोर्ट्स का ध्यान बहुत कम है और उसी वजह से स्पोर्ट्स में यह सबसे पिछड़ा हुआ है। सब जगह इनकी यूनिवर्सिटी उन बड़े शहरों में है। कलकत्ता की वहीं कलकत्ता में है, बम्बई की बम्बई में है। इसी वजह से वहाँ पर संगठन आसानी से हो सकता है। इसलिये मैंने कहा कि ऊपर का एक आर्गनाइजेशन बनाया जाय और उसके अधिकार बढ़ाये जायं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) ––माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इसके समर्थन में मैं कुछ बोलना चाहती हूं। इसके जहाँ तक मूल सिद्धांत का संबंध है वहाँ तक मेरा पूर्ण समर्थन है लेकिन साथ ही जहाँ पर शब्द आता है "नवयुवकों" का वहाँ पर मेरा मतभेद हो जाता है। यह भवन इस बात को भूल जाता है कि जितना महत्वपूर्ण संकल्प यह पुरुषों के लिये है उतना ही यह स्त्रियों के लिये भी हो सकता है। जहाँ सवाल आता है नवयुवकों को सदाचारी और बलवान् बनाने का, वहाँ पर स्त्रियों के लिये भी वही चीज हो जाती है। मैं यहाँ पर सदन का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहती हूं कि इस समय जो मेरे भाई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वह ऐसे समय से शुरू हो जाता है जहाँ पर वह स्कूलों में शिक्षा पाते हैं।

श्री अध्यक्ष––आप कुछ संशोधन इसमें करना चाहती हैं?

श्रीमती चन्द्रवती––जी हाँ।

श्री अध्यक्ष––तो आप उसको मेरे पास भेज दें। मैं समझता हूं कि इतने थोड़े समय के लिये संशोधन पेश करने में किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती चन्द्रवती––धन्यवाद है, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये।

मैं सोचती हूं कि लड़कियों के स्कूलों में उनके स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध होना चाहिये। उनके प्रश्न को क्यों भुला दिया जाता है। यदि माता स्वस्थ है तो बच्चे का आधा स्वास्थ्य तो वह गर्भावस्था में ही बना सकती है। फिर यदि माताओं और बहनों को स्वास्थ्य की शिक्षा दी जायगी तो वे इसकी गम्भीरता को भी सोच सकेंगी। वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिये और भी अच्छी व्यवस्था कर सकेंगी। जैसा मातायें बच्चे के पालनपोषण के समय उसके स्वास्थ्य के लिये ध्यान रखती हैं, उससे भी नवयुवकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक सवाल आता है और बातों का, मैं सोचती हूं कि हर जिले में जहाँ नवयुवकों के लिये व्यायामशालायें हों वहाँ नवयुवतियों के लिये भी हों।

यदि उन्हें राइफिलों और हथियारों की शिक्षा दी जाय, तो और भी अच्छा होगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि स्त्रियों को क्या जरूरत है और वे क्या करेंगी। मैं एक मिसाल पेश करना चाहती हूं। अभी ज्यादा वर्ष नहीं हुये हमारे यहाँ की एक स्त्री जिसको कि झांसी की रानी कहा जा सकता है, उनकी मिसाल को हम भूल जाते हैं। यदि उसने बाल्यावस्था में इस शिक्षा को न पाया होता तो वह आजादी के प्रश्न को गम्भीरता से समझ कर अपना इस प्रकार साहस नहीं दिखा सकती थी। इसलिये यह प्रश्न स्त्रियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

मेरे एक भाई ने डालडा का प्रश्न उठाया। यह सही है कि डालडा का प्रश्न हमारे देश से खत्म हो जाना चाहिये। इसके बहुत दिनों के इस्तमाल से मनुष्य अंधा हो जाता है और हम इस पर निर्भर रहेंगे तो घरों में गोरक्षा का प्रश्न भी हल नहीं हो सकता है। जो दूसरी पार्टी के आदमी हमारे देश में जनता की भावनाओं से नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं तो यह प्रश्न हम सब लोगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिये डालडा का मैं विरोध करती हूं।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न सामने नहीं है। उन्होंने वैसे ही जिक्र कर दिया था।

श्रीमती चन्द्रवती--स्वास्थ्य के संबंध में इसका जिक्र है। अन्त में मैं और अधिक न कहते हुये केवल इतना कहती हूं कि स्त्रियों के प्रश्न को भी उतनी महत्ता दी जाय जितनी कि इस सदन में पुरुषों के लिये है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया) --माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रणंजयसिंह जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है। उसका स्वागत करने में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि ये व्यायामशाला प्रदेश के जवानों को वीर, सदाचारी और बलवान बनाने की प्रेरणा से माननीय रणंजयसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है तो फिर व्यायाम की किस्मों की ओर हमारा ध्यान जाता है। आज दो प्रकार के व्यायाम की प्रणालियाँ हैं। इनमें एक तो पुरातन प्रकार की है और एक वर्तमान। पुरातन प्रणाली के व्यायाम धनुर्विद्या, मल्ल विद्या, मुकदर आदि इस प्रकार के व्यायाम पुरातन प्रणाली के व्यायामों में आते हैं और आजकल के प्रचलित व्यायाम हाकी, फुटबाल, क्रिकेट और बालीबाल आदि नवीन प्रणाली में है। जब माननीय रणंजय सिंह जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया तब उनकी मंशा यही थी कि जो व्यायाम आजकल प्रचलित हैं या जो पुरातन व्यायाम है उनमें त्रुटियाँ आ गयी हैं उनको यह प्रान्तीय सरकार ठीक करे और उनमें प्रवीणता लाने के लिये केन्द्र में एक व्यायामशाला स्थापित करे और उसमें नवयुवकों को शिक्षा दी जाय। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने पिछले दिनों हुई अमेरिकन स्टाइल की कुश्तियों को देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि किंगकांग ने जो प्रदर्शन किये जिससे कई बार दारासिंह की जोड़ बराबर रही और एक जगह वह हारा भी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूं इसमें मानवता का ह्रास है, उसका उपहास है। इस प्रणाली में एक पहलवान दूसरे पहलवान को मृतप्राय कर देता है। पहला आदमी जीतनेवाला होता है और दूसरा जो मृतप्राय हो जाता है वह हारने वाला है। ११-१२ वीं सदी में अगर यह परिपाटी रही होती तो कुछ माना भी जा सकता था जबकि राजा लोग अपने ऐश और मनोरंजन के लिये लोगों को जिन्हें वे मृत्यु दंड दिया चाहते थे, भैंसों से कुश्ती लड़वाते थे। उसी तरह की यह परिपाटी है। मैं अमेरिकम स्टाइल की कुश्ती का विरोध तो नहीं करता, लेकिन उसे पाशविकता का नमूना समझता हूं। मैं चाहता हूं कि कुश्तियां हों, लेकिन वह गलत तरीके से न हो। इसलिये किसी देशी या विदेशी प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा इस केन्द्र में शिक्षा दी जाया करे, ऐसा प्रबन्ध किया जाय। अभी-अभी कुछ लोगों ने यह संशोधन उपस्थित किया कि प्रान्त में एक स्थान पर ही नहीं बल्कि प्रान्त के हर जिले में भी इस प्रकार के केन्द्र खोले जायं लेकिन मैं तो इस प्रस्ताव को पढ़ने से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी का मतलब हर जिले में व्यायाम केन्द्र खोलने का नहीं था, यानी उस तरह से इस योजना को चालू करने का नहीं था, जैसे कि सरकार की और योजनायें चलती हैं, बल्कि इस प्रस्ताव के द्वारा वे यह चाहते थे कि प्रान्त में लोगों को शिक्षित करने के लिये एक केन्द्र खोला जाय और उसके सब खर्चे के लिये सरकार जिम्मेदार हो। खाने, पीने, सदाचार, आचरण, शिक्षा आदि की सारी जिम्मेदारी सरकार की हो। उसी स्थान से प्रान्त में विस्तार के लिये दीक्षा दी जाया करे। मैं हर जिले में ऐसे केन्द्र स्थापित होने का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि इस प्रांत में एक ऐसा विद्यालय खोला जाय जिसमें लोगों को हर प्रकार के व्यायाम की शिक्षा व दीक्षा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री रतनलाल जैन का संशोधन जो हर जिले के बारे में है उसमें श्री नारायणदास पासी का जो दूसरा प्रस्ताव है वह निहित हो जाता है। अतः अब श्री रामदास आर्य सिर्फ अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--मैं इसको पेश करना नहीं चाहता हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—मेरा एक संशोधन १२ वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाय, ऐसा भी है। मैं चाहता हूं कि मुझे पेश करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, लेकिन १२ वर्ष तक के बालकों का जहां तक मामला है, मैं समझता हूं कि वह कोई बहुत महत्व का नहीं मालूम होता है क्योंकि इसमें नवयुवक शब्द भी लिखा है और उसमें १२ वर्ष के बालक भी आ जाते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन पेश करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब मैं निर्णय कर चुका हूं समय बहुत कम है।

अब मैं माननीय फूल सिंह जी से, जो इसके इंचार्ज हैं, कहूंगा कि वह सरकारी दृष्टिकोण को सदन के सामने रखें।

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। जो जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं उन पर विचार किया जायगा और उनको कार्यरूप में परिणत किया जायगा। अभी तक हम जो काम इस संबंध में करते हैं वे तीन तरह के हैं। एक तो प्राविंशियल हेड क्वार्टर पर एक सालाना स्पोर्ट्स मीट करता है, जिसमें तमाम प्रान्त के जिले-जिले में मुकाबले के खेल होकर जो अच्छे खेलाड़ी होते हैं वे ही यहां आते हैं। इसके साथ ही साथ जिले में हमने एथेलेटिक्स ट्रेनिंग के लिये भी एक योजना बनायी है। चुनान्चे हमारे माननीय सदस्यों ने अभी अखबारों में पढ़ा होगा कि लखनऊ और रामपुर में ऐसी ट्रेनिंग देने के लिये बहुत सारे कम्पटीशन होते हैं, लेकिन दूसरी बात जिसके ऊपर यहां विशेष रूप से चर्चा हुई वह व्यायामशालायें कायम करने के संबंध में है। हमारे प्रान्त में इस समय भी तीन बड़ी-बड़ी व्यायामशालायें हैं, जिनमें झांसी में लक्ष्मीबाई व्यायाम शाला है बनारस में काशी व्यायामशाला है, और रामपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इनको भी सरकार हर साल सहायता देती है। इनके अलावा सरकार ने इस साल यह निश्चय किया है और माननीय सदस्यों ने पार साल बजट पास भी कर दिया कि हम १२ जिलों में हर साल व्यायामशालायें खोलेंगे। इस तरह से दो तीन साल के अन्दर हर जिले में व्यायामशालाएं खुल जायंगी। उनमें भी एक व्यायामशाला शहर में होगी और एक देहात में होगी। उनके लिये सामग्री के रूप में हम लगभग १ हजार रुपया खर्च करेंगे। उन व्यायामशालाओं के लिये हम एक एक इंस्ट्रक्टर भी रखेंगे, जिसमें १०० रुपया मासिक खर्च है। तो इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारी जो यह योजना है वह केवल लखनऊ हेड क्वार्टर के लिये ही नहीं है बल्कि इसको जिले-जिले में फैलाया जाय और जिले में भी इसे केवल शहरों में ही न रखा जाय, बल्कि देहातों में भी रखा जाय। एक माननीय मेम्बर ने इस बात की चर्चा की कि यह गैरसरकारी योजना हो तो अच्छा है। मैं उनसे सहमत हूं। चुनान्चे योजना यह है कि जिले में लोग ऐसी सोसाइटीज बनावें और उनको रजिस्टर्ड करावें और यह सब सामान उनको दे दिया जाय, इंस्ट्रक्टर भी दे दिये जायं तो इस तरह से आप देखेंगे कि नानआफिसियल कैरेक्टर कायम रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि यहां राइफिल ट्रेनिंग की भी चर्चा की गयी। चूंकि हमने हर जिले में १०० राइफलें पी० आर० डी० की ट्रेनिंग के लिये दी हैं और इस समय करीब ६ लाख के पी० आर० डी० के हमारे जवान हैं। इस तरह से यह भी हम विचार कर रहे हैं कि ये सोसाइटियां जो जिलों में रजिस्टर्ड हों वे राइफल क्लब भी बनावें। चुनान्चे यह खुशी की बात है कि कम से कम एक जिले में तो वहां नवयुवकों ने भी और नवयुवतियों ने भी ट्रेनिंग पाना शुरू कर दिया है और हम विचार कर रहे हैं कि हम इस योजना को तमाम प्रान्त में फैलावें।

मैं समझता हूं कि यह योजना अधूरी ही रहेगी जब तक हम इसके साथ-साथ बच्चों में भी खेलने का कुछ प्रबन्ध न कर दें। इसके लिये हम यह सोच रहे हैं कि जहां व्यायामशालायें बनें वहां जवानों के लिये कसरत के सामानों के साथ-साथ बच्चों के खेलने के सामान भी हों। बच्चों का और स्त्रियों का भी प्रबन्ध हो जाय तो शायद ज्यादा सम्पूर्ण चीज बन जाय ऐसा विचाराधीन है। यह खुशी की बात है कि विद्यार्थियों के संबंध में यहां चर्चा की गई और स्त्रियों के संबंध में चर्चा की गई, लेकिन ये ऐसे विषय हैं जिन पर और ध्यान दिया जाना चाहिये। हम अभी तक हर साल एक लाख ४० हजार रुपये प्रान्त में इन योजनाओं पर खर्च करते हैं और इस साल हम सोच रहे हैं कि इस चीज का बड़ा महत्व है और अब तक उसको उचित स्थान नहीं मिलता था, लेकिन हमारे विचाराधीन अब यह बात है कि एक स्पोर्ट्स फेस्टीवल प्रान्त में होना चाहिये जहां प्रान्त के हर प्रकार के लोग आयें और इस ओर एक स्थायी कदम उठाया जा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो चीजें अभी विचाराधीन हैं और जो काम हो रहे हैं वे सब मिल कर काफी संतोषजनक हो जायेंगी।

इसके अलावा हर जिले में प्लानिंग कमेटी को हम रुपया देते हैं ताकि वह जिले के देहातों में अखाड़े और दंगल वगैरह करावे। तो इस तरह से अपने-अपने जिले में प्लानिंग कमेटी में लोग देखें कि रुपया जो वहां जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं।

इस तरीके से बहुत लम्बी चौड़ी योजना सरकार के विचाराधीन है और बहुत अंश तक हम उसपर भी कर रहे हैं।

जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने है मैं उसका समर्थन करता हूं और ठीक भी है।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले संशोधन ले लेता हूं और उसके बाद प्रस्ताव लूंगा पहला संशोधन श्री नारायणदास जी का है। उसमें उनके दो संशोधन एक में मिला दिये गये हैं। लेकिन मैं अलग अलग लेता हूं इस लिये कि "हर जिले में" इन शब्दों का जो उनका संशोधन है उसका विरोध भी किया गया है। इसलिये मैं उसको दो हिस्सों में किये देता हूं—

प्रश्न यह है कि संकल्प जो इस प्रकार है इस सदन का यह निश्चित मत है कि नवयुवकों को सदाचारी, वीर तथा बलवान बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में एक उच्च कोटि की व्यायाम शाला शीघ्र स्थापित की जाय। की पहली पंक्ति में शब्द 'बलवान' के आगे शब्द 'और निर्भय' जोड़ दिये जायं तथा शब्द जाय के आगे शब्द "जहां मल्ल विद्या, धनुर्विद्या और पाश विद्या की भी शिक्षा दी जा सके" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(एक क्षण ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "उत्तर प्रदेश" के आगे शब्द "के हर जिले" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(एक क्षण के अनन्तर)

श्रीमती चन्द्रवती जी का संशोधन भी है। उन्होंने यह शब्द रखे हैं कि संकल्प की प्रथम पंक्ति में शब्द "नवयुवकों" और शब्द "को" के बीच में शब्द "और युवतियों" रख दिया जाय?

प्रश्न यह है कि श्रीमती चन्द्रवती जी का उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री अध्यक्ष]

उनका दूसरा हिस्सा यह है कि अन्त में श्री नारायणदास जी का संशोधन शब्द "मल्ल विद्या, धनुर्विद्या और पाश विद्या" के पश्चात "तथा राइफिल ट्रेनिंग" रख दिये जायं।

प्रश्न यह है कि "मल्ल विद्या, धनुर्विद्या और पाश विद्या" के स्वीकृत संशोधन के बाद "शब्द राइफिल ट्रेनिंग" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं संशोधित संकल्प पेश करता हूं और वह इस प्रकार होगा:---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि नवयुवकों और नवयुवतियों को सदाचारी, वीर तथा बलवान और निर्भय बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक उच्च कोटि की व्यायामशाला शीघ्र स्थापित की जाय, जहां मल्ल विद्या, धनुर्विद्या और पाशविद्या तथा राइफल ट्रेनिंग की शिक्षा भी दी जा सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अन्य प्रत्येक चुनाव समिति में परिगणित जाति के सदस्यों को नियुक्त करने का संकल्प

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :---

"इस सदन की निश्चित राय है कि परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १८ प्रतिशत संरक्षण को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव के लिये अन्य प्रत्येक चुनाव समिति (Selection Board) में कम से कम एक सदस्य परिगणित जाति का नियुक्त किया जाय।"

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---प्वाइंट आफ आर्डर सर. अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव वैसे बहुत अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसमें एक वैधानिक आपत्ति मालूम होती है। मैं इसे आपके द्वारा साफ करना चाहता हूं। जो हमारा विधान है उसकी ३१६ दफा जो है उसमें यह दिया हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को राज्यपाल नियुक्त करेगा। अगर यह प्रस्ताव यहां डिस्कस हो जाय और पास हो जाय तो उसमें क्या कोई फर्क पड़ सकता है। इसको मैं आपके विचारार्थ रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे असेम्बली के रूल्स बने हुये हैं, उनमें ७९ धारा के सब क्लाज २ में यह लिखा हुआ है कि "उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा।" जो संकल्प यहां पेश किया गया है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर की नियुक्ति की भी बात है तथा सेलेक्शन बोर्ड की भी बात है। इसी की धारा ७७ से भी यह अवैधानिक सा मालूम होता है।

और दूसरी बात यह है कि इसी के नियम ७९ के अन्तर्गत सब क्लाज (३) में लिखा हुआ कि 'तर्क निष्कर्ष, व्यंगात्मक, विवरण, दोषारोपण तथा अपमानजनक व्यय नहीं होंगे।' इस संकल्प में जो हरिजन मेम्बर की मांग की जाती है तो ऐसा लगता है कि इस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स हैं उनकी नियत पर शुबहा किया जाता है यह एक तरह से दोषारोपण हो जाता है। इसलिये यह अवैधानिक हो जाता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था क्या है?

श्री पुत्तूलाल---अध्यक्ष महोदय, मैं वैधानिक प्रश्न पर तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं इसको मैं अध्यक्ष महोदय के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो यह आपत्ति उठायी गयी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरस की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो उसके सम्बन्ध में यह है कि "He is gided by the team of Minister" यानी जो मिनिस्टर सिफारिश करते हैं उस पर वह काम करते हैं। इसलिये जब कोई काम विधान सभा करती है तो वह अनुचित नहीं है। इसलिये यह धारा रखी गई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेम्बर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी पर शुबहा न हो। इसलिये राज्यपाल हमारी सिफारिश मान लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे विधान सभा की मंशा धारा का उल्लंघन नहीं होता है। इसलिये यह आपत्ति निराधार है।

***मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)**—मैं कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहता था वैधानिक और कुछ न कहना ही नहीं चाहता था मगर जहाँ तक पब्लिक कमीशन के लिये यह कहना है कि कोई रिजर्वेशन किया जायगा तो वह विधान सभा के खिलाफ पड़ता है यह मेरा ख्याल है क्योंकि रिजर्वेशन पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं हो सकता है किसी के लिये भी और पब्लिक सर्विस कमीशन विधान के अनुसार जो विधान हमारे यहाँ हैं वह इस तरह का है कि जो अधिकार हैं वह सबके बराबर हैं। आप किसी चीज को किसी खास व्यक्ति के लिये या समुदाय के लिये जब तक विधान में कोई एक्सेप्शन न हो नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, जो पोस्ट्स फिल-अप की जाती हैं उनमें तो रिजर्वेशन हो सकता है हरिजनों के लिये, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं हो सकता है। वह इस चैप्टर में नहीं आता है। इसलिये मैं इसको वैधानिक रूप से ठीक नहीं समझता हूं। मगर वाद-विवाद पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि सदन करना चाहे या श्री पुत्तूलाल इसको रखना चाहें तो मैं अपनी तरफ से उनको रोकना नहीं चाहता हूं। जहाँ तक इसका हिस्सा है वह विधान के खिलाफ पड़ता है ऐसा मेरा ख्याल है। मगर अगर कोई प्रस्ताव करना चाहे तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह उठाया गया है कि धारा ३१६ संविधान की इस प्रस्ताव के वैध होने के विरुद्ध पड़ती है, और इसमें यह दिया हुआ है कि—

"316. (1) The Chairman and other members of a Public Service Commisson shall be appointed, in the case of the Union Commission or a joint Commission, by the President, and in the case of a State Commission, by the Governor or Rajpramukh of the State—"

[३१६ (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायेगी—]

और इसके बाद फिर टर्म के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि कोई सुरक्षित स्थान परिगणित जाति के लिये कमीशन में नहीं है। लेकिन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस विषय में संविधान में तो नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर ने यह तय कर दिया या यहाँ की सरकार ने यह नीति बना ली कि हम मुकर्रर करते हैं तो वह बाध्य भी नहीं करता कि इस तरह की बात सरकार न करे।

तो ऐसी अवस्था में कम से कम मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह सदन की राय अगर हो जाय कि सदन यह सिफारिश करे कि इस तरह की बात सरकार करे,

---

*यह भाषण माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा शुद्ध नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

क्योंकि बाध्य तो इस सरकार को कर नहीं सकते, यह दिया हुआ है कि वह किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन सदन अपनी राय से सरकार को परिचित कर सकता है और वह सिफारिश के बतौर हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि इसी तरह से अगर प्रस्ताव में थोड़ा सा संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यह सिफारिश है तो इसके ऊपर विवाद होने में कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव बाध्य करने के लिये हो तो यह अवश्य ही संविधान की जो स्पिरिट है उसके विपरीत जायगा। लेकिन चूंकि गवर्नर्स स्वतंत्र हैं, गवर्नमेंट स्वतंत्र है कि इस राय को मान लें या न मानें, तो मान कर चल सकने में भी संविधान कोई बाधक नहीं होता है।

तो मैं इस प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की तो इजाजत देता हूं और इसमें कुछ शब्दों का, जो मैं बताऊंगा, वह संशोधन कर दिया जायगा, जिसमें यह न हो कि प्रस्ताव द्वारा राजप्रमुख या राज्यपाल को बाध्य कर रहे हैं प्रस्ताव में ऐसा सुझाव होगा कि उसके ऊपर योग्य विचार करके यथासम्भव राज्यपाल वह बात कर सकेंगे। ऐसे शब्द मैं डालने का सुझाव दूंगा और मैं समझता हूं इसके बाद आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री पुत्तूलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से...

श्री रामेश्वर प्रसाद---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था, क्या उस पर आपकी व्यवस्था हो गयी है?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय पुत्तूलाल जी को यह मौका दिया गया है कि वह संशोधित रूप में अपने प्रस्ताव को पेश करेंगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद---उसके पहले एक दूसरी वैधानिक आपत्ति थी, उसी के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वैधानिक आपत्ति का तो समाधान हो चुका है।

श्री पुत्तूलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं--

"इस सदन की यह निश्चित राय है कि परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १८ प्रतिशत संरक्षण को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव के लिए अन्य प्रत्येक चुनाव समिति (Selection Board) में यथासम्भव एक सदस्य परिगणित जाति का नियुक्त किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जब धार्मिक बंधनों ने हमारे समाज के एक बहुत बड़े भाग को कुचल कर बिल्कुल पंगु सा कर दिया था और उसमें बहुत कम जीवन रह गया था तो उसकी रक्षा हमारे स्वामी दयानन्द जी तथा पूज्य महात्मा गांधी जी ने की और उन्होंने हमारे उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हमारे समाज में सुधार किये और शिक्षा का प्रसार किया। समय ने पलटा खाया। देश स्वतंत्र हुआ। संविधान बनाया गया और उसमें हमारे पूज्य बापू के पद चिन्हों पर चलने वाली

लोकप्रिय सरकार ने जब कि किसी अन्य जाति को कोई खास संरक्षण का अधिकार नहीं दिया। संविधान में हमें रिजर्वेशन का अधिकार दिलाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ४५-४६ में या इससे पहले जब कि हमारी सरकार कार्य नहीं कर रही थी उस समय ३० परसेंट रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला हुआ था और बाकी में अन्य लोग थे और उसमें से करीब दो या ढाई परसेंट रिजर्वेशन परिगणित जातियों को मिला हुआ था। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद, देश का विभाजन होने के बाद हमारी सरकार ने १० फीसदी संरक्षण दिया और यह संरक्षण बढ़कर १८ फीसदी हो गया। यह सब हमारे मुख्य मंत्री जी की महान् अनुकम्पा से हुआ और जहाँ तक इन चीजों का ताल्लुक है हम अपने मुख्य मंत्री तथा अपनी सरकार के लिये बहुत आभारी हैं, लेकिन साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि हम पूज्य बापू के उन शब्दों को भी ध्यान में रक्खें जिनको कि वे सदैव कहा करते थे कि हमको अपने मुंह से सदैव ऐसे बचन कहने चाहिये जिनको हम कर सकें। उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं है कि हमारी सरकार की कृपा से हममें शिक्षा बढ़ती जा रही है और शिक्षा की भिन्न-भिन्न शाखाओं में हमारे विद्यार्थी तैयार होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम रोजगार की तरफ जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि अन्य वर्ग की अपेक्षा अधिक संख्या में वे अनएम्पलायेड पड़े हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हरिजनों में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें लिखे-पढ़े लोग लग सकें। मजदूरी तो वे कर नहीं सकते।

(लाल रोशनी के होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--५ मिनट का समय रह गया है, दूसरे प्रस्ताव भी लिये जाने वाले हैं।

श्री पुत्तूलाल--१ घंटा इसके लिये निर्धारित है।

श्री उपाध्यक्ष--बोलने वाले और भी कई लोग होंगे।

श्री पुत्तूलाल--लेकिन मैं तो प्रस्तावक हूं।

श्री उपाध्यक्ष--दो मिनट आपके और हैं। वादविवाद में समय खत्म कीजियेगा या कुछ आगे और कहियेगा?

श्री पुत्तूलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ तक हमारा नौकरियों के रिजर्वेशन का ताल्लुक है वह पूरे तौर से नहीं हो पाता। इसका कारण जब मैं सोचने बैठता हूं तो मुझे यह मालूम होता है कि हमारे भाग्य का निर्माण दूसरे के हाथ में रहता है, हमारे भाग्य का निर्माण ऐसे लोगों के हाथ में रहता है जो हमेशा हमारी उपेक्षा करते आये हैं। हमारी सरकार जहाँ यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा रिप्रेजेन्टेशन हो वहाँ सरकारी आदेशों तथा हमारे अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। हमेशा यह चीज होती आई है कि दूसरों ने हमारे अधिकार छीने हैं और छीन-छीन कर अपने को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उस समाज में किस प्रकार से हरिजनों के लिए कोई आशा की जा सकती है? छुआछूत जोरों के साथ चल रही है। आज भी स्वतंत्र देश में करपात्री जी जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी पत्थर की मूर्तियाँ हरिजनों के छूने से छूत हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे लोग चपरासियों में भी भर्ती नहीं किये जाते। सरकारी कर्मचारियों में यह परम्परा सी चली

[श्री पुत्तूलाल]

आती है कि दफ्तर का काम समाप्त करके चपरासियों से घरेलू काम लिया जाता है। हरिजनों को यदि नियुक्त किया जाय तो उनका धर्म भ्रष्ट होता है, इसलिये उनको नियुक्त नहीं किया जाता। जहाँ तक सिलेक्शन बोर्ड का ताल्लुक है वहाँ पर जातीयता का और नौकरशाही का नंगा नाच दिखलायी पड़ता है और हमारी पूर्ण उपेक्षा की जाती है। सिलेक्शन बोर्डों के मुताल्लिक पिछले वर्ष गृह मंत्री जी से कुछ बातें हुई थीं, उन्होंने हमारी तकलीफों को महसूस किया था कि यह हो सकता है कि जातीयता की वजह से किसी हद तक हरिजनों के अधिकारों की उपेक्षा की जाती हो। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जहाँ तक छोटी छोटी नौकरियों का ताल्लुक है उनका जिला अधिकारियों को अधिकार होता है कि वह चुने। वहाँ पर कोई विज्ञप्ति नहीं होती जिससे हमारे उम्मीदवार उचित समय में प्रार्थना-पत्र भेज सकें और वह चुने जा सकें। इसी तरीके से जो शिक्षा सम्बन्धी योग्यता किसी उम्मीदवार के लिये किसी खास सर्विस के लिये रखी जाती है उसमें बालाबाला क्वालिफिकेशन को घटा कर अन्य लोगों को बुला लिया जाता है और हमारे उम्मीदवारों को नहीं बुलाया जाता। उदाहरण के लिये आज और कल में अथवा इसी हफ्ते के अन्दर करीब ३,२०० अध्यापकों का चुनाव होने जा रहा है। इसमें इन्टर और बी० ए० की योग्यता वालों को लेने को कहा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुछ मैट्रिक तक की योग्यता वालों को भी बुलावा भेजा गया है जिसमें हमारे उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया है। इसलिये जब ऐसी चीज होती है तो बड़ा दुःख होता है। इस वजह से हम यह समझते हैं कि हमारा रिप्रिजेण्टेशन पूरा इस वजह से नहीं होता कि हमारा वहाँ पर कोई आदमी नहीं है। जब मुसलमानों का रिजर्वेशन था उस समय मैं यह चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि चुनाव समितियों में उनका मेम्बर रहता था और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उनका मेम्बर रहता था और सब जगह उनका ख्याल रहता था। उनका रिप्रिजेन्टेशन पूरा करने के लिये पूरी कोशिश की जाती थी और काफी बड़ी हद तक ऐसा हुआ कि उनको ज्यादा भी हिस्सा दिया गया। इसके साथ ही मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कोई आक्षेप तो नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिये यह उचित समझते हैं कि वहाँ पर हमारा भी कोई प्रतिनिधि रहे। पिछले कई वर्षों के फिगर्स को आप देखें जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भर्ती हुई है वह किस प्रकार हुई है। इसमें परीक्षा के आधार पर और सेलेक्शन के आधार पर उम्मेदवार किस तरह से लिये गये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

सन्		परीक्षा के आधार पर	सेलेक्शन के आधार पर
१९४२–४३	..	८६	६६३
१९४३–४४	..	६९	४८०
१९४४–४५	..	४५	७५९
१९४५–४६	..	७०	७४४
१९४६–४७	..	२०६	६४२
१९४७–४८	..	४१५	१,८१५
१९४९–५०	..	४७३	९९२
१९५०–५१	..	१०९	१,१३८
१९५१–५२	..	१०९	९४२

इनमें से मुश्किल से १ प्रतिशत परिगणित जातीय उम्मेदवारों को चुना गया।

इसके साथ ही सन् १९४९–५० में बिना एडवर्टाइजमेंट के ८६ आदमी लिये गये और ५०–५१ में ४३ आदमी लिये और ५१–५२ में ९८ आदमी लिये हैं। बिना किसी प्रकार की विज्ञप्ति के इन आदमियों को कैसे लिया गया है। उन अप्लीकेंट को कैसे इनका पता लगा यह समझ में नहीं आता है। इससे जाहिर होता है कि उनकी सिफारिश किसी अन्य जगह से की जाती है वर्ना पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने ऐसी चीजें कहाँ से आ जाती हैं। जवाब में कह दिया जाता है कि चुनाव में सूटेबिल कैंडीडेट नहीं मिला इसलिये ऐसा होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिये भी ऐसी व्यवस्था पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होनी जरूरी है जिससे हमें हरिजनों का हिस्सा नौकरियों में पूरा कर लिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास एक प्रस्ताव नये संशोधन का आया है शायद उससे कुछ समाधान हो, इसलिये मैं पहले उसके लिये मौका देना चाहता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय पुत्तूलाल जी के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करना चाहता हूं—

"उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १० प्रतिशत संरक्षण को बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर देने का जो निश्चय किया है उसके लिये यह सदन सरकार की सराहना करता है और आशा करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव के लिये अन्य प्रत्येक चुनाव समिति (Selection Board) सरकार के इस निश्चय को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, सदियों का समय हुआ कि हमारे मनुष्य समाज के एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को पददलित किया और इस तरह से अपने में से निकाला कि उसका अंश आज तक हमें दिखाई दे रहा है और उसी का कारण है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक बातों में, सरकार की तरफ से पर्याप्त सुविधा दिये जाने के बावजूद भी हमें उचित सुविधा नहीं मिल पायी है। आज परिगणित जाति की जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। आज जितने भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह सब जानते हैं कि आज परिगणित जातियों की आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक दशा अच्छी नहीं है। लेकिन पहले हमारी जो दशा थी और आजकल जो दशा है उसको अगर हम देखें तो हमको यह मानना पड़ेगा कि उस दशा में शनैः शनैः उन्नति हुई है और परिगणित जाति कुछ दशा में उन्नति करती जा रही है। कुछ राजनैतिक और सामाजिक सुविधा भी हमें दी गयी हैं और पहले जो हमें १० फीसदी रिजर्वेशन दिया गया था उसको आज बढ़ा कर १८ फीसदी कर दिया गया है। इसके लिये माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अभी तक जो कुछ भी सरकार की ओर से जो भी विधान बनाये गये हैं वे ठीक रूप से कार्य में नहीं लाये जा रहे हैं। हम लोग यहां से कोई कानून पास करें और आगे जाकर वह अगर कार्यान्वित न हो तो यह एक खेद की बात हो जाती है और उस कानून के कुछ माने नहीं रह जाते हैं। जो कानून विधान सभा से बनता है उसकी यह देखभाल होनी चाहिये कि उसको कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। इसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री गण और दूसरे अधिकारीगण जब भी अपने दौरे पर जायं तो हर जिले में वे इस बात का इत्मीनान कर लें कि परिगणित लोगों को नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है वह पूरा हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा होगा तो जो जिले के कर्मचारी हैं वे इस बात को सोचेंगे कि यह रिजर्वेशन पूरा होना अति आवश्यक है। कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि क्वालीफिकेशन नहीं है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि चपरासियों में भी,

[श्री रामदास आर्य]

जिनमें किसी क्वालीफिकेशन्स की आवश्यकता नहीं है, उनमें भी रिजर्वेशन के हिसाब से भर्ती नहीं की जा रही है। अतः सरकार को इस बात में प्रयत्नशील होना चाहिये कि हम जितनी नौकरियों के लिये अधिकारी हैं उतनी हमें मिलनी ही चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार के अस्पृश्यता निवारण के इतने सब प्रयत्नों के होने पर भी जनता का एक वर्ग किस प्रकार का आचरण कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके सामने काशी की मिसाल है और उससे पता चलता है कि किस तरीके से हमारे साथ अब भी छुआछूत का बर्ताव जारी है। मैं तो कहता हूं कि स्कूलों में भी अभी वही चीज जारी है जिसको कि हमने यहां से कानून द्वारा हटाया है। जब तक ये सारी चीजें समाज में नहीं पहुंच जायंगी तब तक उस वर्ग के उठने का मौका बहुत कम है। आज हमारे इस सदन में और बाहर भी जितने लोग सरकारी हैं या गैर-सरकारी हैं वे किस तरह से उस कानून का पालन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को यह कहना उचित समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर विवाद के लिये सवा तीन बजे तक का समय है। तो मैं ५ मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। आप एक मिनट में खतम कीजिये।

श्री रामदास आर्य—इस कार्य के लिये सरकार ने जो इस प्रकार की उदारता परिगणित जातियों के लिये दिखलाई है कि अब नौकरियों में १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत रिजर्वेशन किया जाय, मैं तो आशा करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन करेंगे और दूसरे सूबों से हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। जो अधिकार विधान के जरिये प्राप्त किये जायं वे कार्य रूप में परिणत किये जायं तभी लोगों को सुख शान्ति मिल सकती है। आज बेरोजगारी का प्रश्न भी परिगणित जातियों के सामने है तो उनको रोजगार दिलाने की भी बहुत आवश्यकता है। जो भी अधिकार हम कानून के जरिये प्राप्त करें उनको जनता द्वारा कार्यान्वित कराने का पूर्ण प्रयत्न करें और मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है और रहेगी। किसी सूबे से भी हम पीछे नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री पुत्तूलाल जी के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

संकल्प की पंक्ति १ व २ में शब्द "सरकारी" और शब्द "नौकरियों" के बीच में शब्द "अर्द्ध सरकारी" जोड़ दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत हमारा रिजर्वेशन कर दिया है। लेकिन मैं यह चाहता हूं और मेरी सदन से यह प्रार्थना है कि सरकार अर्द्ध सरकारी नौकरियों में भी इस रिजर्वेशन को लागू करने की कोशिश करे। उदाहरण के लिये जैसे सहकारी विभाग है, और अन्य विभाग हैं, उनमें भी अगर अछूतों, हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत रिजर्वेशन रख दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे हरिजनों का काफी हित हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह १८ प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया गया है वह सराहनीय है लेकिन जहां तक इसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रश्न है वह अभी नहीं के बराबर है। जो पहले की नौकरियां हैं उनमें हरिजनों का १८ प्रतिशत होना तो दूर की बात है लेकिन जो हमारे नये विभाग हैं, जो नयी योजनायें हैं उनकी नियुक्ति में भी रिजर्वेशन के हिसाब से कोई ध्यान नहीं

रखा जाता है। उदाहरण के लिये अभी लेखपालों की नियुक्ति हुई है। उनकी १५,२९५ नियुक्तियां हुईं, लेकिन उनमें केवल ६२६ हरिजन नियुक्त किये गये जब कि उनके लगभग १,१०० एप्लीकेशन्स आयी थीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर १० प्रतिशत का हिसाब भी लगावें तो कम से कम डेढ़ हजार हरिजन लेखपाली में लिये जाने चाहिये थे; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ३,२०० अध्यापकों की नियुक्तियां होने वाली हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और विशेष कर माननीय शिक्षा मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इन नियुक्तियों में १८ प्रतिशत रिजर्वेशन का अवश्य ध्यान रखा जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में कल्याणकारी राज्य बनाने की जिस योजना का जिक्र किया था, मैं यह कहूंगा कि तब तक कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है जब तक कि हरिजनों को मानव समाज के एक स्तर पर नहीं लाया जाता है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी सुविधायें देकर जब तक उनको मानव समाज के स्तर पर नहीं लाया जायगा तब तक कल्याणकारी राज्य की बात करना स्वप्नवत् बात होगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "दिये गये १८ प्रतिशत" के स्थान पर "२६ प्रतिशत" रख दिया जाय, तथा अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

> "और सदन सरकार से प्रार्थना करता है कि परिगणित जाति के संरक्षण की पूर्ति न होने क कारणों की जांच के निमित्त एक कमीशन की नियुक्ति की जाय और वह छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सदन के सम्मुख पेश करे।"

जहां तक १८ फीसदी संरक्षण का प्रश्न है उसकी व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कहा है तो वह हरिजनों की आबादी के आधार पर ही रखा गया है लेकिन मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों की आबादी की बात है इस वक्त हरिजनों की कुल आबादी का १८ फीसदी आंकी गई है अर्थात् ११,४०,००० जो बिल्कुल गलत है। अगर वास्तव में देखा जाय तो वह इससे कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि ३१, ४१ और ५१ के सेन्सस को देखने से सफा पता चलता है कि वह कम से कम होती जा रही है अर्थात् १ करोड़ २८ लाख, १ करोड़ १९ लाख और १ करोड़ १४ लाख। दुनिया के सभी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि आबादी जामेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती जा रही है लेकिन यह बड़ा आश्चर्य है कि हरिजनों की संख्या घटती जा रही है। मैंने यह देखा है कि सन् १९४१ में सेन्सस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह तसलीम किया है कि कुछ जातियों की संख्या रायसुमारी में किन्हीं कारणों से कम हो गई है। यही नहीं, सन् १९४१ में तो यहां तक हुआ कि सन् १९३१ में जिस प्रकार मुसलमानों ने अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश की थी और एक एक घर में दो दो आदमियों की जगह पर १०, १० आदमी लिखाने की कोशिश की गई थी इसी प्रकार हिन्दुओं ने भी सन् १९४१ के सेन्सस में किया। ऊंची जाति के जो लोग थे उन्होंने काफी इस बात की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मर्दुमशुमारी कराओ और छोटी जाति के लोग जो अधिकतर गरीब हैं वे बड़ी जाति के लोग जो मरदुमशुमारी में लगे थे जैसे पटवारी, नम्बरदार, मुखिया, स्कूल मास्टर इत्यादि अपनी चौपालों में बैठकर मर्दुमशुमारी कराते थे और ग़लत संख्या उनको लिखा देते थे, कारण कि वे हरिजनों के मुहल्लों में, बस्तियों में नहीं जाते। हालांकि यह सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का उसमें हाथ नहीं था लेकिन आदमी

[श्री जयपाल सिंह]

तो जनगणना में उत्तर प्रदेश से ही लिये जाते हैं। मैं उसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इसे सन् १९५१ में कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के फुटनोट में भी स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने अछूतों को अछूत न कह कर हरिजन कहा था लेकिन उन हरिजनों को भी उनकी आबादी में न शामिल कर उन्हें परिगणित जाति का नहीं माना जाता और कहा जाता है कि राष्ट्रपति के आर्डर के खिलाफ यह बात पड़ती है। तो इस तरह से यह देखा जाता है कि उनकी आबादी को कम करने की कोशिश की गयी है। जब कि उनकी आबादी काफी बढ़ी है। डेढ़ करोड़ से ज्यादा आबादी उनकी है लेकिन आबादी कम लिखे जाने के कारण इस हाउस में हमारे पांच सदस्यों की संख्या कम हो गई है और पार्लियामेंट में भी एक कम हुई। इसके साथ ही उनको नौकरियों के सेलेक्न्स में भी नहीं लिया जाता। जब उनके अन्दर क्वालीफिकेशन्स होती हैं। आम तौर से मैंने देखा है कि प्लानिंग विभाग में या जहां भी छोटी-छोटी नौकरियां निकलती हैं वहां ऊंची जाति के लोगों को ले लिया जाता है और उनको अयोग्य बता दिया जाता है। बी० ए० और एम० ए० पास हरिजन मिलते हैं लेकिन दूसरी जगहों के ऊंची जाति के इंटरमीजियेट पास लोगों को बुला लिया जाता है और उनको ले लिया जाता है और हरिजन उम्मीदवारों की अवहेलना की जाती है। ऐसी अवस्था में मैंने यह देखा कि इस तरह से अन्याय बराबर होता जा रहा है और उन्हीं आफिसर्स को तरक्की दे करके ऊंचे स्थानों पर भेजा जाता है। इस वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये एक कमीशन की आवश्यकता है जो यह जांच करे कि उनके साथ पक्षपात करने का क्या कारण है और जो उनके सुरक्षित स्थान हैं वह पूरे नहीं होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयपाल सिंह---मैं एक शब्द यह रखना और निवेदन करना चाहता हूं कि जब उनके सुरक्षित स्थान पूरे नहीं किये जाते हैं तो उनका रखना और न रखना बराबर है, और अगर पूरे होने की बात नहीं है तो ऐसा न किया जाय, नहीं तो इस तरह से यदि आप १०० प्रतिशत स्थान नौकरियों में हरिजनों के लिये सुरक्षित रख दें और उन्हें भरा न जाय तो संरक्षण करना ही बेकार है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं :---

"संकल्प की पंक्ति ४ के प्रथम शब्द "चुनाव" के पश्चात् के शब्द निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"में यदि हरिजन उम्मीदार सम्बन्धित नौकरी के लिये उपयुक्त हों तो उसको कम योग्य होता हुआ भी ले लिया जावे।"

इस संशोधन के बाद संकल्प का यह रूप हो जाता है:---

"इस सदन की निश्चित राय है कि परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १८ प्रतिशत संरक्षण को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव में यदि हरिजन उम्मीदवार सम्बन्धित नौकरी के लिये उपयुक्त हो तो उसको कम योग्य होता हुआ भी ले लिया जावे।"

जो संकल्प उपस्थित हुआ है उससे ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं उनमें एक तरह से अविश्वास सा प्रकट किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे प्रान्त में सब से ऊंचा कमीशन है जिसको राज्यपाल नियुक्ति करता है। उसके सम्बन्ध में हमें पूरी आस्था रखनी चाहिये और उसमें सन्देह करना हमारे लिये ठीक नहीं है। अगर हम इतने ऊँचे कमीशन पर एतबार नहीं करेंगे तो फिर किस पर एतबार करेंगे। उसको मुकर्रर भी किसने किया है? राज्यपाल ने, जिसके सम्बन्ध में हमारे लिये कोई भी समालोचना करना कदापि ठीक नहीं है और जिसकी ईमानदारी में सन्देह करना हमारे लिये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसीलिये इसमें जो अन्तिम शब्द हैं वे किसी तरह ठीक नहीं हैं और मेरे संशोधन से उसका रूप यह हो जाता है कि यदि किसी नौकरी में कोई परिगणित जाति का उम्मीदवार उपर्युक्त हो, तो चाहे वह औरों के मुकाबले में कम ही योग्य क्यों न हो लेकिन उसको ले लिया जाय। इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सबकी यह आम राय है कि हमारी परिगणित जाति जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दशाओं में नीचे हैं, उसको उठाया जाय और जितनी जल्दी उठाया जाय उतना ही अच्छा है। इसीलिये १८ प्रतिशत उनके लिये हर नौकरी में संरक्षण रख दिया गया है। परन्तु इसके माने यह कदापि नहीं है कि एक नौकरी के लिये जो आदमी योग्य न हो उसको भी ले लिया जाय।

मान लिया जाय कि डाक्टर की जगह है तो डाक्टरी के योग्य जो नहीं हैं उसको कैसे ले लिया जायगा। इसी प्रकार से जो वकील के पेशे के अयोग्य है उसको वकील की जगह कैसे लिया जा सकता है। इसलिये ऐसा बन्धन करना उचित नहीं हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि उसके लिये एक नीचे दरजे का स्टैंडर्ड हो। अगर उसमें उस पद के लिये योग्यता हो तो अन्य के मुकाबिले में चाहे कितना ही वह कम हो उसको ले लिया जाय। इसीलिये और संशोधन का नतीजा यह होता है कि संकल्प में जो कटुता है वह जाती रहती है और सरकार भी जब उस पर ध्यान रखेगी तो हमारे परिगणित जाति के भाई काफी संख्या में लिये जा सकेंगे। इसलिये मैं पुत्तू लाल जी से यही निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान लें मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) ---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :---

"संकल्प की अंतिम पंक्ति में शब्द "सदस्य" तथा शब्द "परिगणित" के बीच में शब्द "स्थानीय यदि उपलब्ध हो" जोड़ दिये जायं।"

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये यह संशोधन रखा है कि यदि कोई चुनाव किसी सरकारी नौकरी के लिये किसी जिले में होता है और प्रायः यह देखने में आता है कि उस जिले की परिगणित जाति की ओर से यदि कोई सदस्य है तो बाहर के जिले के भी देखने में आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि उस जिले का ही रहना चाहिये। लखनऊ जैसे हेड क्वार्टर या इलाहाबाद जैसे स्थानों में जो योग्य हों उनको रखा जाय। यह बात दूसरी है कि यदि किसी कारणवश किसी स्थान पर कोई ऐसा सज्जन उपलब्ध न हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल ही लापरवाही से छोड़ दिया जाय परन्तु यह अधिक जोरदार बात हो सकती है यदि यह पहले ही रखा जाता कि वह छोड़ भी सकते थे। अब इसके रखने से यह बात और भी जोरदार हो जाती है कि परिगणित जातियों में से कम से कम चुनने का तो प्रयत्न किया ही जायगा। मैंने यह इसलिये रखा है कि अनेक कठिनाइयों और दिक्कतों को हमारी सरकार ने बहुत कुछ तो हल भी कर लिया है और अनेक प्रकार से लाभ भी पहुंचाया है और उनकी शिक्षा और रहन सहन को ऊंचा उठाने के लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है ताकि उनको उत्थान मिले। परन्तु इस समय मैं देख रहा हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े होनहार हैं, सरकारी

[श्री श्रीचन्द]

स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन सबको वजीफा नहीं मिल रहा है। इसलिये यह एक बड़ी भारी त्रुटि है कि अच्छे-अच्छे लड़के वजीफा पाने से रह जाते हैं और जो बिलकुल ही ऐसे हैं जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है उनको वजीफा मिल जाता है। इसलिये यह सुधार होने की आवश्यकता है कि जिलों में वजीफा अच्छे लड़कों को मिलना चाहिये। यदि धन की काफी गुंजाइश हो तो सभी लड़कों को वजीफा मिले तो बहुत अच्छा हो। इसलिये हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी समस्या मकानों के संबंध में है। मकान ऐसे छोटे-छोटे हैं कि वे एक तरह के पिंजरों जैसे हैं। इसलिये मकानों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे पश्चिमी जिलों में मैंने देखा है कि छुआ छूत बहुत ही कम रह गई है। सब लड़के एक साथ पढ़ते हैं और रहते भी हैं। यदि किसी स्थान पर छुआ छूत हो तो उसको हमें दूर करना चाहिये। इसलिये यह परम आवश्यक है जब तक हम इस प्रकार से जैसा सुनने में आता है कि हरिजन कुंयें से पानी न भरें या किसी और प्रकार से हम उनसे घृणा करें, जैसा कि मेरे भाई ने बतलाया है कि यह चीज नहीं होनी चाहिये और इनको हमें दूर करना चाहिये और जब तक यह चीजें दूर नहीं होंगी छुआ-छूत दूर नहीं होगा और हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। गावों में प्रायः देखने में आता है कि अन्य जाति के जितने भी किसान हैं उनमें और हरिजनों में कोई अन्तर तथा कोई भेद भाव नहीं है। मैं ऐसे स्थानों पर जाकर भी देखता हूं जो गाँवों से दूर हैं अर्थात शहरों में तो धर्म के ठेकेदार आदरणीय वर्ग से घृणा करते हैं, इस विचार को नष्ट करना है। जय हिन्द !

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं एक प्रस्ताव समय बढ़ाने के संबध में सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस संकल्प के बाद विवाद के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय। अगर आवश्यकता होगी तो भूमि संरक्षण विधेयक के लिये और समय बढ़ा लिया जायगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---मैं यह कह रहा था कि मैंने श्री पुत्तूलाल जी से पूछा कि जब श्री रामदास जी का संशोधन मंजूर है तो ऐसी हालत में सभी संशोधनों को पेश करने की जरूरत है या नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि श्री राजनारायण जी कह दें और जो कहना चाहें वह कह दें और अन्त में मैं भी कुछ कह दूंगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है यदि समय बढ़ाया जाय। मेरा ख्याल यह है कि इस पर पौने चार बजे तक का समय बढ़ा दिया जाय।

कुछ सदस्य---जी हाँ, ठीक होगा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहती हूं कि संकल्प की अंतिम पंक्ति में शब्द "परिगणित जाति का" के बाद शब्द "तथा एक महिला को नियुक्त किया जाय" जोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हम लोगों को अर्थात् महिलाओं को समान अधिकार और नागरिक अधिकार मिले ही हुये हैं। इसमें कोई बात नहीं है लेकिन यह कार्य रूप में बहुत कम परिणत हुआ करते हैं। इसलिये मुझे आवश्यकता पड़ी कि मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊं। वैसे तो हम सरकार के ऊपर पूर्ण न्यायी होने का विश्वास करते हैं फिर भी ऐसी भूल हो जाया करती है जिसकी वजह से हमें कहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बतलाती हूं।

अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेडीकल कालेज आगरा में एक डेन्टिस्ट डाक्टर की नियुक्ति होने वाली थी। उम्मीदवारों में एक महिला भी थी और वह अन्य उम्मीदवारों से अधिक

योग्यता रखती थी और इसके अतिरिक्त टेक्नीकल व्यक्ति ने उसकी सिफारिश भी की थी लेकिन फिर भी उस महिला डाक्टर की नियुक्ति न हो सकी। दूसरा उदाहरण यह है कि एक महिला पी० सी० एस० की उम्मीदवार थी। उस स्थान पर उसकी नियुक्ति सिर्फ इसलिये न हो सकी कि वह घुड़सवारी नहीं जानती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि घुड़सवारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो महिला पीछे न सीख सकती हो। अगर इस तरह की मामूली सी छोटी मोटी बातों पर सरकार ध्यान देगी तो हमारा प्रतिनिधित्व बिलकुल ही नहीं हो सकेगा। वैसे हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि सरकार महिलाओं का उचित ध्यान रखती है और आइन्दा भी रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में एक बात और रखी है कि जो योग्यता देखी जाय वह केवल हरिजनों की हरिजनों में ही देखी जाय तो यह तो हमारे गणराज्य की अवहेलना, हमारे नागरिकता के अधिकारों की अवहेलना है। हमारी सरकार सबको समान अधिकार देती है फिर क्या वजह है कि हम उनको एक छोटे तथा संकुचित दायरे में ही बन्द कर रखें और हम अधिकारों को कमजोर बनायें। मैं चाहती हूं कि हमारे जो प्रस्तावक महोदय हैं वह अपने इस शब्द को वापस ले लें ताकि आपके नागरिकता के अधिकार की अवहेलना न हो सके।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, आपने पुकारा कि मैं बोलूं पर मैं यह भी समझता हूं कि अभी बहुत से संशोधन पेश करने वालों के नाम बाकी हैं। अब आपकी आज्ञा हुई तो उसे पालन तो करना ही पड़ेगा।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---पहले संशोधन ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने श्री राजनारायण को इस आशय से अवसर दिया है कि कुछ समाधान निकल आवे तो बहुत बहस की आवश्यकता न रहे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह पुत्तूलाल जी का जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है और इसमें अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो संशोधन उपस्थित किये, अगर इन को आज अपने मुल्क की परिस्थिति को सामने रखते हुये देखा जाय तो यह हम सब लोगों के लिये एक बहुत ही लज्जा की बात है। आज हमारे समाज का ढांचा ऐसा है जिसमे इस सदन के सम्मानित सदस्य जो है उनको भी अन्याय सरकारी नौकरियों में मिलता है या नहीं, इसमें बहुत ही संदेह है और मैं अपने बारे में श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सदन को बताऊं कि मुझे खुद इस में सन्देह है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सबंध में निजी तौर से पत्र भी लिखा और उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया परिगणित जातियों के लिये जो परसेंटेज निश्चित किया जाता है उसके मातहत उनको स्थान दिया नहीं जाता और उस स्थान न देने के लिये एक न एक बहाना बना दिया जाता है। हमारे पास डेफिनिट प्रूफ (निश्चित प्रमाण) है बनारस जिले के और उससे सन्निकट जिले के जनप्रिय अधिकारियों को हमने बताया है कि पिछड़ी जातियों के, यानी हरिजन वर्ग के इस स्थान के लिये फलाँ-फलाँ व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपनी दिक्कत बतायी है, जिसको अगर इस सदन के सामने वर्णन करूं तो वाद-विवाद खड़ा हो जायगा, मगर मैं चाहता हूं कि हम सब लोग यहाँ पर ईमानदारी के साथ महसूस करें कि क्या परिगणित जातियों के लिये सरकार ने जो परसेंटेज, जो प्रतिशत, निश्चित किया है उस को ईमानदारी के साथ सब जिलों में स्थान दिया जाता है या नहीं। श्रीमन्, नहीं दिया जाता। एक नहीं, १० प्रमाण दे सकता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी चाहे न भी मानें, पर मैं लिखकर आँकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा कुछ और सामाजिक परिस्थिति का विश्लेषण करना चाहता था और मैं चाहता हूं कि जो हमारे संशोधन पेश करने वाले महोदय हैं और प्रस्तावक महोदय, पुत्तूलाल जी और दूसरे लोग जरा इस बात का भी विचार करें कि आखिर किन कारणों के वशीभूत हो कर उनको यह प्रस्ताव लाना पड़ा। पर वह यह भूल गये हैं कि रोपें पेड़ बबूल का, आम कहाँ

[श्री राजनरायण]

ते होय ? बबूल का पेड़ रोपेंगे और आम खाना चाहें तो आम मिल नहीं सकता, एक नहीं सौ प्रस्ताव इस सदन से पास करा लें। हमारे सम्मानित सदस्य चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आज जो ढांचा है उसमें समुचित रूप से प्रतिशत निश्चित होने के बावजूद भी परसेंटेज (प्रतिशत) के अनुसार स्थान उनको नहीं मिल सकता। क्योंकि आज जिस समाज में हम हैं और जिनके हाथ में सत्ता है और जो शासक वर्ग हैं अभी वह उसी पुरानी परम्परा और मनोवृत्ति को लेकर चलता है जिसके अनुसार आज देश का प्रधान ब्राह्मणों के चरण छूने जाय ऐसी कल्पना और मनोवृत्ति आज विद्यमान है समाज में। मैं पातंजलि को आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है, "समन् अजन्ति जनाह आस्मिन समाजः।" जहां सब मनुष्यों में समान व्यवहार होता है उसको समाज कहते हैं, यह पातंजलि ने कहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। वह इस पर गहराई से विचार करें कि क्या हमने आज वह परिस्थिति पैदा की है जहां कि सब मनुष्य समान व्यवहार करते हों आज समाज में पचासों डांट-मेड़ें मौजूद हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर, कोई कुर्मी, कोई भर, कोई चमार, इन डांट-मेड़ों में बट कर समाज का ढांचा बिगड़ गया है।

ऐसे समाज की नींव पर जब सरकार खड़ी है और सरकार कहती है कि परिगणित जाति का संरक्षण हो तो जब तक कोई कठोर व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं होगी तब तक उनका प्रतिशत निश्चित रहने पर भी उनकी भलाई नहीं हो पायेगी। इसलिये चाहे इस प्रस्ताव और इस संशोधन को सदन पास करे या न करे, लेकिन सरकार का यह कर्त्तव्य है कि अगर सरकार ने एक निश्चित प्रतिशत रखा है तो उसके पालन कराने की भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसीलिये मैंने इस सदन में पंतजी का हवाला दिया ताकि बहुत से लोग जो समझते हैं कि वर्ण जन्मना है या कर्मणा है-समय काफी लग जायगा लेकिन उस पर भी आना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्था चिरस्थायी नहीं है। महात्मा गांधी ने जो हरिजन के उत्थान की बात कही थी तो एक बार इस बात की चर्चा की थी कि वह वर्ण व्यवस्था को जन्मना समझते हैं। लेकिन १९४७ से गांधी जी ने सिर्फ इस बात को कहा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में मेरे पहले के विचार को लेकर जो लोग विचार करेंगे वे गलती करेंगे। मैं वर्ण व्यवस्था को जन्मना नहीं मानता। यदि कर्मणा से मान कर चलें तो ऐसे लोगों के सामने वह श्लोक हर समय आता होगा--

"जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्द्विज उच्यते।
वेदपाठात् भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः॥"

उस श्लोक को भी लेकर चलें कि जाति की व्यवस्था कर्मणा है तब भी स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति जिस रूप में जिस समय अपने को परिवर्तित करेगा वह बदल जायगी। तो फिर हर समय जब अपने संस्कार से व्यक्ति बदल जायगा तो स्थायी जाति कैसे बन सकती है। मैं चाहता हूं कि इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य इस गम्भीर विषयों पर विचार करें। आज कांग्रेस पार्टी का बहुमत है जिस चीज को चाहेगी पास कर लेगी। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, और इस लिये नहीं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सदन के नेता हैं या इस सरकार के मुख्य मंत्री हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमारे देश के सम्मानित और प्रतिष्ठित, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग इस संग्राम में दिया है। मैं चाहता हूं कि जब हमारे इन बुजुर्गों का अंतिम समय बाकी रह गया हो, वे ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे आगे भविष्य का समाज सुधर सके, और दृढ़ तथा निश्चित बुनियाद पर कायम हो। इस समय मैं जजबात को नहीं उभारना चाहता। परन्तु जो लोग परिगणित जाति के समर्थक बने हुये हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह बबूल बोकर आम खाने के लिये मत लालायित हों। अगर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हों तो असली मैदान में जायें। और अगर वह इसी सरकार के पीछे चल कर चाहेंगे कि परिगणित जाति की भलाई हो तो मैं बतला देना चाहता हूं कि यह नामुमकिन है असम्भव है।

श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय

"और किसी भी सरकारी नौकरी के लिये होने वाले चुनाव के कम से कम एक माह पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य विधान सभा के पास चुनाव की सूचना भेज दी जावे, और उनके क्षेत्र से सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की सूची भेजने का अधिकार दिया जावे।"

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो सराहनीय कदम अछूतों के उत्थान के लिये उठाया है उसके लिये इस समाज का बच्चा-बच्चा सराहना करने के लिये तैयार है जिस समाज का और जिस जनसमूह का भारतवर्ष में नाम ही समाप्त हो चुका था उस समाज को उठाने के लिये पूज्य बापू जी ने सबसे पहले प्रतिज्ञा की कि इस समाज को और समाजों के बराबर लाना जरूरी है। बापू जी के पीछे हमारे अन्य महान् व्यक्तियों ने उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रतिज्ञा की कि हम इस गिरे हुये समाज को उठायेंगे। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण ने इस समाज को उठाने का भरसक प्रयत्न किया है और इसको उठाने के लिये प्रति साल अधिक से अधिक रुपया बजट में रक्खा है और प्रतिसाल वह रुपया बढ़ता ही जाता है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और अपनी सरकार का बहुत ही आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जहां तक संबंध है सरकार अछूतों को उठाने के लिये सभी उपाय करती है और कानून बना बना कर जिलों में भेजती है कि उनको १८ प्रतिशत रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय परन्तु मैं यह निवेदन जरूर सरकार से करूंगा कि जो जी० ओ० सरकार के प्रत्येक जिले में जिला अधिकारियों के पास जाते हैं वे कानून उन अधिकारियों के बाक्स में रक्खे रहते हैं और उस पर वे कोई ध्यान नहीं देते। जब किसी नौकरी का चुनाव आता है तो उस विभाग के अधिकारी अपने कुटुम्बी या जात वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और चुनाव के समय खानापुरी करके १००, ५० आदमी बुला लेते हैं और चुनाव अपने ही आदमियों का कर लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि हरिजनों को वास्तविक रूप से उठाना है जैसी कि सरकार की इच्छा है तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जिस समय किसी चुनाव का समय आये उसमें हम लोगों से भी सलाह ली जाय ताकि हम लोग उस चुनाव में सहायता दे सकें और हरिजन उम्मीदवारों की सूची दे सकें।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करेगी और सरकार को धन्यवाद इस बात का फिर देता हूं कि उसने इन गिरी हुई जातियों के, जिनका कोई ठिकाना नहीं था, ऊपर उठाने में सहयोग दिया।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"(१) परिगणित जाति के उम्मीदवार प्रत्येक प्रतियोगिता, चुनाव मौखिक तथा अन्य सबही प्रकार की परीक्षाओं में परिगणित जातियों के उम्मीदवारों में से ही केवल लिये जायं।

(२) जो परिगणित जातियों के कर्मचारी अस्थायी हैं, उनको स्थायी अथवा पदोन्नति १८ प्रतिशत संरक्षण कोटे के अनुसार उसी विभाग में जब अन्य कर्मचारियों को स्थायी अथवा पदोन्नति करने का प्रश्न पैदा हो स्थायी अथवा पदोन्नति किया जाय।

(३) यदि किसी सरकारी विभाग में अप्रत्यक्ष नियुक्तियां (Indirect recruitment) होती हैं तो उनमें भी परिगणिति जातियों के उम्मीदवार १८ प्रतिशत, संरक्षण के अनुसार नियुक्त हों।"

[श्री धर्मसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस भवन के सम्मुख रिजर्वेशन के बारे में बहुत सी कहीं और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि १८ फीसदी रिजर्वेशन का जहां तक ताल्लुक है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है। जब सरकार की नीति इस प्रकार की है, जब यहाँ का सदन इसे स्वीकार करता है और जब केबिनेट के माननीय मंत्रीगण यह कहते हैं कि इसका पालन हो और जो हमारा ड्यूशेयर है वह हमको दिया जाय तो फिर क्या बात है कि १८ फीसदी रिजर्वेशन का पालन नहीं होता। जब हम पिछली परम्परा की तरफ देखते हैं कि आखिरकार यह रिजर्वेशन क्यों दिया गया, इसलिये दिया गया कि इस समाज के व्यक्ति हमेशा पिछड़े हुये चले आते हैं, इसी कारण से रिजर्वेशन दिया गया यदि पिछड़े हुये न होते, छोटे न गिने जाते। या उनमें नौकरियों में लिये जाने के लिये क्षमता होगी तब तो रिजर्वेशन का प्रश्न ही नहीं हो सकता था। रिजर्वेशन इसलिये किया गया कि सहूलियत के अनुसार उनको नौकरियों में लिया जा सके। उनको क्यों नहीं लिया जाता जैसा कि पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि स्थिति यह है कि जब चुनाव होता है और चुनाव के लिये जब विज्ञप्ति निकलती है तो दूसरों के साथ में उन पर विचार किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिये कि किसी नौकरी के लिये ५० आदमी लिये जाते हैं तो उन ५० आदमियों के साथ में ही उनकी योग्यता पर विचार होता है। यह नहीं होना चाहिये। उनके प्रार्थना पर जितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र हों उन पर अलग से ही विचार होना चाहिये। तभी रिजर्वेशन पूरा हो सकता है। दो लिस्ट बनायी जायं। एक हरिजनों की और दूसरी और जाति वालों की तो उसमें से हरिजनों के अप्लीकेशन्स मैरिट के अनुसार छांटकर उनके रिजर्वेशन के कोटे के अनुसार उसमें चुन लिये जायं और फिर बाद को दूसरी जाति के लिये जायं। जो बेस्ट हों ऊपर के उसमें से ले लिये जायं तो तभी यह १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा हो सकता है। जब मैं यह चीज देखता हूं कि जो राष्ट्र की भावना है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो बड़ा दुख होता है। जब कहीं पर प्रमोशन का सवाल आता है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है और यह कहकर निकाल दिया जाता है कि यह योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि उसको कह दिया जाता है कि यह नौकरी के काबिल नहीं है। उनको योग्यता के आधार पर ही प्रमोशन मिलना चाहिये नहीं तो इस प्रकार से वह तरक्की नहीं कर सकेंगे।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि एक मुहकमे से दूसरे मुहकमे में भी बहुत से व्यक्ति लिये जाते हैं। आजकल नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में भी लोग लिये जा रहे हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी लिये जा रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह इन्डाइरेक्ट चुनाव है तो वहां पर उनका चुनाव नहीं हो पाता है। अगर आपने रिजर्वेशन किया है तो उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिये। जब हम गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि १०, २० इस प्रकार के बालक देखते हैं कि जो पढ़ने के बाद गांव में जाकर रहते हैं और कहते हैं कि उनको नौकरी में नहीं लिया जाता है। उनका कोई सोर्स नहीं होता है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं जो बड़े आफिस में काम करता हो। इस प्रकार का उनका कोई सोर्स नहीं होता है कि जिससे उनको मालूम हो सके या उनको बतलाया जा सके कि वहां पर स्थान खाली है। अगर आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन पूरा हो तब तो आपको इसको पूरी तरह से करना चाहिये और उसके अनुसार ही भर्ती करनी चाहिये और नहीं तो आप इसको हटा दें और नहीं तो उसका पालन किया जाय और पालन नहीं होता है तो सरकार यह देखे और इस प्रकार की नीति बरते कि जिससे उसका पालन हो और अगर नहीं होता है तो उनसे मालूम करे कि क्यों यह पालन नहीं होता है।

श्री गंगाप्रसाद—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय "उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नौकरी में परिगणित जाति के सरकारी कर्मचारियों की संख्या की जांच कराई जाय और जिन-जिन विभागों में १८ प्रतिशत संरक्षण के अनुसार परिगणित जातियों

के उम्मीदवार नहीं हैं उन विभागों में प्रथम १८ प्रतिशत कोटे के अनुसार पूर्ति की जाय।"

इस संबंध में बहुत से भाइयों ने अपने विचार यहां पर प्रकट किये और बहुत सी बातें कहीं। मुझे यह कहना है कि आज हरिजन सहायक विभाग करीब-करीब ३,४ साल से चल रहा है तथा जिलों में हरिजन सहायक अफसर प्लानिंग अफसर हो गये हैं और उनके अन्डर में मंत्री पचायत विभाग, विकास विभाग और दूसरे विभाग के लोग जब इस बात का ख्याल नहीं करते कि हरिजनों को लिया जाय तो दूसरे लोग क्या करेंगे। जहां तक मंत्रिमंडल का ताल्लुक है वह तो एक बार सिद्धांत निर्धारित करता है। उसका पालन कराना उनका काम है कि यह पालन हुआ है या नहीं। जहां तक मुझे मालूम है कि आज हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यह पहला मौका है कि वहां पर वही लोग बैठे हुये हैं। जब अंग्रेजी शासन था तो हम लोगों को मारा जाता था और पीटा जाता था। उनके ख़यालात बदले नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी या पंडित नेहरू भले ही जोरदार शब्दों में कहें कि हृदय परिवर्तन हो गया है लेकिन हम देखते हैं कि अभी वह नहीं हुआ है। वे अब भी नहीं चाहते कि हमारे में से कोई अब भी आगे बढ़े और हरिजन जो अभी तक जमीन पर बैठते थे उनके बराबर बैठें या एम० एल० ए० बने या और किसी प्रकार से तरक्की करे। जब कभी वह किसी हरिजन एम० एल० ए० को अपने पास भी देखते हैं तो उनकी वही भावना जाग्रत हो जाती है और मैं समझता हूं कि जब तक उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं की जायगी तब तक इस १८ फीसदी की पूर्ति नहीं हो पायेगी लेकिन हमें उम्मीद अवश्य है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन सहूलियतों को देने का हमें आश्वासन दिलाया है। माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि "रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होय" लेकिन महात्मा गांधी के जिन उसूलों को मान कर और पंडित नेहरू और मुख्य मंत्री जी की जिस कृपा से हम बढ़ कर यहां तक आ पहुंचे हैं कि उनके बीच बराबर बैठ कर उनसे बातें कर सकते हैं और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि हमारी उन्नति हो रही है और होगी। जमाना बदल रहा है और हम भी उस जमाने के साथ बदल रहे हैं। उन्होंने समाजवाद की भी बात कही लेकिन हम लोग तो अब भी समाजवादी हैं, दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं। आज हर हरिजन का लड़का यह सोच रहा है कि हमारी खराबी क्या है और वह कैसे दूर की जा सकती है और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और वे विचार करते हैं कि हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। आज गांधी जी ने हमें इस आसन पर बिठा दिया और उन्हीं की कृपा से आज हम असेम्बली में अपनी मांगों की पूर्ति के लिये कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से हमारी मांगें पूरी होकर रहेंगी।

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"तथा सदन का यह भी मत है कि सरकार एक आयोग (Commission) की नियुक्ति करे जो इसका निरीक्षण करे कि हरिजनों का संरक्षण पूर्ण किया जा रहा है अथवा नहीं तथा अपना वार्षिक प्रतिवेदन (report) सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें।"

श्रीमान् जी इस संशोधन का अर्थ सिर्फ यह है कि सरकार ने जो रिजर्वेशन हरिजनों के हित में किया है उसके बारे में यह देखने की आवश्यकता है कि वह रिजर्वेशन

[श्री रामसुमेर]

पूर्ण हो रहा है या नहीं और यदि नहीं हो रहा है तो उसकी क्या दवा है और उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है। आशा है कि इस बारे में जो कमीशन की नियुक्ति की जायगी उससे यह मसला हल हो जायगा। श्री एल० एम० श्रीकान्त शिडयूल कास्ट के लिये नियुक्त किये गये कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में सफा ३४ पर लिखा है--

"I feel that a special machinery be set up to scrutinise each and every return very carefully and to ensure that instructions issued in this respect are strictly observed. Unless some such machinery is set up it will not be possible to examine the returns properly in which case the very object of calling for these returns will be defeated."

इसके मानी साफ हैं। श्रीमन् यह एक ऐसी बात है जिसको उस कमिश्नर ने महसूस किया और समझता हूं कि श्री पुत्तूलाल जी और यह सदन इसको मंजूर करेगा तथा सरकार भी उस कमीशन की सिफारिश को कंसीडर करेगी। हमारी शिकायत बहुत ही जायज शिकायत है अगर वह नहीं सुनी गयी तो हमारे जो हरिजन सदस्य यहां हैं और जो बाहर हैं उनके अन्दर एक ऐसा दर्द पैदा होगा और अगर वह दूर नहीं किया गया तो उसका असर देश के लिये कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि इन चीजों को दूर करने के लिये भी हम जब महात्मा गांधी के उसूलों में विश्वास करते हैं तो यह आवश्यक है कि उनकी सब चीजों को, उनकी स्पिरिट को हमें ग्रहण करना चाहिये, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी कि हम तो चाहते हैं कि भंगी राज्य हो जो नीचे हैं उनको ऊपर उठावें। सरकार की भी ऐसी भावना है और कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का यह आदर्श रहा है जिसके आधार पर हम यहां प्रजातंत्र का नाम लेते हैं तो इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि जो हमारा संशोधन है उसे सरकार किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार कर लेगी।

†मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)--मुझे खेद है कि इस थोड़े से समय के भीतर इस विवाद की समाप्ति हो गयी क्योंकि और भी काम करने हैं। मैं जहां तक इस प्रस्ताव का उद्देश्य है उससे पूरी सहानुभूति रखता हूं। मैंने आज नहीं, बराबर यह चाहा है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें हरिजनों को काफी जगहें मिलें। जितनी कि उनके लिये सुरक्षित रखी जाती हैं उतनी तो मिले ही और अधिक भी मिल सकें तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि उनमें आत्मबल बढ़े, वे स्वावलम्बी हों। जो हमारा समाज है, जो हमारा संगठन है, अगर उसकी कोई भी कड़ी कमजोर रहती है तो हमारा सारा समाज कमजोर हो जाता है। इसलिये उनको बलवान बनाना, समाज को बलवान बनाने के लिये आवश्यक है। जैसा राजनारायण जी कहते हैं कि जब यह वर्ण व्यवस्था खतम हो जाय और हिन्दुस्तान के लोग भिन्न-भिन्न जाति और वर्ण कहना अपने को छोड़ दें और तब फिर इस बात पर विचार हो तब तक हरिजनों की क्या अवस्था हो जायगी, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री राजनारायण--मैंने ऐसा नहीं कहा था।

†श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अगर ऐसा नहीं कहा था तो उन्होंने बड़ी समझदारी की बात की। मगर बात यह है कि महात्मा गांधी ने हरिजनों को सब से ऊंचा उठाया और महात्मा गांधी अपने को सनातनधर्मी भी कहते रहे। महात्मा गांधी किसी न किसी रूप में वर्ण व्यवस्था को भी मानते थे लेकिन तो भी हरिजनों की जितनी

---

†यह भाषण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं किया गया।

सेवा उन्होंने की उतनी दूसरा कोई कर नहीं सकता। आज भी जो इतने हरिजन भाई हमारे बीच में मौजूद हैं वे भी महात्मा गांधी का अनुग्रह और उनकी अनुकम्पा ही हैं। तो उनके लिये यह कहना कि तब तक कुछ नहीं हो सकता, यह तो गलत बात होगी। अगर ऐसा होता तो आज इतने प्रतिनिधि हरिजनों के यहां होते ही नहीं। आखिर इन प्रतिनिधियों को बनाने वाले भी अलग-अलग वर्ण को मानने वाले ही हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादियों में भी ऐसे लोग हैं जो अपने वर्ण के ऊपर गर्व करते हैं। इसलिये इस बात को लेकर इस काम को छोड़ देने से तो उनका हित होने के बदले में नुकसान ही होगा। यह बात ऐसी है जिसके ऊपर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक सोसाइटी के लिये खड़ी है और कम से कम जो उसका आदर्श है वह तो ऐसा है कि जिसमें हरिजनों के लिये सर्वोच्च स्थान मौजूद है और जो उनको हर तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही और आगे भी कोशिश करती रहेगी। वह हरिजनों के साथ कोई इनायत करने के लिये नहीं, बल्कि समाज को सुसंगठित और सबल बनाने के लिये आवश्यक है कि वह चीज हो और उनकी शक्ति बढ़े। इसलिये जहां तक कि उस प्रस्ताव का सम्बन्ध है जो पुत्तूलाल जी ने दिया है वह मैं समझता हूं कि वैधानिक रीति से ठीक नहीं है और वह जिस शक्ल में है उससे उन्हें लाभ भी पूरा होगा इसमें हमें शक है। मैं जो उसके बारे में संशोधन रामदास जी ने दिया है उसको स्वीकार करता हूं कि वह संशोधन माना जाय। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि उस दिन मुझे सब से बड़ी खुशी होगी जिस दिन १८ नहीं बल्कि २० फी सैकड़ा हर सर्विस में हमारे हरिजन लोग रहेंगे और २० ही क्या २५ भी हो जायं तो मुझे ज्यादा हर्ष होगा। मैं हर्गिज नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी जगह हो जो उनको न मिल सके। और उससे वह महरूम रहें। परन्तु इस बात को भी देखना है कि एफीसिएंसी भी कायम रहे। और इस बात को हमारे हरिजन भाई भी मानते हैं। नहीं तो उसको न कायम रखते हुये उनको रखा जाय तो उनकी उन्नति भी न हो और तरक्की पाते जायं तो यह अच्छा नहीं है। मैंने कोशिश की है कि जितनी बड़ी शिक्षा की जगहें हैं ज्यादा से ज्यादा उनको वहां अवसर मिल सके ताकि वह ज्यादा से ज्यादा एफीशिएंसी ला सकें। इसलिये तमाम जो कालेज और यूनिवर्सिटियां हैं उनमें स्कालरशिप्स और फीस माफ होने के लिये हमने व्यवस्था की है। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसने यह सरकुलर जो १८ फीसदी के लिये भेजा था उससे मालूम हो जायगा कि हम क्या चाहते हैं। यह सितम्बर सन् १९५३ में भेजा गया था और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से गया था--

"I am directed to invite a reference to the orders contained in Appointment (B) Depatrment's Office Memorandum no. 0-2266/II—B-13-1946, dated August 26, 1950, according to which, consistently with the maintenance of efficiency of administration, (*i*) the interest of the backward classes in general to be borne in mind in making appointements, and (*ii*) a general reservation of 10 per cent. of the vacancies has been in force for members of the Scheduled Castes in making appointments to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh, and to the other instructions (noted in the margin) which have been issued form time to time for facilitating the recruitment of members of the Scheduled Castes, so as to secure their due representation in the public services of the State. The State Government had occasion recently to review the entire position on the subject, when it was felt that inspite of the efforts that have been made in the past, the Scheduled Castes who, according to the 1951 census, constitute about 18 per cent. of the total population of this State, are not yet adequately represented in the public services of the State. With a

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

view to improve the present position, the State Government have now decided to increase the general reservation in favour of Scheduled Castes of vacancies filled by direct recruitment from 10 per cent. to 18 per cent. so as to bring it in accord with the population ratio. The Governor has accordingly been pleased to order, in pursuance of the provisions of clause (4) of Article 16 and Article 335 of the Constitution, and in supersession of the instructions contained in the Office Memorandum of August 26, 1950, referred to above, that consistently with the maintenance of efficiency of administration :—

(*i*) the interest of the backward classes shall in general be borne in mind in making appointments ; and

(*ii*) there shall be a general reservation of 18 per cent. of the vacancies to be filled by direct recruitment for members of the Scheduled Castes in making appointments to services and posts in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ;

Provided that if in any one year, candidates of the Scheduled Castes fail to be recruited to any service or establishment to the extent of of 18 per cent. the deficiency shall be made good in the recruitment to the service or establishment concerned in the following year :

Provided further that the reservation on account of the deficiency shall not be carried forward for more than one year.

2. The State Government attach very great importance of the necessity of assisting members of the Scheduled Castes in securing their due representation in the public services. Government expect that in pursuance of their general policy, all appointing authorities should exercise the greatest possible care in ensuring that the sanctioned quota of vacancies is made available to members of the Scheduled Castes and that to the extent of this quota, members of the Scheduled Castes are, subject to the fulfilment of minimum qualifications, appointed against the vacancies reserved for them. The guiding principle for this purpose has already been indicated in paragraph 5 of G. O. no. 0-3149/II-B—26-1949, dated October 29, 1949, referred to in the margin, according to which it would be sufficient for a Scheduled Caste candidate to satisfy the minimum standards required for a particular post, even though such a candidate may be far below others in merit. The State Government further desire that appointing authorities should take a personal interest in this matter, and that no effort should be spared in securing the due representation of members of the Scheduled Castes in the public services of the State."

अब इससे ज्यादा कोई हिदायत गवर्नमेंट अपने सबार्डिनेट को या किसी को नहीं दे सकती कि मैक्सिमम असिस्टेंस जहाँ तक पासिबिल हो, उनके इस कोटा को लाने के लिये, उनको देना चाहिये और इस बात को हर एक को जिसको अप्वाइंट करना है अपने सामने पूरी तरह से लिहाज करके कोशिश करनी चाहिये कि इनका यह जो रिप्रेजेंटेशन है, यह पूरा हो। पब्लिक सर्विस कमीशन को और जितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको यह सर्कुलर भेजा गया जिस वक्त कि हमने १८ परसेंट किया। पहले के जो और सर्कुलर हैं उनको मैं पढ़ना नहीं चाहता। इसके बाद हमने अक्टूबर में दूसरा सर्कुलर भेजा, वह यह है :

"Number of appointments by promotion from lower service, if any, by competitive examination, by selection, distribution of vacancies filled by

direct recruitment, appointment other than promotion in the year under report in respect of scheduled castes and others."

कि हर साल फरवरी के महीने में पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर तक की रिपोर्ट हर एक आफिसर के यहां से आनी चाहिये कि कितनी जगहें वहां हुईं, उनमें से कितनी जगहों पर नये आदमी रखे गये और उनमें से शेडयूल कास्ट के कितने आदमी रखे गये। मैं नहीं जानता कि इससे ज्यादा हम और इसमें क्या कर सकते हैं। मगर कोई और सुझाव किसी का हो तो उसको हम समझने को तैयार हैं, जो कि व्यावहारिक हो। इसलिये मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता और मैं आशा यह करता हूं कि इस काम में कोई अगर रुकावटें हों तो उसको हम सब लोग दूर करें। दफ्तरों में जो जगहें हैं उन पर और चपरासियों की जगहों पर हरिजन क्यों नहीं प्रोपोर्शन में रखे जाते हैं, यह उनको ख़याल करना चाहिये कि जब एक हिदायत गवर्नमेंट से होती है तो उसको पूरा करना है। हम चाहते हैं कि हमें इस बात का लिहाज रखना है कि जो हिदायतें हुई हैं उनके मुताबिक काम न हो, तो वह गवर्नमेंट के आर्डर्स के खिलाफ चलना है और उसका आइन्दा हमें लिहाज करना पड़ेगा।

श्री पुत्तूलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उसको ध्यान में रखते हुये मैं यह उचित समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है इसको दूसरा रूप देकर श्री रामदास जी आर्य के संशोधन के रूप में रख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—जैसा कि अभी कहा गया है, अब मैं यह जो रामदास जी आर्य का संशोधन है...

श्री राजनारायण—श्रीमान्, प्वाइंट आफ आर्डर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो रामदास जी का प्रस्ताव है वह तो एक इंडिपेंडेंट सा प्रस्ताव है। वह संशोधन के रूप में कैसे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन और सब्सटिट्यूशन दोनों हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, अगर उसको आप देखेंगे तो जो पहला प्रस्ताव है उसकी स्पिरिट के बिल्कुल कंट्रेडिक्शन में यह कहीं-कहीं जाता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जायगा। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ताकि इसमें कहीं अनियमितता न आये। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन सब से पहले लिया गया था और इस पर अभी तक विचार होता रहा। अभी तक कोई ऐसा एतराज नहीं हुआ। जो भाव मूल प्रस्ताव में है वही इसमें आता है। इसलिये मैं ऐसा कहता हूं कि उसके बदले में यह सब्सटिटयूट किया जाय अगर सदन इसको मंजूर करे यह भी है कि अगर यह उसके स्थान पर सब्सटिटयूट होगा तो और दूसरे संशोधनों पर राय लेना आवश्यक नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिगणित जातियों को सरकारी नौकरियों में दिये गये १० प्रतिशत संरक्षण को बढ़ा कर १८ प्रतिशत कर देने का जो निश्चय किया है उसके लिये यह सदन सरकार की सराहना करता है और आशा करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तथा नौकरियों के चुनाव के लिये अन्य प्रत्येक चुनाव समिति (Selection Board) सरकार के इस निश्चय को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मध्यवर्ग की जटिल गृह समस्या का छोटे एवं स्वास्थ्यपूर्ण मकानों के निर्माण द्वारा निराकरण करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) ——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव सदन के सन्मुख उपस्थित करता हूं :——

> "नगरों की जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही मध्यवर्ग के लिये गृह समस्या भी अत्यन्त जटिल होती जा रही है। इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार को इस समस्या का निराकरण किस्तों पर छोटे एवं स्वास्थ्यपूर्ण मकानों का निर्माण कराके करना चाहिये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव आपके सन्मुख प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त आवश्यक समस्या की ओर दिलाऊं। मनुष्य की तीन आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। भोजन की समस्या आप जानते हैं कि देश के सामने एक विकट रूप से उपस्थित थी। यह हर्ष की बात है कि उस समस्या में बहुत कुछ सुधार हुआ है। इसी तरह से कपड़े के मिलने में जो कठिनाइयां थीं उसमें भी पहले से कुछ सुधार हुआ है और अब उसमें किसी भी प्रकार का राज्य के नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रही है। मुझे अत्यन्त खेद है कि यही बात विशेष तौर से नगरों में गृह व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है मेरा अनुमान है कि प्रति वर्ष कुछ नगरों की जनसंख्या तो १० प्रतिशत बढ़ जाती है। अगर अपने प्रदेश के काबाल टाउन्स को देखा जाय तो मेरा अनुमान है कि दस वर्ष में वहां की जनसंख्या प्रायः दुगुनी हो गई है। और यदि वहां की गृह समस्या आप अध्ययन करें, यदि आप वहां के स्लम्स का निरीक्षण करें तो आपको विदित होगा कि किस तरीके से, खास तौर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उन गरीब लोगों की तरफ, उस शिक्षत वर्ग की ओर जो सौ सवा सौ रुपये वेतन पाते हैं, मेरा मतलब दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी और छोटे दुकानदार, जर्नलिस्ट और दूसरे दिमाग़ी काम करने वाले लोगों से है जिनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे अच्छे मकानों की व्यवस्था कर सकें। वैसे अनुमान किया जाता है कि आमदनी का दस फीसदी हिस्सा मकान के किराये में जाना चाहिये लेकिन अगर नगरों की स्थिति को आप देखें तो मेरा अनुमान यह है कि इन शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों को २५, ३५ और ४० फीसदी तक कभी-कभी अपनी आय का मकान के किराये में खर्च करना पड़ता है। हमारे प्रदेश में जो हजारों और लाखों आदमी रह रहे हैं यह उनकी समस्या है और इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

विशेष तौर पर इस प्रस्ताव को मैं सदन के सामने इसलिये रख रहा हूं और वह केवल नगर के मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग के लिये रख रहा हूं, उसका एक विशेष कारण है क्योंकि उनकी यह समस्या एक विशेष तरह की है और जो विशेष तरीके से ही हल हो सकती है। इसलिये इस प्रस्ताव में मैंने केवल उनका ही जिक्र किया है। एक तो आप जानते ही हैं कि हमें मकानों की बड़ी भारी जरूरत है, हमें इंडस्ट्रियल लेबर के लिये भी मकान चाहिये स्लम क्लीअर करने के लिये भी जिसकी तरफ हमारे पंडित नेहरू जी ने भी देश का ध्यान आकर्षित किया है और हमारी प्रादेशिक सरकार ने भी कुछ कार्य किया है और आगे भी करने जा रही है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा गांवों के गृहों की भी समस्या ऐसी है जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और सरकार का ध्यान उधर गया है और उसमें सरकार कुछ कार्य कर भी रही है।

परन्तु मुझे खेद है कि इस 'फटीचर' थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले लोग जो शहर में रहते हैं और मस्तिष्क का काम करते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उनके लिये अभी तक कोई योजना सामने नहीं आई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिये एक योजना बनाई जाय और उनको मकान रेंट पर नहीं बल्कि हायर परचेज सिस्टम पर दिये जायं। मुझे समय नहीं है अन्यथा मैं आपको बतलाता कि किस तरह से इंगलैण्ड में तथा दूसरे देशों में इस समस्या को हल किया जा रहा है। किस तरह से वहां अरबों रुपये इस थोड़े से वर्ग के लिये नेशनल हाउसिंग स्कीम पर खर्च कर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि सदन इस चीज को स्वीकार करेगा और सरकार ध्यान देकर एक समुचित योजना बनायेगी और एक नेशनल हाउसिंग फायनेंसिंग कारपोरेशन बनाने का निश्चय करेगी। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) ---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि :--"संकल्प के प्रथम शब्द "नगरों" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश के नगरों तथा ग्रामों" और प्रथम पंक्ति में शब्द "मध्यवर्ग" के स्थान पर शब्द "किसानों तथा मजदूरों" रख दिये जायं।"

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने श्री विभव जी ने रखा है उसमें एक बड़ी भारी त्रुटि है कि वह नगर के लोगों से ही वास्ता रखता है। मैं आपको बतलाऊं कि यह समस्या जितनी जटिल गांवों में है और कहीं नहीं है। शहरों में आप देखते हैं कि शिक्षित लोगों की दीन दशा मेरे मित्र ने बतलाई है--उनके रहन-सहन, भोजन और मकान, इन तीनों की ओर ध्यान दिया जाय तो मैं यह समझता हूं कि शहर का एक मध्यवर्गी अच्छा ही होगा गांव के एक अमीर से। उसका खाना-पीना अच्छा होगा, रहन-सहन अच्छा होगा और कपड़े भी अच्छे होंगे।

यहां जो जन-संख्या का इस प्रकार से वर्णन हुआ, यह प्रकृति के विरुद्ध तथा असम्भव है कि गांव में जन संख्या न बढ़ती हो, वहां भी बढ़ती जा रही है। शहरों में भी बढ़ती है। मैं यह मानता हूं कि यह प्राकृतिक नियम है और शहर और गांव दोनों जगह बढ़ती है। इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि मेरा जो संशोधन है उसमें वह प्रायः सभी के लिए है, चाहे नगर हो, चाहे गांव हो। मजदूर और किसान दोनों स्थानों में रहते हैं। मजदूर से तात्पर्य वह नहीं है जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, वह मजदूर जितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनको थोड़ा वेतन मिलता है, या कारखानों में काम करते हैं। वह सब मजदूरों में शामिल हैं।

अब आगे चल कर "मध्य वर्ग" का जो शब्द आया है, इसको देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मध्य वर्ग, छोटा वर्ग और उच्च वर्ग, अगर हम इस प्रकार समाज का वर्गों में विभाजन कर दें तो यह हमारे लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हमें यह विभाजन नहीं करना है, वह तो अच्छी दशा में है, साथ में उस वर्ग को लीजिये जो दलित है और जो गांव और शहरों में दोनों स्थानों में रहता है। जहाँ भी आप देखें, उनके मकानों की जटिल समस्या है। हमें पहले उन्हीं की ओर ध्यान देना होगा। केवल नगरों की ओर ही नहीं बल्कि ग्राम और नगर निवासी जो किसान मजदूर हैं उन्हीं की ओर ध्यान देना है, जिनकी दशा गिरी हुई है।

मेरे मित्र प्रस्तावक श्री देवकीनन्दन विभव (आगरा) ने जो दो स्थानों पर शब्द रखे हैं कि नगरों की जनसंख्या की वृद्धि और "मध्यम वर्ग", यह एक

[श्री श्रीचन्द]

हानिकारक तथा डर की बात है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक ने जो कुछ भी कहा है यह कुछ ऐसी बात नहीं है कि एक सम-दृष्टि से देखने वाला विचार हो। यदि हम इस समय भी इस प्रकार के प्रस्ताव इस सदन के सामने रखेंगे तो हमारे देश के लिए एक बुरी बात होगी। हमको समदृष्टि से इन जातियों का या उस वर्ग का उद्धार करना है, जो कि उद्धार के योग्य है और मैं अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि मेरे मित्र जो माननीय सदस्य हैं वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। इसमें सब के लिए समान रूप से एक बात है, मध्यम वर्ग से नहीं, मैं तो सब वर्गों के लिए चाहता हूं कि एक उन्नत मकानों की व्यवस्था करना आवश्यक है और मैं समझता हूं कि प्रस्तावक जी इस पर सहमत होंगे, जैसा कि स्वयं भी वे स्वीकार कर चुके हैं कि गांव की जनता के लिए भी मकान बनाना आवश्यक है। फिर मुझे खेद है कि उन्होंने नगरों तथा मध्यवर्ग शब्द क्यों रखे? जय हिन्द !

(इस समय ४ बजे सायंकाल श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव के संकल्प की पहली पंक्ति में शब्द "मध्य वर्ग" के स्थान पर शब्द "गृहहीन जनता" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी प्रस्तावक महोदय ने कहा कि घर जो है वह मानव समाज के लिये एक आवश्यकता है, तो चाहे वह ग्राम के हों या शहर के हों जरूरत सबको है। हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि ग्रामों के लिये जब उसने जमींदारी का खात्मा किया तो कम से कम गांव के रहने वालों के लिये यह बात तय हो गयी कि वे उनके जो घर हैं या बनाये जायं उसके वे स्वयं मालिक होंगे लेकिन उनकी जो गरीबी हालत है वह इतनी खराब है कि वह अपने घरों को बना नहीं सकते। ऐसी दशा में सरकार ने जो हमारी पंचवर्षीय योजना में और ग्राम विकास योजना में जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। यहां नगरों की हालत बिल्कुल उल्टी है। अभी तक वहां जमींदारी एबालीशन नहीं हुआ है और शहर विकसित होते जा रहे हैं। किसी भी शहर को आप ले लें उसके इतिहास से यह मालूम होगा कि यह शहर यहां के रहने वाले गरीब लोगों के घरों पर बना है। शहर में कारखाने हैं और अन्य विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन मध्यवर्ग या निम्न वर्ग वहां रहता है उसकी हालत बहुत खराब है जब कि वही निर्माण कार्य करता है उसके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। ४० फीसदी लोग ऐसे हैं जो किराया देकर रहते हैं फिर भी घर नहीं मिलता। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि जो लोग पटरियों पर रहते हैं, जो लोग मारे-मारे फिरते हैं, लेकिन कारखानों में काम करते हैं या अन्य सेवा कार्य करते हैं उनके लिये घरों का प्रबन्ध किया जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तावक महोदय से कहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देवकीनन्दन विभव द्वारा जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

"और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राप्त धनराशि का अधिकाधिक भाग इस हेतु शीघ्र व्यय करने की व्यवस्था की जाय।"

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश और प्रदेश में हमारे मध्य वर्ग के लोगों को गत वर्षों से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। ज्यों-ज्यों हमारे देश में चीजों की कीमतें बढ़ीं त्यों-त्यों वह वर्ग जिसकी आय सीमित थी, जिसको साधारण नौकरी करके अपना गुजारा करना

पड़ता था उसके सामने आर्थिक कठिनाइयां रहीं और उसके सामने रहने के लिये मकान की दिक्कतें आईं। बड़ी मुश्किलों से आदमी जब अपने रोजाना के कार्य को चला पाता है तब उसके लिये मकान बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं समझता हूं मध्य वर्ग इस समय भी हमारे प्रदेश में बहुत दुखी है। आज तक हमारे प्रदेश की सरकार ने किसानों, मजदूरों और श्रमिकों की कठिनाइयों को सामने रख कर उनको सुखी बनाने की व्यवस्था पर विचार किया है, किन्तु इस प्रदेश का मध्यम वर्ग ऐसा है जिसके लिये आज तक सरकार द्वारा कोई सुगमता नहीं पहुंचाई गई। सबसे बड़ी समस्या मध्य वर्ग के लिये नगरों में मकानों की है। अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनको अपने परिवार को ऐसे गन्दे और छोटे-छोटे स्थानों पर रखना पड़ता है जहां रह कर उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह सकता और वहीं उनको गुजारा करना पड़ता है। यह प्रस्ताव जो श्री देवकीनन्दन विभव जी ने प्रस्तुत किया उनकी कठिनाइयों को कुछ कम कर सकता है। हमारे पिछले बजट में हमने देखा कि कुछ रुपया मकान बनाने के लिये रक्खा गया था और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कुछ रुपया दिया जाता है किन्तु केन्द्रीय सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा जो धनराशि बजट में इस प्रकार रक्खी जाती है वह खर्च नहीं हो पाती। उनके नियमों में इस प्रकार की परम्परा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी लोग बनायें। किन्तु जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका अभिप्राय यही है कि सरकार किस्तों में उन लोगों को ऋण दे उसे बनवाये जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। यदि सरकार उनके लिये ऋण के रूप में मकान बनाकर दे और उनके पास जमीन या जो धन है उसको जमानत के रूप में उनसे ले ले तो आसानी से इस समस्या का समाधान हो सकता है। कोआपरेटिव सोसाइटी उनके लिये बनाना और उन सोसाइटीज को ऋण देना और ऋण देने के समय उनसे जमानत होना उन मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये जिनकी स्थिति कमजोर है बड़ी मुश्किल पड़ती है, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प के साथ इन नीचे लिखी पंक्तियों को जोड़ दिया जाय और जो रुपया केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने की आशा है, उसका अधिक से अधिक भाग सरकार द्वारा इसपर व्यय किया जाय और इस संकल्प के आधार पर भवन बनाने के लिये लोगों को दिया जाय जो धीरे-धीरे किराये के रूप में प्राप्त कर लिया जाय। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को संकल्प के अन्त में जोड़ लें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्री देवकीनन्दन विभव के संकल्प में इस प्रकार से जोड़ दिया जाय कि:—"वृद्धि के साथ हो" और मध्यवर्ग के बीच "नगरों के अन्दर रहने तथा जीविकोपार्जन करने वाले" जोड़ दिया जाय और अन्त में "चाहिये" के बाद "और किरायेदारों की समस्या का हल मकान मालिकों की लागत तथा लाभ को सन्तुलित करके न्यायपूर्ण ढंग से किया जाय" यह जोड़ दिया जाय।

मैं समझता हूं कि हमने जो संशोधन पेश किया है उसका आशय स्पष्ट हो गया होगा। माननीय विभव जी ने मध्यम वर्ग की श्रेणी पर ही जोर दिया है। तो यह सही है कि मध्यम वर्ग की स्थिति आज बहुत चिन्तनीय है। मगर उस मध्यम वर्ग की दशा के चिन्तनीय होने के साथ-साथ नगरों की सड़कों की पटरियों पर सोने वाली जनता जो रात भर रिक्शा चलाकर रिक्शा पर ही सो जाते हैं उनकी हालत भी चिन्तनीय है। विभव जी जरा इसको व्यापक दृष्टि से देखें और इसी दृष्टि से हमारे संशोधन को भी स्वीकार करें। उसके अन्दर मध्यम वर्ग भी शामिल है। मध्यम वर्ग एक किसी खास तबके को नहीं कहा जाता है उसमें पढ़े लिखे और यह लोग भी आते हैं जो छोटा मोटा काम शहरों में करते हैं। यह एक व्हेगटर्म (भ्रामक) है। उन सबों के लिये घरों का सवाल है। उनकी मुसीबत दूर होनी चाहिये।

दूसरा संशोधन जो अन्त में जोड़ने के लिये अर्ज कर रहा हूं उसका मकसद यह है कि नगर के अन्दर जो आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से किरायेदारों की बड़ी भारी पेचीदा स्थिति हो रही है। नगरों में जो किरायेदार रह रहे हैं उन्हें मकान मालिक इजैक्ट (बेदखल) कराने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पर हर साल दो चार फौजदारी के केसेज (मुकदमे) भी हो जाते

[श्री राजनारायण]

हैं। जब जमींदारी अबालीशन (जमींदारी उन्मूलन) किया गया था तो उस समय यह आश्वाशन दिया गया था कि नगर के अन्दर जो जमींदारियां हैं उनको अविलंब समाप्त किया जायगा। मैं चाहता हूं कि इस संशोधन के जरिये से नगर के किरायेदारों की हालत में कुछ सुधार हो सकेगा और माननीय देवकीनन्दन जी विभव इस बात पर ध्यान देंगे कि जो अगणित किरायेदार शहर में रहते हैं उनकी हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। ५०-५० और १००-१०० साल किरायेदार को रहते हुये हो गये और अगर उस मकान में १००० रुपया लगा है तो आपको मालूम होगा कि उससे कहीं ज्यादा मकान मालिक वसूल कर चुका है। ऐसी हालत में भी वह उसको उसमें से निकालने का प्रयत्न करता है। इसलिये ऐसी हालतों में जब कोई किरायेदार काफी ज्यादा दे चुका हो तो वह उसका मालिक समझा जाय। मतलब यह है कि नगर में किरायेदारों के सवाल को हल करने के लिये समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय देवकी नन्दन विभव हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि हमारे इस संशोधन से उनका जो आशय है उसमें कोई विरोध पैदा नहीं होता बल्कि उनके प्रस्ताव का ही वह पूरक है

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि मध्यम श्रेणी एक श्रेणी है कि जिसके पास मकान नहीं है। मैं कानपुर की स्थिति को बताना चाहता हूं। वहां मध्यम श्रेणी लोगों के लिये एक भी मकान सरकार के द्वारा या सामूहिक रूप से नहीं बनाया गया है। मजदूरों के लिये तो, अगर मैं गलती नहीं करता तो, १५ साल पहले मकान बनाये गये थे और ७ रुपया महीने किस्त लेकर १२ साल में वह मकान रहने वाले के हो गये। उन मकानों में जो लोग रहते हैं उनमें से एक इस विधान सभा के सदस्य श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी हैं। अब भी मजदूरों के लिये कानपूर, लखनऊ और आगरा में हजारों मकान बन चुके हैं और बनाये जा रहे हैं लेकिन मध्यम श्रेणी की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। कानपुर में इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है हालांकि वहां शहर में हजारों एकड़ जमीन पड़ी है जहां पर किस्त वाले मकान बन सकते हैं। मैंने वहां के प्रशासक महोदय से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में जमीन तो है और हम जमीन दे भी सकते हैं यदि सरकार रुपया दे-दे तो हम मकान भी बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कानपुर में शरणार्थियों के लिये १५० मकान विकास बोर्ड के द्वारा बनवाये गये हैं और उनका रुपया वे १२ साल में वसूल करेंगे। इसका मतलब यह है कि मजदूरों की समस्या हल हो रही है, शरणार्थियों की समस्या हल हो रही है लेकिन मध्यम श्रेणी की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है। मैं केन्द्रीय सरकार को इसलिये मुबारकबाद देता हूं कि उसमें मध्यम श्रेणी के लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लो कास्ट हाउसेज की दिल्ली में एक नुमाइश की जिसमें १७०० रुपये से लेकर ५ हजार रुपये तक के मकान बनाये गये हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि उसने जो दो मकान वहां नुमाइश में बनाये हैं वे मुझको बहुत सुन्दर मालूम हुये यह दो कमरे वाले मकान हैं इस तरह से मैं समझता हूं कि यदि हम लोग प्रयत्नशील हों और हमारी सरकार इसमें मदद करे तो यह समस्या शीघ्र हल हो सकती है। जहां तक मजदूरों का ताल्लुक है अब भी केन्द्रीय सरकार लेबर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को ३० प्रतिशत सबसिडी और ३० प्रतिशत लोन देने के लिये तैयार है, यदि कोई सोसाइटी मकान बनाना चाहे मैं समझता हूं कि अब केवल मध्यम वर्ग ही रह गया है जिसके लिये मकानों की समस्या हल करना आवश्यक है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह कानपुर या अन्य बड़े बड़े शहरों में जहां कि विकास बोर्ड हैं उनको उधार रुपया व्याज परदे तो यह समस्या जल्द से जल्द हल हो सकती है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विभव जी ने इस सदन के सामने रखा है उससे मेरी पूरी हमदर्दी है और इस ओर जितना भी कदम

उठाया जाय उतना ही अच्छा होगा। सरकार का ध्यान इस ओर रहा है और इस ओर जो कुछ भी थोड़ा बहुत बन पड़ा है किया गया है। जैसा अभी इस सदन के एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि कई प्रकार से मकान बनवाने की योजना बनी और मकान बनवाये गये। मजदूरों के लिये हायर परचेज सिस्टम पर जिसका कि उन्होंने जिक्र किया मकान बनवाये गये और उनमें बहुत से मकान उन मजदूरों के अपने हो गये, किराया देने के बाद। इस वक्त कानपूर में मजदूरों के लिये दो बड़ी बड़ी कालोनीज बनवाई गयी हैं और उसमें काफी रुपया खर्च हुआ है। एक और योजना है जिसमें ३० लाख से अधिक रुपया खर्च होगा और जिसके अनुसार बाल्मिकियों यानी मेहतरों के लिये इस प्रदेश में मकान बनवाये जायेंगे। इस शहर में भी कुछ मकान ऐसे बने हैं जिनको मध्यम वर्ग के लोगों के लिये कहा जा सकता है और उनको वे किराये पर दिये जाते हैं। इस प्रकार जो कुछ थोड़ा बहुत इस ओर बन पड़ा है वह किया जा रहा है और आशा है कि जितना भी रुपया इस प्रदेशीय सरकार के बजट में से या केन्द्रीय सरकार से मिलेगा वह इस ओर खर्च किया जायगा, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इसलिये मुझे इस प्रस्ताव से पूरी हमदर्दी है और मैं इसको मानता हूं। केवल एक चीज इसमें है जो इसके दायरे को संकुचित कर देती है। वह यह कि 'मकान बनवाना जिससे कि मध्यम वर्ग के लोगों का कष्ट दूर हो' यह तो बात ठीक है लेकिन ये किस तरह के मकान बनाये जायेंगे। दूसरे प्रकार के अनुसार बनाये जायेंगे तो इसका माने यह होगा कि केवल वही मध्यम वर्ग के लोग जो किराया या किराया से कुछ ज्यादा उसका मूल्य दे सकेंगे वे ही उससे फायदा उठा सकते हैं। यह हायर परचेज सिस्टम के अनुसार जितने रुपये किराये के लिये जरूरी होते हैं उससे कुछ ज्यादा लिया जायगा ताकि उसकी कीमत भी अदा हो जाय। इसलिये एक माने में तो इसका दायरा कुछ महदूद हो जाता है हम सिर्फ एक ही रास्ता अख्तियार करते हैं। इसके कई रास्ते हो सकते हैं। किस्तों पर भी दिया जा सकता है, कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाकर भी मकान बनवाये जा सकते हैं और गवर्नमेंट या लोकल बाडीज मकान बनवा कर उसको किराये पर दे सकते हैं। यह कई उपाय हो सकते हैं। इसलिये इन दो अल्फाज में इस प्रश्न को संकुचित कर दिया गया है। अगर ये दोनों अल्फाज न हो तो मेरी पूरी हमदर्दी है और मुझे इसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं आपके भाषण के बाद जो श्री व्रजबिहारी जी ने संशोधन भेजा है उसको ले लूंगा। वह साफ है।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर ऐसा हो जाय तो शहर के मध्यम वर्ग के लोगों के लिये इसका दायरा जरा विशेष हो जाता है और जो वह एक रास्ता दिखाते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद जो अमेंडमेंट्स में पहला है जिसमें शहरों के साथ ग्रामों का भी जिक्र करता है तो उसके लिये तो मेरी राय में उत्तर प्रदेश के नगरों और देहातों में कोई भेदभाव करना सही नहीं है। लेकिन इस समय मकानों की समस्या इतनी जटिल है और वे दो प्रकार की समस्यायें हैं। एक तो यह कि मकान हो जिसमें लोग रह सकें और रात को सो सकें और दूसरे यह कि मकान स्वस्थ और अच्छा हो। गांवों की हालत काफी खराब है। गांव वालों के मकान काफी खराब हैं। गांवों में इस तरह की बात कभी नहीं आती जिस तरह शहरों में आती है। वहां कोई आदमी सड़क पर नहीं सोता है। यह अतिशयोक्ति न होगी कि बहुत से शहरों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रात को छत नहीं मिलती, लेकिन गांव में इस तरह की समस्या बहुत कम आती है। गांवों में जो असल समस्या है वह यह है कि उनके मकान बहुत खराब हैं, वहां का ड्रेनेज बहुत खराब है, वहां की गलियां खराब हैं यह सब चीजें हैं और अगर गांव माडेल विलेजेज बनाकर अच्छे बन सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन इसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। यह दूसरी बात है कि यह कहा जाय कि इधर ध्यान दिया जाय, मैं इससे सहमत हूं लेकिन यह इसमें यहां ठीक नहीं जुड़ता। अगर अलग से आवे तो मुनासिब होगा

[श्री मोहनलाल गौतम]

जहां तक मध्यवर्ग के स्थान पर 'गृहहीन' रखने की बात है तो यह प्राबलम असल में ऐसा है कि इसको अगर यह कहा जाय कि मध्यम वर्ग के लिये मकान बनेंगे तो केवल मध्यम वर्ग को फायदा होगा ऐसी बात नहीं है। यह एक बड़ा व्यापक प्रश्न है। अगर मध्यवर्ग के लोगों को मकान मिल जायं तो जो मकान मध्यवर्ग के लोग छोड़ेंगे वह दूसरों के नाम में आयेंगे। यह समस्या बड़ी इंटरलिंक्ड समस्या है इतनी जुड़ी हुई कि अगर मध्यवर्ग के लोगों को मकान बनाकर दुसरी तरफ ले जाया जाय तो जो मकान उनके होंगे वह दूसरों के काम में आ सकते हैं : इसलिये अगर १ लाख या ५० हजार मकान शहरों में बन सकें तो मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग के लोगों को तो फायदा होगा ही, ऊपर के लोगों को भी लाभ होगा और नीचे के लोगों को भी लाभ होगा। सब को फायदा होगा। "गृहहीन" रखने से तो आप सिर्फ उन लोगों के लिये लखनऊ शहर में मकान न हों उनके लिये चाहते हों। लेकिन वह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ है और महानगर की स्कीम हमारे यहां चल रही है। ख्याल यह है कि इसमें उनको रखा जाय जमीन उनको दी जाय जिनके पास मकान न हों और जमीन भी न हो और जिनको आप गृहहीन कह सकते हैं तो ध्यान तो उस तरफ है लेकिन उसको जोड़ने से कोई खास फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप "मध्यमवर्ग" रखना चाहते हैं "गृहहीन" नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, उसमें सभी लोग आ जायेंगे और उनको फायदा हो सकेगा क्योंकि मध्यम वर्ग द्वारा जो मकान छोड़े जायेंगे वह उसमें आ जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि उसमें एक खास टाइप के, एक खास हैसियत के, एक खास कीमत के मकानों की तरफ तवज्जह दिलाई गयी है। तो और उसमें यह जुड़ता है या नहीं जुड़ता है उसमें कोई मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं मालूम होती है। लेकिन मध्यमवर्ग के रहने में एक खास टाइप के मकानों की तरफ इशारा है, इतना ही मैं समझता हूं, और ज्यादा माने इसमें है नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं मध्यम वर्ग का, कुछ समझ में नहीं आया ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं समझा रहा हूं। उसके समझने के बाद हाउस चाहे तो विरोध करे और हाउस चाहे तो समर्थन करे।

श्री अध्यक्ष—आबजरवेशन है खाली।

श्री मोहनलाल गौतम—तीसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राप्त धनराशि का अधिकाधिक भाग इस हेतु शीघ्र कम करने की व्यवस्था की जाय। जो धर्मदत्त जी वैद्य ने कहा है अगर उसके माने यह है कि जो मकानों के लिये हमको केन्द्रीय सरकार से रुपया मिले वह हम खर्च करें तो उसमें "अधिकाधिक" शब्द जुड़ता नहीं, क्योंकि वह तो हम को पूरा खर्च करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें इस निमित्त लिखा है, यानी इसी काम के लिये।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं यही कह रहा हूं कि इस निमित्त.....

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि इस निमित्त जो न मिले उसमें से आप अधिकाधिक कम कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था।

एक सदस्य--समझ गये आप ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी, इतना आसान नहीं है। जितनी स्थूल काया होगी, उतना ही जल्दी समझ में नहीं आयेगा। मैं दुबला पतला आदमी हूं। मेरी अकल भी ज्यादा मोटी नहीं है।

श्री राजनारायण--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय मंत्री जी की अक्ल मोटी या माननीय मंत्री जी की अक्ल पतली के क्या मानी हुये ? माननीय मंत्री जी को सदन में जरा संयत भाषा बोलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह अपने लिये कह रहे थे।

श्री राजनारायण--जी, मैं समझता हूं कि अपने लिये कह रहे हैं, परन्तु उनको अपने लिये भी जरा गन्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम--जब मुझसे किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि "समझे" तब मैंने मोटी और पतली अकल की बात कही। अगर इस तरह का प्रश्न न किया जाता, तो मैं इस तरह का जवाब न देता।

श्री अध्यक्ष--इस बात को अब यहीं खत्म कर दिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, क्या आपने इसमें टाइम बढ़ा दिया है ? साढ़े ४ बजे तक का टाइम था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ४५ मिनट का टाइम था।

श्री राजनारायण--४५ मिनट हो गये।

श्री अध्यक्ष--हो गये तो जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम--बस, मुझे थोड़ा सा कहना है। यह सवाल बहुत आसान था कि मध्यम वर्ग के लिये और दूसरों के लिये मकान बनवाने जायं, लेकिन इसमें जो संशोधन माननीय राजनारायण जी ने किया है वह बिलकुल असंगत है। वह इतना बड़ा प्रश्न है कि वह इस छोटे से प्रस्ताव में आ ही नहीं सकता है। इसमें यह था कि मध्यम वर्ग के लिये, ग्रामीण जनता के लिये, शहर वालों के लिये, मजदूरों के लिये, किसानों के लिये मकान बनवाये जायं। लेकिन इसमें यह जोड़ देना कि मकान मालिकों और किरायादारों की समस्या को हल करने का जो बड़ा भारी प्रश्न है वह इसमें आये, अर्बन एरिया जमींदारी एबालीशन और जमींदारी एबालीशन इसमें आये, यह एक छोटे से प्रस्ताव के बहुत ऊपर जाता है। इसलिये मैं इसको असंगत समझता हूं और इस समय इसको लेना इस सदन के साथ अन्याय करना होगा। इसलिये इस प्रस्ताव के साथ इसको जोड़ना मुनासिब नहीं है और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष--श्री व्रजविहारी मिश्र, आप इसको सिर्फ पेश कर दें।

श्री व्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत संकल्प में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :--

"प्रस्ताव की तीसरी पंक्ति में आये हुये शब्द क़िस्तों पर निकाल दिये जायं।।' भाषण देने की आवश्यकता नहीं। आशा है मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जा ?'यग

श्री देवकीनन्दन विभव—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो संशोधन आये हैं उनको मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। मेरा ख्याल यह है कि यदि हमारे माननीय विरोधी दल के नेता, जो मेरा प्रस्ताव है और जो बहुत इन्नोसेंट है उसको पढ़े हुये होते तो यह किरायेदार और मकान वाला झगड़ा उनके सामने आता ही नहीं। मैंने तो जो प्रस्ताव रखा उसमें उस किरायेदार की स्थिति को हटाने के लिये ही प्रस्ताव रखा है कि जो मकान बनाये जाँय वे उनको किस्तों पर दिये जायं ताकि कुछ दिनों में वे मकान के स्वयं मालिक हो जायं। फिर यह समझ में नहीं आता कि किरायेदार का मामला कहाँ से टपक पड़ा।

मैं माननीय मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सद्भावना से मेरे प्रस्ताव को लिया है। यदि उन्हें सिर्फ किस्तों के शब्द से ही आपत्ति है तो यह समझता हूं कि जो मकान सरकार बना कर किराये पर दे रही है उसमें वह आगे के लिये एक संकट खड़ा कर रही है। मुझे कम से कम आगरे की बात मालूम है कि अनेक जगह जहाँ शरणार्थियों को सरकारी मकान बने उनका किराया वसूल करने में सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं तो यही उचित समझता हूं कि उनको इस प्रकार मकान दिये जायं जिससे दस, पन्द्रह साल में वे स्वयं मालिक हो जायं। उससे किराया वसूल करने की कठिनाई भी नहीं उपस्थित होगी और रुपया भी सर्कुलेशन में आ जायेगा। और जो रुपया किस्तों में आयेगा वह नये मकानों में उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई जिद नहीं है, यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं तो "किस्तों" की जगह में "सुविधापूर्वक योजना से" रख सकता हूं। गाँवों और शहरों का कोई मसला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जवाब दे चुके हैं। अगर उनसे आप सहमत हों तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—जी, ठीक है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं पहले मूल प्रस्ताव पढ़ दूं फिर एक एक संशोधन लूंगा। प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"नगरों की जन संख्या की वृद्धि के साथ ही मध्य वर्ग के लिये गृह समस्या भी अत्यन्त जटिल होती जा रही है। इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार को इस समस्या का निराकरण किस्तों पर छोटे एवं स्वास्थ्यपूर्ण मकानों का निर्माण कराके करना चाहिये।"

इसमें पहला संशोधन श्री श्रीचन्द का है जिसमें मध्यवर्ग की जगह नगरों के अलावा ग्रामों का भी जिक्र है। वह इस प्रकार है:—

संकल्प के प्रथम शब्द "नगरों" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश के नगरों तथा ग्रामों" और प्रथम पंक्ति में शब्द "मध्यवर्ग" के स्थान पर शब्द "किसानों तथा मजदूरों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इसके बाद श्री नारायणदास जी का संशोधन है। चूंकि किसानों तथा मजदूरों वाला संशोधन मंजूर हो गया है इसलिये "गृहहीन" शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह संशोधन लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद वाला संशोधन श्री धर्म दत्त वैद्य का है जो इस प्रकार है:—

"और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राप्त धनराशि का अधिकाधिक भाग इस हेतु शीघ्र कम करने की व्यवस्था की जाय।"

श्री धर्मदत्त जी, क्या आप इस पर जोर देते हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री राजनारायण जी का संशोधन यह है कि "संकल्प की पहली पंक्ति में "वृद्धि के साथ ही" और "मध्यमवर्ग" के बीच में निम्नलिखित शब्द "नगरों के अन्दर रहने तथा जीविकोपार्जन करने वाले" जोड़ दिये जांय (यह लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान और मजदूर मजदूर हो गया है। इसलिये मध्य वर्ग का प्रश्न उठता नहीं है।) और अंत में "किरायेदारों की समस्या का हल मकान मालिकों के लोभ तथा लाभ को संतुलित करके न्याय-पूर्ण ढंग से किया जाय।" यह जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री व्रजविहारी मिश्र का संकल्प है कि मूल प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में शब्द "किस्तों पर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरा जो अमेंडमेंट "गृहहीन जनता" के सम्बन्ध में था उसमें आपने यह रूलिंग दी है कि "किसान और मजदूर" यह शब्द स्वीकृत हो चुके हैं इसलिये मध्यम वर्ग के लाने की अब जरूरत नहीं रहती। अगर यह हट गया और किसान और मजदूर हो गया तो फिर मध्यम वर्ग के लोग जो गृहहीन हैं वह इससे वंचित हो जायंगे। इसलिये किसी भी तरह से जैसे आप मुनासिब समझें और आ सकता हो तो उसको ले आयें।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं संशोधित प्रस्ताव को देख लूं कि उसकी क्या शक्ल इन संशोधनों के स्वीकृत होने से हो गई है।

श्री अध्यक्ष--संशोधित प्रस्ताव इस तरह से होगा कि:--

"उत्तर प्रदेश के नगरों तथा ग्रामों की जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही किसानों तथा मजदूरों के लिये गृह समस्या भी अत्यन्त जटिल होती जा रही है। इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार को इस समस्या का निराकरण छोटे एवं स्वास्थ्यपूर्ण मकानों का निर्माण कराके करना चाहिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

*खण्ड १८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहे।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*१८ फरवरी, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

खंड १९

स्वामी तथा अन्य व्यक्ति ऐसे व्यापार में विघ्न न डालेंगे।

१९—कोई व्यक्ति योजना क्षेत्र की भूमि पर या उसमें अथवा उसके पास कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उस क्षेत्र में योजना के निष्पादन में विघ्न या बाधा डाले।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से छपे हुये संशोधन के स्थान पर यह संशोधन पेश करता हूं :—

खण्ड १९ की प्रथम पंक्ति से "या उसमें अथवा उसके" तथा दूसरी पंक्ति का पहला शब्द "पास" निकाल दिया जाय।

खंड १९ में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उस योजना क्षेत्र के अन्दर कुछ ऐसा कार्य करेगा जिसके द्वारा उस योजना में कुछ आघात पहुंचे तो उसके लिये खंड १८ में दिया गया है कि जो अधिकारी होंगे वह बल-प्रयोग भी कर सकते हैं और उसके द्वारा लोगों को वंचित कर दिया जायगा जिससे उस योजना को सफल करने में असुविधा न कर सकें। लेकिन यहां पर जो शब्द दिए गए हैं कि "कोई व्यक्ति योजना क्षत्र की भूमि पर या उसमें अथवा उसके पास..." इसका मतलब यह है कि उसको निरोधात्मक अधिक बना दिया गया है कि जिसके द्वारा उस क्षेत्र के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी कोई आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है और उसके विरुद्ध तर्क तक भी नहीं कर पायेगा जिससे वह कार्य सफल हो सके। इससे इतना अधिक अधिकार इस खण्ड के अन्दर दिया गया है कि यहाँ तक कह दिया गया है कि उसके पास भी विरोध न करे तो इसका मतलब यह है कि स्थान की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी जिले के अन्दर या किसी ग्राम के अन्दर यह योजना लागू हो रही है तो उसके आसपास भी कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता है इससे अधिकारियों का हाथ इतना मजबूत हो गया है कि उसके खिलाफ बल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि खंड १८ के अन्दर दे दिया गया है। इसलिये ये शब्द जो संशोधन में हैं अगर निकाल दिये जायं तो उसका पूरा अर्थ ठीक निकलेगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री ने यह खंड रखा है वह पूरा हो जायगा।

इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा है कि यह स्वीकृत होगा।

***मालमंत्री (श्री चरण सिंह)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय मैठाणी जी ने स्वयं कहा कि जो योजना-क्षेत्र है उसके पास अगर कोई विरोध करे तो अधिकारी को यह अधिकार देना चाहिये कि वह उसके खिलाफ कार्यवाही करे। तो क्या मैठाणी जी चाहते हैं कि योजना क्षेत्र से निकट स्थान में विरोध करता रहे, अथवा विरोध होता रहे। अगर उसमें विरोध हुआ तो योजना की कामयाबी में विघ्न पड़ सकता है। मान लीजिये कहीं ड्रेनेज की बात आयी और योजना क्षेत्र में तराबगंज तहसील पड़ी और उससे मिला हुआ एक और इलाका है जो कि योजना के बाहर है, लेकिन वहाँ से एक ड्रेन आ रहा है और हम यह चाहते हैं कि ड्रेन रहे, या चलता रहे, बल्कि और चौड़ा हो जाय और उस ड्रेन को कोई आदमी योजना क्षेत्र से बाहर बाँध लगा कर रोक ले, जिससे कि योजना की सफलता में बाधा पड़ सकती है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैठाणी जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही न हो? मैं समझता हूं कि ऐसा वह चाह नहीं सकते, क्योंकि योजना ही कामयाब नहीं होगी। तो योजना क्षेत्र के अन्दर जो आब्सट्रक्शन करे, बाधा डाले, उसको रोकना भी जरूरी है। अफसरों का भी क्या दिमाग फिर गया है कि बिना वजह किसी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? इसलिये यह उनकी डिस्ट्रिक्शन को लिमिट करने के लिये ये शब्द रखे गये हैं कि आब्सट्रक्शन या बाधा या विघ्न पड़ता है तो उस समय ऐक्शन लें।

---

* यह भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

मैं समझता हूं कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद शायद श्री मैठाणी राजी हो जाय और अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री गंगाधर मैठाणी—अगर इसका मतलब यह है कि योजना क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक है, लेकिन जो "पास" शब्द रखा गया है या व्यापक है। अगर इसका मतलब यह है कि उससे मिला हुआ क्षेत्र, तो मैं स्वीकार करता हूं और अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०—(१) किसी क्षेत्र में योजना के निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा किया हुआ व्यय सम्बद्ध लाभार्थियों से वसूल किया जायगा। उद्धार किया व्यय।

(२) प्रत्येक लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि नियत रीति से अवधारित और वसूल की जायगी तथा वह सम्बद्ध भूमि पर प्रभार (charge) होगी।

(३) इस प्रकार अवधारित धनराशि पर किसी वाद अथवा विधिक व्यवहार में कोई आक्षेप न हो सकेगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी यह भी अवधारित करेगा कि उपधारा (२) के अधीन सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा देय धनराशि एकमुश्त अथवा किस्तों में दी जायगी और यदि वह किस्तों का आदेश दे तो वह ऐसी किस्तों की धनराशि और संख्या तथा प्रत्येक किस्त दिये जाने का दिनांक निश्चित करेगा।

(५) यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है अथवा देने से इन्कार करता है तो वह उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो कि मालगुजारी का बक़ाया हो।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार संशोधन उपस्थित करता हूं। खंड २० के उपखंड (१) की पंक्ति (२) में शब्द "वसूल" से पहले "अधिकतम आधा" रख दिये जायं और अन्त में पूर्ण विराम को हटा कर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"शेष व्यय सरकार करेगी परन्तु इस व्यय में किसी भी सरकारी कर्मचारी का आने जाने का व्यय तथा भत्ता सम्मिलित न होगा।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य इस संशोधन से यह है कि अधिक से अधिक व्यय भी हो सकता है और कम से कम भी। यह सम्भव हो सकता है कि अधिक व्यय उन किसानों से न लिया जाय। अतः सरकार को भी इसमें कुछ सहायता करनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा उसकी लागत आधा रुपया उनसे वसूल कर लिया जाय।

***श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, जो कोई नयी योजना हो, जैसी कि यह है और उसमें कुछ खर्चा करना हो तो जो लोग उस खर्चे से लाभ उठायें उनसे वसूल न करके जनरल रेवेन्यू से वसूल किया जाय इस तरह का प्रस्ताव यहां इस सदन के किसी माननीय सदस्य की

---

* यह भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री चरण सिंह]

ओर से आए वह मेरी समझ में नहीं आता। हां, बाहर के लोग ऐसा कहें तो समझ में आता है। क्योंकि जो लोग राजनीति के क्रियाशील क्षेत्र में नहीं हैं उन लोगों का ऐसा खयाल है कि गवर्नमेंट को जो आमदनी होती है वह ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से होती है। अपार धन इस गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट सब टैक्स भी माफ कर सकती है और साथ ही तनख्वाह बढ़ा सकती है और ट्यूबवेल्स और सड़कें भी बना सकती है, लेकिन जो यहां इस सदन में बैठ कर देखते हैं कि कहाँ से पैसा आता है और कैसे कैसे खर्च होता है, उन की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आना मेरी समझ में नहीं आता। यह तो ऐसी बात है कि जैसे चकबंदी में खर्च करने वाले हैं, खर्चा होगा ही, तो जो लोग चकबन्दी से फायदा उठायें, उनसे वसूल न कर के जनरल रेवेन्यूज में डाल दिया जाय, यह एक तो वैसे भी बात मुनासिब नहीं है कि जो लोग फायदा उठायें उनसे न वसूल किया जाय। दूसरी बात मैं माननीय मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर जनरल रेवेन्यूज कहाँ से आती है। वह भी आखिर उन्हीं लोगों से आती है। अगर हमने आम बजट से उसमें पैसा लगाया तो या तो कहीं डेवलपमेंट का काम रुकेगा या कहीं टैक्स या लाइसेंस फीस बढ़ानी पड़ेगी। हां, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट उनसे वसूल न करे और वह अपने पास से खर्चा कर दे और गवर्नमेंट के अपने पास का मतलब हो कि कहीं बाहर से रुपया आता हो, पब्लिक से न वसूल करना पड़ता हो तो फायदा होता। हम इनसे न वसूल करें, सारे बजट से दे दें तो फिर इनसे वसूल करना होगा। उसमें यह होगा कि आम मालेज़ पर पड़ेगा। इसलिये जो लोग डायरेक्टली इससे फायदा उठाते हैं, उन्हीं से वसूल किया जाय, यह बात इसलिये मेरी समझ में बिलकुल नहीं आती। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान अनुसूची की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें सिवाय एक दो बातों के गवर्नमेंट के पास से खर्च ज्यादा करने की बात नहीं। माननीय सदस्य अनुसूची को उठा कर देख लें। पृष्ठ १२ पर लिखा है, "भूमि संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषय—

(१) वायु कटाव और जल कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दर्रों का बनाना किनारों का कटाव और बाढ़ें) के विरोधी उपाय तथा....."

मैं इन सब को पढ़ना नहीं चाहता। (ढ) तक गिनाए हुये हैं, उनमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिस में खर्च का काम हो। क्योंकि किसानों को कुछ ही काम करना है, उसमें खर्च का कोई काम ही नहीं है। इसी तरह से नम्बर दो जो है इसमें गवर्नमेंट को कुछ खर्च करना पड़ेगा "जलवेष्टन और अवरुद्ध जल निष्कासन"। (क) जलवेष्टन प्रधान क्षेत्रों को सामूहिक तालाबों में परिवर्तन, जिन्हें गहरे पानी के धान तथा मत्स्य संवर्धन के लिये प्रस्तुत किया जा सके। इसे भी लोग श्रमदान से कर सकते हैं। (ख) जल निष्कासन नालियों को खोलना—यह भी खुद कर सकते हैं। (ग) अन्तस्तल के जल का निष्कासन और उसका रक्षित स्थान में उत्सर्जन—इसमें जरूर कुछ गवर्नमेंट को खर्च करना होगा। (घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जल मार्ग की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर तथा सड़क के पास वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना—इसमें गवर्नमेंट को अपने पास से खर्च करना पड़ेगा। तीन जो है "भूड़ क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना" इसमें भी किसान अपने आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर नम्बर चार है "ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकना"—इसमें जरूर गवर्नमेंट को कुछ खर्च करना होगा और किसान को भी थोड़ा बहुत खर्च करना होगा। किसान अपनी जमीन पर खर्च करेगा तो उससे वह लाभ उठायेगा। इस स्कीम में आइटम्स तो बहुत हैं, बड़े डिटेल्ड प्लान बनेंगे, बहुत मुद्दत तक यह चलेगी तब जा कर नतीजा निकलेगा, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा न होगा। गवर्नमेंट जो खर्च करेगी उसमें यह लिखा हुआ है "Government may realise"।

सदन की बैठक के समय में वृद्धि

श्री व्रजभूषण मिश्र—(जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक कि यह विधेयक समाप्त न हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक समाप्त न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

***मालमंत्री (श्री चरण सिंह)**—मैं यह अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट को अख्तियार होगा यह देखने का कि जब किसान नहीं दे सकता तो वह किसान से एक पाई भी नहीं लेगी अगर कहीं किसान दे सकता है तो उससे लिया जायगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि श्री श्रीचन्द जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट का कोई इरादा किसानों पर बार डालने का नहीं है लेकिन यह उसूल है कि जो फायदा उठाये उसको डायरेक्टली देना चाहिये।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २० के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "मैं" के स्थान पर शब्द "द्वारा" रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि इससे भाषा ठीक हो जाती है और अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो जाता है और अर्थ में कोई गड़बड़ी न होगी। मुझे आशा है कि यह स्वीकार होगा।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "मैं" के स्थान पर शब्द "द्वारा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रतनलाल जैन—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के उपखंड (५) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "का" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय। इससे भाषा ठीक हो जाती है। और मुझे आशा है कि इसे भी स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को "का" और "की" के भेद का ज्ञान अधिक है इसलिये मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (५) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "का" के स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि:—

(१) ५ बीघे से कम भूमि तथा एक बीघे से कम बाग रखने वाले व्यक्तियों से कोई व्यय वसूल नहीं किया जायगा।

(२) उक्त "(१)" के व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर ५ रुपये बीघे से अधिक व्यय भार नहीं रखा जायगा।

(३) किसी व्यक्ति पर तक़ावी का भार उसके लगान के २५ गुने तथा सम्पत्ति तात्कालिक मूल्य के २५ वें अंश से अधिक धन का भार नहीं रखा जायगा।"

---

* यह भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में यह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहता हूं वह इस वक्तव्य से सम्बन्धित है जो इस योजना में कार्य किया जायगा सरकार द्वारा उनका भार लाभार्थी से लिया जायगा। श्रीचन्द जी के संशोधन पर बोलते हुये राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बहुत सी बातें इस अनुसूची में दी हुई हैं जैसे कि रेल का पुल बनाना या और अन्य योजनायें हैं उनके बनाने का भार लाभार्थी नहीं सम्भाल सकेगा। यह बात इस विधेयक में साफ नहीं की गयी है कि यह सरकार के हाथ में छोड़ दिया गया है कि नियम वह बनायेगी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब नियम सरकार बनायेगी तो इस विधान सभा का कोई उसमें दखल नहीं होगा और इस प्रकार अस्पष्ट छोड़ देना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। मैं राजस्व मंत्री जी की परेशानी समझता हूं और जिस बात का मैंने जोतों की चकबन्दी विधेयक में विरोध किया था कि किसानों से उनका खर्च न लिया जाय उसी चीज का इस पूरे विधेयक के महत्व को समझते हुये मैंने यह संशोधन रखा कि जो किसान ५ बीघे तक खेत रखता हो उससे इसका भार वसूल न किया जाय। अभी राजस्व मंत्री ने कहा कि किसी योजना का भार सरकार बरदाश्त करेगी और किसी का वह व्यक्ति बरदाश्त करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक विधेयक बन रहा है उसमें इस बात को साफ बिलकुल नहीं किया गया है कि किससे लिया जायगा और किससे नहीं लिया जायगा। कानून की दृष्टि से यह बात ग़लत है। दूसरे यह कि नियम सरकार बनायेगी तो नियम द्वारा वह अधिकार अपने हाथ में ले लेगी कि कहां पर सरकार खर्च करे और कहां पर वह सम्बन्धित व्यक्ति खर्च करेगा तो मेरी राय में यह बात उचित नहीं है। इसलिये मैंने इस प्रतिबन्ध में इस बात को साफ किया है कि अगर कोई एक बीघा तक बाग़ रखता है और ५ बीघा तक जमीन रखता है उससे व्यय न लिया जाय और इनके अलावा ५ रुपये बीघे से अधिक न लिया जाय। अगर यह सब काम हो और व्यय देना पड़े तो उसकी एक सीमा होनी चाहिये तथा व्यय का भार २५वें अंश से अधिक किसी व्यक्ति पर न रखा जाय। तो किसी भी व्यक्ति पर तकावी का भार लगान के २५ गुने से अधिक न डाला जाय। मान लिया कि उसका लगान १० रुपया है तो उस पर २५० रुपये से ज्यादा भार न डाला जाय और मान लिया कि कोई आदमी अगर किसान नहीं है उसके पास जितनी जायदाद है और उस जायदाद का जितना भी तात्कालिक मूल्य है उसके २५वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिये। इस तरह से मेरा संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी की दिक्कत को दूर करता है और साथ ही साथ विधेयक को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि कितना भार सरकार के ऊपर पड़ेगा और कितना किसानों के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय राजस्व मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हम माननीय राजस्व मंत्री से जब-जब मिले तो हमें तब तब बड़ी परेशानी हुई क्योंकि इसके बारे में उनके पास कोई नक्शा न था और इसलिये मैंने अपनी असहमति की टिप्पणी में इसका जिक्र किया है और इसलिये यहां मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी विचार करके इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने कहा कि कोई नक्शा नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं है। नक्शा तो है और उसी नक्शे के मुताबिक ही हम भूमि का सुधार करने जा रहे हैं। यह सवाल दूसरा है कि किसानों से रुपया लिया जाय या न लिया जाय इसका नक्शा तो अभी हो भी नहीं सकता क्योंकि यह तफसील की बात है। लेकिन इसके लिये इसी कानून में गुंजाइश है। इसी धारा २० की उपधारा २ में यह लिखा हुआ है--

"२० (२) किसी लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि नियत रीति से अवधारित और वसूल की जायगी तथा वह सम्बद्ध भूमि पर प्रभार (charge) होगी।"

---

*यह भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

इसका अंग्रेजी तर्जुमा इस प्रकार है :-

"The amount to be paid by each such beneficiary shall be determined and recovered in the manner prescribed and shall be charged on the land to which it relates."

तो कितनी रक़म किससे वसूल की जाय और किस प्रकर से वसूल की जाय यह तो बाद में रूल्स के द्वारा तय की जायगी। इसके लिये तो बाद में नियम बनाये जायेंगे। अगर उसके लिये अभी यह कर दें कि ५ बीघा वालों से बिलकुल नहीं लिया जायगा या तकावी २५ गुने से ज्यादा न होगी। यह बात ठीक हो सकती है और हम भी यही चाहते हैं कि २५ गुने से ज्यादा न हो लेकिन अभी हम इस बात को तय नहीं कर सकते हैं इसलिये इसके लिए रूल्स बनाने की पावर्स ले ली है और वह रूल्स के द्वारा बाद को तय होगा क्योंकि रूल्स को आसानी से अदला बदला भी जा सकता है। ऐक्ट में अगर हम यह रख दें कि ५ बीघा वालों से बिलकुल भी कुछ न लिया जायगा तो यह ठीक न होगा क्योंकि अगर सब खेत ५ बीघा के ही हो गये तब यह हो जायगा कि किसी से कुछ न लिया जाय। यह चीज ठीक न होगी। इसलिये गवर्नमेंट ने जो रूल मेकिंग पावर रक्खी है उसमें यह सब ठीक हो जायगा। इसको देखते हुये मुझे आशा है कि माननीय त्रिपाठी जी इसको वापस ले लेंगे।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का उत्तर इस सम्बन्ध में सुना। मैं समझता हूं कि जब हम यह मानते हैं कि ५ बीघा एक अनएकोनामिक होल्डिंग है तो फिर उस पर क्यों बोझ डाला जाता है। आप यह भी मानते हैं कि साढ़े छः एकड़ ऐसी जमीन नहीं है जिसकी आमदनी ज्यादा हो और वह कुछ ज्यादा दे भी सकता हो। लेकिन इस समय आप यह क्यों कहते हैं कि यह बात रूल में फिर तय करेंगे। इसको अभी क्यों नहीं कर देते। ५ बीघे से कम के काश्तकार की ऐसी हालत होती है कि उससे नहीं लेना चाहिये और इसलिये इस बात को यहीं इस कानून के द्वारा ही डिटरमिन कर देना चाहिये कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम इसको यहीं पर साफ कर देना चाहते हैं कि उनसे कुछ भी उसूल न किया जाय। अगर मंत्री जी यह कह देते कि यह रूल्स में रख दिया जायगा तब भी त्रिपाठी जी इसको वापिस ले लेते लेकिन जब तक ऐसा आश्वासन नहीं होता तब तक कैसे यह समझें कि काश्तकारों के ऊपर उसका भार न पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसपर विचार करें और उसको स्वीकार कर लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय राजस्व मंत्री की इस आशा को मैं पूर्ण नहीं कर सकूंगा। मुझे तो आशा यह थी कि मैं उनकी मदद करूं कि यह विधेयक जो अस्पष्ट निकला जा रहा है उसमें स्पष्टता आ जाय और जो कानून के लिये जरूर होना चाहिये। लेकिन उसके उल्टा उन्होंने ही मुझसे आशा की कि मैं इन पर जोर न डालूं। यह विधेयक जैसा कि राजा वीरेन्द्रशाह ने कहा अनइकोनामिक होल्डिंग के लिये जैसा कि कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी ने कहा है कि उससे लगान तक नहीं लेना चाहिये, बल्कि उसका लगान माफ होना चाहिये। तो ऐसी सूरत में मैं कोई नयी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय राजस्व मंत्री की पार्टी की एक कमेटी की ही बात कह रहा हूं। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री को तो मेरी तारीफ करनी चाहिये कि मैं दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मैंने यह नहीं सोचा कि सब भार सरकार के ऊपर ही डाला जाय बल्कि किसान और लाभार्थी भी इस भार को ग्रहण करें और सरकार भी ग्रहण करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्रेयस्कर स्कीम जो है, कुछ लोगों के ऊपर अस्पष्ट विधेयक लाद देने से हानि उत्पन्न हो सकती है। उसी को स्पष्ट करने के लिये हमने यह संशोधन रखा है। जहां तक ५ बीघे वाली होल्डिंग की बात है, हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री के विशेषज्ञ उनको सलाह दें कि ५ बीघे की

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

होल्डिंग में बड़े-बड़े दरख्तों के जंगल लगाया जायगा इस तरह से वह लाभार्थी हो सकता है। लेकिन १० वर्ष में तो वह जंगल बढ़ेगा, इस बीच में तो वह बेचारा मरा। उसका लगान माफ होने की भी कोई व्यवस्था नहीं और उसे लाभार्थी बना कर उससे रुपया भी वसूल किया जाय, इससे एक अजीब उलझन पैदा हो सकती है। इसलिये इस अस्पष्ट विधेयक को काफी गौर खोज के बाद, दोनों की तरफ की जिम्मेदारी सोचने के बाद मैंने इस संशोधन को रखा है। माननीय मंत्री जी का यह खयाल है कि मैंने दफा २० (२) को नहीं पढ़ा है। मैंने उसे पढ़ा है और सरकार ने नियम बनाने की व्यवस्था की है लेकिन नियम तो विधान सभा के सामने उपस्थित नहीं होंगे जैसे कि जोत चकबन्दी या जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के नियमों के लिये हुआ। सरकार नेपथ्य में ही कुछ कर लेना चाहती है। हमारे सामने तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिये मैं कैसे माननीय राजस्व मंत्री की आशा पूरी करूं। मैं तो यही कहूंगा कि यह आपकी जो श्रेयस्कर स्कीम है इसको कामयाब करें और किसानों के ऊपर यह बोझ न डालें। अगर हमारा यह संशोधन मान लिया जायगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जो त्रुटियां इस विधेयक में हैं वे दूर हो जायंगी।

*श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रुटि तो इसमें बिलकुल ही नहीं है। इसमें लिखा है कि नियम के जरिये तय कर लिया जायगा। मैंने जिस वक्त यह संशोधन देखा उसी वक्त मैंने जो नियम कि विधान मंडल के सामने रखे जैसे दूसरे कानून की धारायें हैं इस किस्म का एक संशोधन भेजवा दिया, अपनी तरफ से तैयार करने के लिये कह दिया। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। कोई भी काम हो, विधान मंडल के सदस्यों के पीठ पीछे या उनकी नाजानकारी में कोई बात की जाय ऐसी बात नहीं है। इसलिये कि रूल सामने रखा गया है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि इस वक्त जैसा कि यह संशोधन है बिना एक्जामिन कराये इसे एकदम से स्वीकार कर लेना ठीक नहीं होगा। जहां तक अनइकानामिक होल्डिंग की बात है ५ बीघे के बजाय १० बीघे भी हो सकता है। मान लीजिये कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा अनइकानामिक होल्डिंग हो जाय तो इसके माने यह है कि एक पैसा भी वसूल न किया जाय जो चीज अनइकानामिक हो सकती है वही इकानामिक भी बाद में हो सकती है। इसलिये सन् ३१ में जो लगान माफ हुआ था या घटा था या कम करने की बात थी वह चीज आज लागू नहीं होती। इसलिये जहां तक अनइकानामिक का जिक्र किया गया है मैं चाहता हूं कि किसानों का नुक्सान न हो बल्कि उनको लाभ पहुंचना चाहिये। हां, अगर उनकी सीमा के बाहर हो तो गवर्नमेंट जनरल रेवेन्यू से कर दें। रही रूल मेकिंग की बात कि वह हाउस के सामने नहीं रखा जायगा तो मैं उसके लिये तैयार हूं और वह हाउस के सामने रख दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि---

(१) ५ बीघे से कम भूमि तथा एक बीघे से कम बाग रखने वाले व्यक्तियों से कोई व्यय वसूल नहीं किया जावेगा।

(२) उक्त "(१)" के व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर ५ रुपये बीघे से अधिक व्यय भार नहीं रखा जायगा।

(३) किसी व्यक्ति पर तक़ावी का भार उसके लगान के २५ गुने तथा सम्पत्ति के तात्कालिक मूल्य के २५ वें अंश से अधिक धन का भार नहीं रखा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*यह भाषण माननीय मंत्री द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

योजना की प्रगति की आख्या।

२१—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों (intervals) पर, जो किये जायं, योजना के निष्पादन की प्रगति की आख्या जिला समिति को प्रस्तुत करे।

(२) प्रगति के आख्या की एक प्रति राज्य सरकार के पास भी भेजी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

योजना की पूर्ति तथा निष्पादन के विषय में राज्य सरकार को आख्या।

२२—(१) कलेक्टर योजना निष्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र इस आशय की आख्या जिला समिति मण्डल तथा राज्य सरकार के पास भेजेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन आख्या नियत आकार में तैयार की जायगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) उपधारा (३) में अभिदिष्ट निर्माण कार्यों का विवरण,

(ख) उपधारा (४) में अभिदिष्ट अधिकारों और दायित्वों का विवरण, और

(ग) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(३) निर्माण-कार्यों का विवरण नियत आकार में होगा और इसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) योजना के अधीन किये गये निर्माण-कार्यों का विवरण,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य विभिन्न विषयों के लिये किये गये उपबन्धों का विवरण,

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(४) अधिकारों और दायित्वों का विवरण नियत आकार में तैयार किया जायगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) लाभार्थियों के अधिकार और दायित्व,

(ख) योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

श्री रतनलाल जैन—मैं आप की आज्ञा से अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "समिति" व शब्द "मण्डल" के मध्य में चिह्न "," रख दिया जाय। शब्द कुछ मुहमिल से जान पड़ते हैं साफ करने की दृष्टि से यह संशोधन है। आशा है कि स्वीकार होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "समिति" व शब्द "मंडल" के मध्य में स्वल्पविराम का चिह्न रख दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३

अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज।

२३—(१) अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज यथावश्यक यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन निर्मित अधिकार अभिलेख (record of rights) में ऐसी रीति से किये जायेंगे जो नियत की जाय और तत्पश्चात् वे उक्त अभिलेख के अंग होंगे।

(२) ग्राम अभिलेख में इस प्रकार किये गये इन्दराज किसी भी अभिलिखित मामलों के विवाद में साक्ष्य रूप से ग्रहण किये जा सकेंगे और जब तक कि उसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, वह सत्पूर्ण परिल्पित होंगे (shall be presumed to be true)।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के उपखंड (१) में शब्द "इन्दराज" शब्द "यथावश्यक" के बाद रख दिया जाय। यह शाब्दिक हेर-फेर है।

श्री चरण सिंह—यह ठीक नहीं है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। आशा है मौर्य जी इसे वापिस ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

आभार तथा दायित्वों का विसर्जन (Discharge)

२४—(१) धारा २२ के अधीन आख्या में निर्दिष्ट लाभार्थी के निम्नलिखि कर्त्तव्य होंगे:—

(क) इस योजना के अन्तर्गत निर्मित अथवा व्यवस्थित निर्माण-कार्यों की अपनी लागत पर रक्षा और मरम्मत करना, और

(ख) योजना के अधीन लगाये गये अन्य आभारों और दायित्वों का विसर्जन (discharge)।

(२) यदि लाभार्थी उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्माण-कार्य की रक्षा अथवा मरम्मत न करे अथवा अपने दायित्व उत्सर्जित न करे तो कलेक्टर निर्माण की रक्षा अथवा मरम्मत करवा सकता है और ऐसे दायित्वों को विसर्जित करा सकता है, और ऐसी रक्षा, मरम्मत अथवा विसर्जन की लागत सम्बद्ध लाभार्थी से वसूल कर लेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

२५—यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियम अथवा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह अर्थदण्ड का भागी होगा जो ५०० रुपये से अधिक न होगा। शास्ति।

*राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं—

"खंड २५ की पंक्ति ३ में अंक "५००" के स्थान पर "१००" रख दिया जाय।"

श्रीमन्, यह खंड २५ इस प्रकार है कि "यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियम अथवा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह अर्थदण्ड का भागी होगा जो ५०० रुपये से अधिक न होगा।"

श्रीमन्, मेरा इस संशोधन से यह मतलब है कि यह नया नया कानून लागू किया जायगा। बहुत से लोग इसकी महत्ता को नहीं समझेंगे। इसलिये ५०० रुपये की रक़म रखना अधिक होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि सौ रुपये तक जुर्माना हो। आगे चल कर अगर सरकार यह समझे कि इससे लोग नहीं मानते हैं तो संशोधन द्वारा यह रुपया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहले पहल पांच सौ रुपये रखना मैं समझता हूं, अधिक होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय वीरेन्द्रशाह जी की सेवा में कि पांच सौ रुपये तक जुर्माना है, पांच सौ रुपये जुर्माना कहां है? अगर कोई आदमी भोला भाला है, बिलकुल नावाकिफ है, उसका इरादा किसी क़िस्म की रुकावट डालने का नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट इन सब बातों पर विचार करके उस पर जुर्माना कम करेगा। अगर कोई आदमी दूसरे लोगों को गुमराह करके, नेतृत्व करके पालिसी में रुकावट डालना चाहेगा, तो उस पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। इसलिये इसमें पांच सौ रुपये से घटा कर सौ रुपये करने से यह होगा कि मैजिस्ट्रेट सौ से ज्यादा जुर्माना कर ही नहीं सकेगा। अगर कोई शख्स जान बूझ कर विघ्न डालने के ख्याल से, गवर्नमेंट को परेशान करने के उद्देश्य से कोई काम करगा, तो उस पर मैजिस्ट्रेट ज्यादा जुर्माना कर सकेगा और आजकल रुपये की कीमत भी कम है।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। श्रीमन्, आजकल कुछ कर्मचारियों का यह विचार रहता है कि राज्य की आमदनी बढ़ाई जाय और इस ख्याल से ज्यादा जुर्माना कर दिया जाता है। जैसा कि हर राज्य में होता है। यदि इस ख़याल से जुर्माना हुआ, तो जिस पर जुर्माना होगा वह आदमी मर जायगा। जो आदमी रुपये दे सकते हैं उनके लिये पांच सौ रुपये भी ज्यादा नहीं हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। अगर आप मान लेंगे तो अच्छा है और अगर आप नहीं मानेंगे, तो मैं वापस ले लूंगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

खण्ड २६

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की रक्षा।

२६—सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसे इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (सूट प्रासिक्यूशन आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) निविष्ट (इंस्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे।

श्री रतनलाल जैन—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २६ के अंत के शब्द "किये जा सकेंगे" के स्थान पर शब्द "किया जा सकेगा" रख दिये जायं ?

इन शब्दों के परिवर्तन से भाषा ठीक हो जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार इसको मान लेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो ६७ नम्बर पर है, वह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ के अन्त के शब्द "किये जा सकेगें" के स्थान पर शब्द "किया जा सकेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

नियम बनाने का अधिकार।

२७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(क) मंडल तथा जिला समिति की स्थापना तथा संगठन से सम्बद्ध विषय,

(ख) मंडल तथा जिला समिति द्वारा कार्यवाहियों के संचालन, कर्तव्यों के विसर्जन तथा कार्यों के लिये किये जाने की प्रक्रिया और रीति,

(ग) धारा ८ के अधीन आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(घ) धारा १४ के अधीन जिले में योजना के प्रकाशन की रीति,

(ङ) धारा २१ के अधीन प्रगति आख्या का आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(च) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आवश्यक रूप से रखे जाने वाले विवरणों, नक्शों, रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार,

(छ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों का आकार और रीति,

(ज) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिसों के आकार और उनके तामील किये जाने की प्रक्रिया,

(झ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन की जाने वाली बातों के लिये कालावधि का निर्धारण जिसके भीतर वे बातें अवश्यमेव हो जानी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन लगाई गई कालावधियों के बढ़ाने का अथवा बढ़ा न सकने का उन दशाओं में अधिकार जिनकी यहां पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन प्रार्थना-पत्र और अपील प्रस्तुत करने का समय,

(ट) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों और अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और निस्तारण तथा कार्यवाहियों में जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रिया,

(ड) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को मिले अधिकारों का अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति को सौंपा जाना,

(ढ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से अन्य किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ण) ऐसे विषय जिन्हें नियत करना है या जो नियत किये जायं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के उपखंड (२) (क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"मंडल द्वारा उसके कार्यों के संपादन में सहायता के निमित्त व्यक्तियों का अनुयोजन (कोआपशन)"

श्री अध्यक्ष—इसको जरा आप साफ कर दें कि कहां पर जोड़ना चाहते हैं। क्या स्वल्प विराम जो है उसके बाद जोड़ना चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो यह कैसे होगा ? क्या इसे बिल्कुल अलग चाहते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह स्वल्प विराम के बाद (कफ) जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह इसलिये है कि जो समिति बनेगी तो कुछ लोग जो उस क्षेत्र के रहने वाले होंगे अगर वे जरूरी समझे जायं तो सलाह मश्विरे के लिये कोआप्ट किये जा सकें, इसलिये यह संशोधन लाया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी के संशोधन में संशोधन करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :—

"संशोधन की दूसरी पंक्ति के शब्द "का" तथा "अनुयोजन" के बीच में शब्द "मंडल के सदस्य की हैसियत से" बढ़ा दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्य की हैसियत से तो धारा ३ के अन्दर था। वह धारा तो हम लोग पार कर चुके अब यह संशोधन नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—कोआप्ट से आपका मतलब चुनना है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी, चुनना नहीं, सलाह मश्विरे के लिये होंगे।

श्री अध्यक्ष—आप उनको कोआप्ट कैसे करेंगे?

श्री चरण सिंह—मुझको भी यह लफ्ज कोआप्ट खटका था। लेकिन जब मैंने अपने लीगल एडवाइजर से कहा कि हम यह चाहते हैं कि वहां के जो रेप्रेजेन्टेटिव हों उनको एडवाइस के लिये बुला लें, वे डिस्कशन में हिस्सा लें लेकिन वोट न दें तब उन्होंने कहा कि कोआप्ट का मतलब हो यह है कि वे डिस्कशन में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन फुलफ्लेज्ड मेम्बर नहीं माने जायेंगे, राइट आफ वोट उनको नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—कोआप्शन के दो अर्थ हो सकते हैं। वह मेम्बर भी रह सकता है और वोट भी दे सकता है। इसलिये इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें हम कहे देते हैं कि उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, ठीक है। हम भी यही समझते हैं कि कोआप्शन की हैसियत से वह सहयोग भी देगा और मत भी दे सकता है। इसलिये जब तक स्पष्ट न किया जाय माननीय मंत्री जी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। यदि वह यही चाहते हैं तो आमंत्रित आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यानी किसी को सहायता के लिये आमन्त्रित किया जाय। जब आप कोआप्ट करेंगे तो विद पावर टु वोट या विदआउट पावर टु वोट दोनों हो सकते हैं।

श्री चरण सिंह—आमन्त्रित में तो सिर्फ वह आमंत्रित ही होंगे और वह बहस वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—खैर, इसमें स्पष्ट कर देना उचित होगा।

श्री चरण सिंह—इतना किये देते हैं कि मंडल द्वारा उसके कार्यों के संपादन में सहायता के निमित्त व्यक्तियों का अनुयोजन (कोआप्शन) जिन्हें मत देने का अधिकार न होगा

श्री अध्यक्ष—मत के भी दो अर्थ होते हैं एक तो यह कि वह वोट नहीं दे सकेगा और दूसरे यह कि वह अपनी सलाह भी नहीं दे सकेगा। इसलिये मतदान कर दें तो ठीक होगा।

*श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था कल उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में तो इस तरह का वाद विवाद उपस्थित हो गया था कि जहां पर नियोजन हो तो इस स्थान के विधान मंडल के सदस्य जिला समिति में रखे जायं और मंडल में उनकी राय से उचित परिवर्तन किया जाय। इसके फलस्वरूप कृषि मंत्री जी ने ऐलान किया था कि इस तरह का हम संशोधन करेंगे। यह संशोधन हमारे सामने आया है। हमने जो लिखा था उसके माने यह थे कि जिला के जिस क्षेत्र में वह काम होगा तो वहाँ का मंडल उस क्षेत्र के विधायकों को बुलाकर उनका सहयोग प्राप्त करेगा यानी जहां पर नियोजन होगा वहां पर मंडल वहां के विधायकों को बुलाकर राय लेगा और इस तरह से मंडल का तथा सरकार का काम अच्छी तरह से हो सकेगा। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा था और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि इसको स्वीकृत कर लिया जायगा तो माननीय राजस्व मंत्री जी के मंडल के काम में बड़ी मजबूती आयगी। इस तरह का संशोधन न मानना नुकसानदेह होगा। अगर कोआप्शन रहेगा तो वह वोट भी दे सकते हैं और सहायता भी देंगे। कमेटियों में सरकारी आदमी आते हैं वह कमेटी को मश्विरा वगैरह तो देते हैं लेकिन वोट नहीं देते और अगर गैर सरकारी आदमी बुलायें जायं तो वह वोट भी देते हैं। यही परिपाटी है। तो इसी में होगया कि उसी क्षेत्र के विधायक बुला करके उन से मंडल में राय ले ली जाय और उसके अनुसार मंडल का कार्य चले। तो उसमें उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिये।

श्री चरण सिंह---मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि जो शब्द आपके संशोधन के हैं वह जरा सुना दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---आपने लिखा है कि "जिन्हें मतदान का अधिकार न हो"। वह कहते हैं कि "मतदान का अधिकार हो।"

*श्री चरण सिंह---तो वह मुझको स्वीकार नहीं है और जो मौर्य जी ने पेश किया है वह स्वीकार है। जैसा कि मैंने उसमें बाद में लफ्ज बढ़ाये, अगर उसके विरुद्ध यह कर दिया जाय कि उनको वोट का अधिकार होगा तो फिर वह पूरा सदस्य हो गया। फिर उसे धारा ३ में जाना चाहिये, एक बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये हमारे १० जिलों में यह योजना चलती है और १० जिलों के ३० मेम्बर लेजिस्लेटिव असेम्बली के हुए और अगर ३० को बुला लिया जाय तो फिर यह नहीं होगा कि मथुरा के मेम्बर को जब आगरे की बात पेश हो तो उसमें हिस्सा न लेने दिया जाय और कोआप्शन में हम यह कर सकते हैं कि हम जिस जिले की स्कीम पर विचार करें केवल वहीं के मेम्बर को मश्विरा देने के लिए बुलाएं, दूसरों को न बुलायें। लेकिन वोट का राइट हो गया तो वह फुल-फ्लेज्ड मेम्बर हो गया। हम आठ-दस जिलों में योजना चालू कर रहे हैं, बुन्देलखंड में, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर और इधर इटावा, आगरा, मथुरा और मिर्जापुर का भी कुछ हिस्सा लेना पड़े, तो १०-१२ जिले हुए। अगर इन में प्लान एक साथ चलायें तो यह जो प्लानिंग कमेटी है इसमें आठ-दस मेम्बर तो आलरेडी हैं और ३० यह हो गये। तो इस तरह से ५०-६० हो जायेंगे और कोई मसला क्या ऐसी कमेटी में तय हो सकता है? बहुत मुश्किल हो जाता है? प्लान जैसी चीज का तय करना। वहां तो इसी बहस-मुबाहिसे में पड़े रहेंगे और अगर कोआप्शन की बात रही कि राइट आफ वोट न हो, फ्री मेम्बरशिप न हो, तो जिस जिले का प्लान जिस वक्त कंजर्वेशन कमेटी के सामने आयेगा तो उसी वक्त बुला लेंगे। यह खटका है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि जो जहां मेम्बर हो और विधान सभा के भी सदस्य हों उन को कानफिडेंस में न लिया जाय। लेकिन एक काम करना है तो इस तरीके से करना है कि आसानी से हो सके, वरना, अध्यक्ष महोदय, स्वयं सोचें कि गवर्नमेंट का इसमें क्या नुक्सान है। गवर्नमेंट का तो कायदा ही है कि सब का कोआपरेशन हासिल हो। बिना कोआपरेशन के काम नहीं चल सकता, लेकिन हम को देखना यह है कि काम किस तरह से आसानी से हो सकता है, यों तो सारी असेम्बली कंजर्वेशन प्लान बनाया करे।

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

श्री राजनारायण—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सब विधान सभा के सदस्यों को बुलाने का प्रश्न कहां उठता है। कोआप्शन में यह तो लिखा नहीं है कि कितने व्यक्तियों का होगा। आपने माननीय रामसुन्दर पांडेय के संशोधन से यह कैसे समझ लिया कि सभी विधान सभा के सदस्यों को बुलाना पड़ेगा। जब कोआप्शन आप अपने डिस्क्रिशन पर रखते हैं तो जितनों को चाहें उतनों को बुला सकते हैं। सब को बुलाना अनिवार्य कहां है रामसुन्दर जी के संशोधन में ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि कोरम सदन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—है कोरम। बल्कि कोरम से ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—मैं, जैसे संशोधन हैं वैसे लिये लेता हूं। पहले तो पहला हिस्सा ले लूं जिसमें दोनों राजी हैं।

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) (क) के पश्चात् उपखंड (कक) बढ़ा दिया जाय—

"मंडल द्वारा उसके कार्यों के संपादन में सहायता के निमित्त व्यक्तियों का अनुयोजन।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब दूसरा हिस्सा होता है। इसमें "जिन्हें मत-दान का अधिकार हो", यह माननीय रामसुन्दर पांडेय का संशोधन है। पहले इसपर मत लिए लेता हूं कि "जिन्हें मतदान का अधिकार हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं दूसरा हिस्सा लेता हूं। "जिन्हें मतदान का अधिकार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के उपखंड (२) के भाग (ठ) के अन्त में शब्द "प्रतिक्रिया" के स्थान पर "प्रक्रिया" रख दिया जाय। यह "प्रतिक्रिया" गलत छप गया है।

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय द्वारका प्रसाद जी तमाम संशोधन साथ ही रख दें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। समय भी बच जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं यह तो ले लेता हूं। इसके बाद अनुसूची के जितने हैं वह सब एक साथ ले लेंगे।

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (२) के भाग (ठ) के अन्त में शब्द "प्रतिक्रिया" के स्थान पर "प्रक्रिया" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ के खंड २७ के अन्त में नये उपखंड (३) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे इस प्रकार रखे जायं।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जीको कम से कम इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ के खंड २७ के अन्त में नये उपखंड (३) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे इस प्रकार रक्खे जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

(धारा ८ देखिये)

भूमि संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषय—

१—वायु कटाव और जल कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दर्रों का बनना, किनारों का कटाव और बाढ़ें) के विरोधी उपाय यथा—

(क) मेंड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमिप्रबंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) कन्टूर कल्टीवेशन (परिधि रेखा कृषि),

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ङ) श्रेणी फसलें उगाने की मनाही,

(च) आंशिक कृषि (Strip cropping),

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलों का तथा सघन उगने वाली अन्य फसलें लगाना,

(ज) हरी खाद देना और भारी प्राणिक (आर्गेनिक) खादों, जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर इत्यादि का प्रयोग ।

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिये अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकारक हो,

(ञ) चरवाही पर नियंत्रण,

(ट) किसी भूमि पर कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिये वनरोपण अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशुचर बनाना,

(ठ) वायु परावर्तन (wind break) के तौर पर काम करने के लिये वृक्ष और झाड़ियां लगाना,

(ड) वृक्षों को गिराने, छांटने (lopping) तथा झाड़ियों का सफाया करने पर नियंत्रण,

(ङ) कृषीय प्रयोजनों के लिये पार्श्विक और उपपार्श्विक (marginal and sub-marignal) भूमियों को तोड़ने की मनाही ।

२—जल-वेष्टन और अवरुद्ध जल-निष्कासन के विरोधी उपाय यथा:—

(क) जल-वेष्टित क्षेत्रों का पोखरों में रूपान्तर,

(ख) जल-निष्काशन नालियों का खोलना,

(ग) अन्तस्तल के जल का निस्कासन,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जलमार्गों (acqueducts) की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर अथवा सड़क के बांध के पास के वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना ।

३—भूड़ (रेतीली) क्षेत्रों को सुधारने के उपाय यथा:—

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि का समतल किया जाना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार (leguminous) फसलों का उगाना,

(ङ) हरी खाद और कम्पोस्ट, अथवा फार्मयार्ड मैन्योर इत्यादि जैसी भारी प्राणिक (आर्गेनिक) खादों का प्रयोग,

(च) चरवाही पर नियंत्रण ।

श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायं :—

(क) दूसरी पंक्ति में कोष्टबद्ध भाग में संख्या "८" के स्थान पर "१० (२) (ख) " रख दिये जायं ।

(ख) क्रमांक १ (च) में शब्द "आंशिक कृषिक" के स्थान पर शब्द "पट्टियों में खेती" रख दिये जायं ।

(ग) क्रमांक १ (ज) में शब्द "भारी" हटा कर शब्द "दीर्घायित" रख दिया जाय ।

(घ) क्रमांक १ (य) में शब्द "चरवाही" के स्थान पर शब्द "चराई" रख दिया जाय ।

(ङ) क्रमांक १ (ढ) में शब्द "पार्श्विक और उप-पार्श्विक" के स्थान पर शब्द "हीन और अल्प-हीन" रख दिये जायं ।

(च) क्रमांक २ (घ) की पहली पंक्ति के शब्द "नीचे से जाने वाले" निकाल दिये जायं और तीसरी पंक्ति में "के पास के" स्थान पर शब्द "की" रख दिया जाय ।

(छ) क्रमांक ३ (ङ) में शब्द "भारी" हटा कर "दीर्घायित" रख दिया जाय ।

(ज) क्रमांक ३ (च) में शब्द "चरवाही" के स्थान पर शब्द "चराई" रख दिया जाय ।

खंड ३ के उपखंड (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अथा" की जगह "यथा" रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायं:—]

(क) दूसरी पंक्ति में कोष्टबद्ध भाग में संख्या "८" के स्थान पर "१०(२)(ख)" रख दिये जायं।

(ख) क्रमांक १ (च) में शब्द "आंशिक कृषि" के स्थान पर "पट्टियों में खेती" रख दिये जायं।

(ग) क्रमांक १ (ज) में शब्द "भारी" हटा दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "दीर्घायित" रख दिया जाय।

(घ) क्रमांक १ (य) में शब्द "चरवाही" के स्थान पर शब्द "चराई" कर दिया जाय।

(ङ) क्रमांक १ (ढ) में शब्द "पार्श्विक और उप-पार्श्विक" के स्थान पर शब्द "हीन और अल्पहीन" रख दिये जायं।

(च) क्रमांक २ (घ) की प्रथम पंक्ति के शब्द "नीचे से जाने वाले" निकाल दिये जायं और पंक्ति ३ में शब्द "के पास के" स्थान पर "की" रख दिया जाय।

(छ) क्रमांक ३ (ङ) में शब्द "भारी" हटा दिया जाय और उसके स्थान पर "दीर्घायित" रख दिया जाय।

(ज) क्रमांक ३ (च) में शब्द "चरवाही" के स्थान पर शब्द "चराई" रख दिया जाय।

खंड ३ के उपखंड (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अथा" की जगह "यथा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे और राज्य के विभिन्न भागों अथवा जिलों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, जैसा कि विधान सभा से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१९ फरवरी, १९५४ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर।)

प्रतापगढ़ शहर दिनांक नवम्बर १०, १९५३

लगभग २०० विद्यार्थियों के एक मजमे ने टेलीग्राफ के तार काटे, टेलीग्राफ के खंभों तथा लेटर बक्सों को नुकसान पहुंचाया तथा रोडवेज के सब स्टेशन में आग लगाई और वहां का कैश बाक्स लूटा। उस मजमे ने कलेक्टरेट के किवाड़ के शीशों को तोड़ा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आफिस तथा रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया।

भूपियामऊ, पुलिस चौकी कोतवाली, दिनांक ११.११.५३

कई स्थानों पर टेलीग्राफ के तार कटे हुये मिले।

दलीपपुर, पुलिस चौकी कंनघाई, दिनांक ११.११.५३

लगभग १५० विद्यार्थियों के एक मजमे ने दलीपपुर पोस्ट आफिस में आग लगाई।

लालगंज बाजार, दिनांक ११.११.५३

लगभग ४००–५०० विद्यार्थियों के एक मजमे ने लालगंज के पोस्ट आफिस तथा पी०डब्ल्यू०डी० के इन्सपेक्शन हाउस के शीशों को तोड़ा और टेलीग्राफ के तार काटे। तत्पश्चात् उस मजमे ने डाक लूटने का प्रयत्न किया। परन्तु जब लालगंज पुलिस चौकी का इन्चार्ज चार पुलिस के कांस्टेबिल को लेकर उनको डाक लूटने से रोकने लगे तो मजमे के लोग उनको लाठियां, पत्थर तथा मुक्का से मारने लगे। जिसके फलस्वरूप उनके हाथ और सिर में चोट आयी। इस पर पुलिस के कांस्टेबुलों को आत्मरक्षा तथा अपने हथियारों की रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी, एक विद्यार्थी के पांव में चोट आई।

धिगवाज, पुलिस चौकी लालगंज, दिनांक १२.११.५३

लगभग ४०० विद्यार्थियों के मजमे ने धिगबाज पुलिस चौकी के पुलिस कांस्टेबुलों के कुछ सामान को जला दिया।

लालगंज बाजार, दिनांक १२.११.५३

विद्यार्थियों के एक मजमे ने कई स्थानों पर टेलीग्राफ तार काटे और चलती मोटरों तथा कारों पर पत्थर फेंके। मजमे ने पी०डब्ल्यू०डी० तथा टेलीग्राफ के आदमियों को काम करने से रोका और पी०डब्ल्यू०डी० की ट्रक बलपूर्वक अपने प्रयोग में लाये। जब डी० एस० पी० तथा एस० डी० एम० लालगंज पहुंचे तो मजमे ने उनकी गाड़ी घेर ली और उन पर पत्थर फेंके। जिसके फलस्वरूप गाड़ी को नुकसान पहुंचा और डी० एस० पी० चार पुलिस कांस्टेबिलों तथा एस० डी० एम० के चपरासी को चोट आयी।

लीलापुर, पुलिस चौकी कोतवाली, दिनांक १२.११.५३

विद्यार्थियों के एक मजमे ने टेलीग्राफ के तार काटे और पी०डब्ल्यू०डी० तथा टेलीग्राफ के आदमियों को काम करने से रोका।

साहिबगंज, पुलिस चौकी कोतवाली दिनांक १२.११.५३

कुछ विद्यार्थियों ने स्थानीय पोस्ट आफिस के लेटर बक्स का ताला तोड़ा।

दरहुत, पुलिस चौकी, कमवाई, दिनांक १३.११.५३

लगभग २०० विद्यार्थियों के एक मजमे ने स्थानीय पोस्ट आफिस पर तैनात पुलिस कांस्टेबुल पर पत्थर फेंके और पोस्ट आफिस के रिकर्ड तथा अन्य चीजों को हानि पहुंचाई।

उपरोक्त घटनाओं के फलस्वरूप जो क्षति हुई उनका ब्योरा इस प्रकार है :

सरकारी रोडवेज	१७२३—०—०
टेलीग्राफ तथा टेलीफोन विभाग	७६०—०—०
पी० डब्ल्यू० डी०	८००—०—०
पोस्ट आफिस	२००—०—०
रेलवे विभाग	७५—०—०
कलेक्टरेट	१०१—०—०
पुलिस विभाग	१६२४—१२—०
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	३०००—०—०
कुल लगभग	८,२८३—१२—०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

पुलिस स्टेशन बिशुनपुरा, जिला देवरिया में १ जनवरी, १९५३ से ३१ जनवरी, १९५४ तक होने वाली चोरी, डकैती, बलवे और कत्ल की वारदातों का विवरण।

क्रम सं०	वारदात	जिसकी रिपोर्ट की गयी	जांच की गयी	चालान हुआ	मुकदमा अभी चल रहा है	सजायाब हुआ	छूट गया	लापता रहा	जांच हो रही है	जांच नहीं हुई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	चोरी	१३	११	६	४	१	१	३	२	२
२	डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—
३	बलवा	२	२	१	१	—	—	—	१	—
४	कत्ल	१	१	१	—	१	—	—	—	—

विधान सभा उत्तर प्रदेश